वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार

अतुल्य भारत
www.incredibleindia.org

वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

विषय–वस्तु

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	पर्यटन– एक झलक	4
2	पर्यटन मंत्रालय और इसके कार्य	14
3	पर्यटन अवसंरचना का विकास	18
4	नए पर्यटन उत्पाद	22
5	होटल एवं यात्रा व्यवसाय	40
6	मानव संसाधन विकास	56
7	प्रचार एवं विपणन	62
8	आंकड़े, सर्वेक्षण एवं अध्ययन	68
9	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	72
10	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	76
11	कल्याणकारी उपाय और सतर्कता	86
12	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	88
13	लैंगिक समानता	92

14	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण मामले	93
15	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	94
16	विभागीय लेखा संगठन	96
17	पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक झलक	102
18	महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियां	105
19	"विकलांग लोगों (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) के लिए अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन"	106
अनुबंध		
I	पर्यटन मंत्रालय के लिए कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि) (2013–14)	108
II	मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी	118
III	सर्वेक्षण/अध्ययनों की सूची	118
IV	भारत में भारत पर्यटन कार्यालय	123
V	विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालय	123

पर्यटन- एक झलक

1.1

पर्यटन को आर्थिक विकास के एक प्रमुख यंत्र के रूप में प्रतिष्ठित करना और समाज के सभी समुदायों की सक्रिय भागीदारी द्वारा स्थायी रूप से रोजगार सृजन और निर्धनता उन्मूलन पर इसके प्रत्यक्ष और बहु आयामी प्रभावों का दोहन करना भारत सरकार की पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य है। पर्यटन देश में सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक है और देश के वंचित वर्गों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने और निर्धनता कम करने में यह उल्लेखनीय– भूमिका अदा करता है। विपणन और संवर्धन के अलावा अब पर्यटन विकास योजनाओं का फोकस विभिन्नण स्टेकहोल्डरों के साथ प्रभावी साझेदारी द्वारा पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के समेकित विकास पर है। पर्यटन के विकास में सरकार की भूमिका को नियामक से उत्प्रेरक के रूप में पुनः परिभाषित किया गया है।

1.2

भारत में विदेशी पर्यटक आगमन 2011 की तुलना में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2012 के दौरान 6.58 मिलियन की तुलना में 2013 के दौरान 5.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ 6.97 मिलियन रहा। अमेरिकी डॉलर के अनुसार पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 2012 के दौरान 2011 की तुलना में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 17.737 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि 2013 के दौरान यह 4.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18.445 बिलियन डॉलर रहा। घरेलू पर्यटन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी गई क्योंकि वर्ष 2013 के दौरान 2012 की तुलना

में 9.59 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए घरेलू पर्यटक आगमन 1145 मिलियन (अनंतिम) रहा।

1.3

भारत सरकार की 'आगमन पर वीजा' (वीओए) योजना जो 2010 में आरंभ की गई थी, पर्यटकों में लोकप्रिय हो गई है। वर्ष 2012 के दौरान जारी किए गए 16084 वीओए की तुलना में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए वर्ष 2013 के दौरान कुल 20294 वीओए जारी किए गए। इस अवधि में आगमन पर पर्यटक वीजा सुविधा 4 और हवाई अड्डों नामत: तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि पर भी प्रदान की गई है।

1.4

मंत्रालय पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग के लिए करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य देशों के साथ परामर्श और वार्ता करता है, अन्य देशों के साथ संयुक्त कार्यदल बैठकों का आयोजन करता है और पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए वाणिज्य, संस्कृति, नागर विमानन, विदेश, वित्त, पेट्रोलियम आदि मंत्रालयों के समन्वय से संयुक्त आयोग की बैठकों में भाग लेता है। भारत ने पर्यटन क्षेत्र में मित्रता के संपर्कों को व्यापक बनाने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ 50 द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों/प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं।

1.5

मंत्रालय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ), एशिया और प्रशान्त के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी), बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिमस्टेक), मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) के साथ परामर्श और वार्ता करता है। पर्यटन मंत्रालय विदेशी सहायता से पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास भी करता है। बौद्ध पर्यटन को और आगे बढ़ाने के अपने अनोखे प्रयास में बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के पर्यटन विभाग और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, (विश्व बैंक समूह) के साथ मंत्रालय ने अक्तूबर, 2013 में उत्तरप्रदेश और बिहार में 'बौद्ध परिपथ' में पर्यटकों के लिए प्रदत्त सेवाओं और वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

1.6

पर्यटन क्षेत्र पर अंतर–मंत्रालयी समन्वय समिति (आईएमसीसीटीएस) प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है और यह मंत्रालय समिति का सदस्य संयोजक है। समिति के विचारार्थ विषय देश में पर्यटन के विकास में शामिल अंतर–मंत्रालयी मुद्दों और पर्यटन क्षेत्र में उद्योग संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान सुगम करना है। समिति के सदस्य हैः सदस्य सचिव, योजना आयोग, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, गृह, रक्षा, विदेश, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नागर विमानन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं वन, शहरी विकास, श्रम एवं रोजगार, संस्कृति मंत्रालयों, राजस्व, व्यय और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागों के सचिव। उक्त समिति की अंतिम बैठक जुलाई माह, 2013 में हुई थी। अतिरिक्त देशों के लिए आगमन पर पर्यटक वीजा (टीवीओए) सुविधा, अधिक हवाई अड्डों के लिए टीवीओए सुविधा, हवाई अड्डों पर सामूहिक लैंडिंग सुविधा, पूर्वोत्तर राज्यों में दीर्घकालिक प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) और सुरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) जारी करना, अवसंरचना की समन्वित सूची में दो सितारा और ऊपर की श्रेणी के होटलों को शामिल करना आदि पर्यटन संबंधी प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा की गई है।

1.7

पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में जुलाई माह, 2013 में राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पर्यटन उद्योग से संबद्ध विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ–साथ सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के

विभिन्न पर्यटन मंत्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन में भारत में विभिन्न पर्यटक स्थानों की स्वच्छता के मानकों, पर्यटकों, विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा, राज्यों के मध्य निर्बाध यात्रा और अंतर्राज्यीय रोड टैक्स, अवसंरचना परियोजनाओं की पूर्णता और उपयोग प्रमाण–पत्र और पूर्णता प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना, होटलों के समय पर लाइसेंस जारी करना, हुनर से रोजगार का कार्यान्वयन, अन्यथा सक्षम पर्यटकों के लिए पर्यटक गंतव्यों को सुगम बनाना, सतत् पर्यटन और गंतव्यों की वहन क्षमता, फिल्म की शूटिंग और माइस पर्यटन के लिए एकल विंडो क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय संवर्धन परिषदों के गठन पर विचार–विमर्श किया गया। सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि सभी राज्यो और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पर्यटन विभाग पर्यटकों को विशेषत: महिला पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए **'मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ'** शीर्षक से एक नया अभियान आरंभ किया है।

1.8

चूंकि पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होने के कारण बेहतर अवसंरचना की आवश्यकता है, अत: पर्यटन मंत्रालय पर्यटक गंतव्यों और परिपथों में गुणवत्तायुक्त पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने कुल 1226 पर्यटन परियोजनाओं को 4090.31 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें गंतव्य एवं परिपथों के विकास की उत्पाद/अवसंरचना (पीआईडीडीसी), अवसरंचना संवर्धन के लिए ग्रामीण पर्यटन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान पीआईडीडीसी योजना के अंतर्गत बजट परिव्यय 400 करोड़ रूपए है।

1.9

मंत्रालय द्वारा मेगा परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण गंतव्यों और परिपथों के विकास के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है जिसका उद्देश्य पर्यटक के समक्ष संस्कृति, विरासत, आध्यात्मिक और ईको पर्यटन का एक उचित मिश्रण प्रदान करना है ताकि पर्यटकों को भारत का एक समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। अब तक 71 मेगा परियोजनाओं की पहचान की जा चुकी है जिसमें से 53 परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है।

1.10

ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन की योजना 2002–03 में ग्रामीण स्थानों एवं गांवों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वित्त पोषण के लिए चुने गए गांव ऐसे क्षेत्र थे, जिनमें कला एवं शिल्प, हस्तकरघा और वस्त्र में मूलभूत क्षमता थी और साथ ही प्राकृतिक वातावरण में परिसंपत्ति आधार था। योजना का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ प्रदान करना और पारस्परिक रूप से अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटकों और स्थानीय आबादी के बीच आपसी संपर्क कायम कराना है। ग्रामीण पर्यटन के संवर्धन का उद्देश्य पर्यटकों के भ्रमण के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के लिए राजस्व का सृजन भी है। 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 2013 तक कुल 203 ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

1.11

पर्यटन मंत्रालय का यह सतत प्रयास रहा है कि गुणात्मक और मात्रात्मक

दोनों रूप से पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा की एक प्रणाली स्थापित की जाए। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी), भारत पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थान, राज्य होटल प्रबंध संस्थान और भोजन कला संस्थान उक्त लक्ष्य को हासिल करने में प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) में एक केन्द्रीय होटल प्रबंध संस्थान, तिरूपति (आंध्रप्रदेश) में एक इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट (आईसीआई), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) और कोट्टायम (केरल) में दो राज्य होटल प्रबंध संस्थान स्वीकृत किए गए हैं। आतिथ्य शिक्षा को मुख्य धारा में लाने के लिए मंत्रालय आईटीआई, पॉलिटेकनिक संस्थान, सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र–उपक्रमों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान ऐसे संस्थानों को 43,89,75,682/– रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता जारी की गई।

1.12

मंत्रालय द्वारा स्थापित आतिथ्य क्षेत्र में नियोजित सेवा प्रदाताओं के कौशल के प्रमाणन के कार्यक्रम के तहत 17882 सेवा प्रदाताओं के कौशल को वर्ष 2013–14 के दौरान प्रमाणित किया गया है।

1.13

आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कौशल संबंधी अंतराल को कम करने और गरीबों को पर्यटन का आर्थिक लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए, 18–28 वर्ष के आयु समूह में बेरोजगार युवकों के बीच रोजगार योग्य कौशल के सृजन के लिए 2009–10 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक विशेष पहल नामतः 'हुनर से रोजगार तक' (एचएसआरटी) कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना का सतत रूप से विकास हो रहा है और इसके नवीन उपागम से न केवल प्रशिक्षण संबंधी लाभ में वृद्धि दर्ज हुई है बल्कि इसका विस्तार नए कौशल क्षेत्रों में भी हुआ है। वर्ष 2013–14 के दौरान इस पहल के तहत 67646 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

1.14

यद्यपि होटलों का निर्माण मुख्यतः निजी क्षेत्र का कार्य है फिर भी पर्यटकों के विभिन्न वर्गों की आशा के अनुरूप मानकों की दृष्टि से, विशेष रूप से

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की उपयुक्तता की दृष्टि से पर्यटन मंत्रालय स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के तहत होटलों को 7 श्रेणियों में से रेटिंग प्रदान की जाती है, 1 सितारा से 5 सितारा डीलक्स और हैरिटेज तक। मंत्रालय ने आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'होटल परियोजनाओं का अनुमोदन' और साथ ही 'सितारा श्रेणी के होटलों का वर्गीकरण' करने के लिए समय–समय पर दिशा–निर्देशों की समीक्षा की है और संशोधित दिशा–निर्देशों में ईको–फ्रेंडली/बिजली की कम खपत के उपायों, विकलांग लोगों के लिए सुविधाएं और सुरक्षा और बचाव सरोकारों से संबंधित मामलों को समाधान करने का प्रयास किया गया है। अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए मंत्रालय ने होटल परियोजनाओं, वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण और संबंधित सेवाओं के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए 2013–14 में एक वेब आधारित पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम (पीएसडीएस) शुरू किया है। पर्यटन मंत्रालय का प्रयास सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर ऐसे सभी आवेदनों पर अंतिम निर्णय सूचित करने का रहता है। भारत सरकार ने हाल ही में भारत में कहीं भी 2 सितारा श्रेणी और उससे उपर के नए होटलों को आयकर अधिनियम की धारा 35 एडी के तहत निवेश से जोडकर प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की है ताकि देश में होटल आवास में वृद्धि हो सके। होटलों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए संशोधित दिशा–निर्देशों में वर्गीकृत होटलों से अपेक्षा की गई है कि वे हुनर से रोजगार तक योजना के तहत लघु अवधि के कौशल पाठ्यक्रम में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कुछेक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करें। प्रधानमंत्री का कौशल विकास मिशन पर्यटन मंत्रालय और पर्यटन उद्योग को वर्ष 2022 तक 5 मिलियन व्यक्तियों को कुशल कार्यबल बनाने का दायित्व सौंपता है ।

1.15

विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण सहभागिता और समानता पर उद्घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण भारत पर्यटक गंतव्यों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर बाधामुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। विकलांग व्यक्ति अब उपभोक्ता समूह माने जाते हैं और देश में पर्यटक गंतव्य के संवर्धन के लिए इस समूह की क्षमता का उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता से प्रदान की जा रही सभी पर्यटक सुविधाओं को बाधामुक्त बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

1.16

देश भर में पर्यटक गंतव्यों के आस–पास स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और कुछ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) की सेवाओं को उनके निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में स्मारकों और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की स्वच्छता एवं रख–रखाव सहित पूर्ण उन्नयन, सौन्दर्यीकरण के प्राप्त करने में समर्थ रहा। वाराणसी नगर निगम और सुलभ इंटरनेशनल ने भी इस प्रयास में योगदान किया है।

1.17

हिमालय का 73 प्रतिशत हिस्सा भारत में है। इस तरह मंत्रालय ने भारतीय हिमालय अभियान 777 दिन शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में ऑफ सीजन के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करना है और न केवल हिमालय क्षेत्र में बल्कि ऐसे नगरों में भी होटलों की ऑक्यूपेंसी को बढ़ाना है, जो हिमालय से वायु अथवा रेल मार्ग से जुड़े हैं। भारत पर्यटकों को निःशुल्क ऑडियो गाइड प्रदान करने वाला प्रथम देश बन जाएगा।

1.18

भारत के 20 गंतव्यों में सभी स्मार्ट फोन धारकों को फ्री–ऑडियो गाइड प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसमें अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, कोच्चि में यहूदी आराधनालय, हैदराबाद में सलारजंग म्यूजियम आदि शामिल हैं। अंततः यह सेवा 9 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्धि होगी। गूगल ने लगभग 200 भारतीय गंतव्यों के लिए ट्रेवल प्लानर तैयार किया है। विश्व में अभी भारत ही ऐसा देश है जिसके पास ट्रेवल प्लानर है। भारत के बारे में जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ब्यौरों पर क्लिक करके उस विशिष्ट स्थान के बारे में वीडियो, कई चित्र, 360 डिग्री व्यू एवं सभी संगत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैसर्स गूगल के साथ साझेदारी से पर्यटन मंत्रालय ने भारत के बारे में 2000 से अधिक फोटो का एक फोटो बैंक तैयार किया है। पिक्सल के साथ सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने भारत के बारे में वीडियो का एक छोटा बैंक तैयार किया है। भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसने डोलबी और स्टीरियोफोनिक साउंड में 'यू ट्यूब' पर अपना साउंड एंड लाइट शो डाला है। अब मंत्रालय की वेबसाइट को व्यस्ततम दिनों में 50,000 से अधिक हिट्स और सभी दिनों में 18000 से अधिक हिट मिलते हैं। छोटे और मध्यम निजी प्लेयर भी इस वेबसाइट से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जैसे 'incredibleindia.org' वेबसाइट पर भारतीय टूर ऑपरेटर संघ (आईएटीओ) लिंक के माध्यम से दिल्ली, बैंगलुरु और मुंबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयर टिकट की बुकिंग और साथ ही रेल टिकटों, बस टिकटों और यहां तक कि संपूर्ण टूर पैकेज की बुकिंग भी की जा सकती है।

1.19

वर्ष 2013–14 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन मंत्रालय की गंतव्यों/परिपथों की उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के तहत अवसंरचना के संवर्धन और विकास के लिए 115.62 करोड़ रू. की राशि निर्मुक्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन संभावना प्रदर्शित करने के लिए जनवरी, 2013 में गुवाहाटी में और अक्तूबर माह, 2013 में त्वांग, अरूणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किए गए। इनमें असंख्य देशों जैसे यूएसए, यूके, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों के विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

1.20

पर्यटन मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य में जून माह, 2013 में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पर्यटन परिसंपत्तियों की मरम्मत आदि के लिए उत्तराखंड सरकार को 100 करोड़ रूपए का विशेष पैकेज प्रदान किया ।

पर्यटन मंत्रालय और इसके कार्य

2.1

संगठन

2.1.1

पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है। मंत्रालय इस प्रक्रिया में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित इस क्षेत्र के अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करता है और सहयोग करता है।

2.1.2

श्री श्रीपाद येसो नाईक, पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। सचिव (पर्यटन), जोकि पदेन महानिदेशक (डीजी), पर्यटन भी हैं, मंत्रालय के कार्यकारी प्रमुख हैं। पर्यटन महानिदेशालय, के देश में 20 फील्ड कार्यालय और एक गुलमर्ग विंटर स्पोर्टस प्रोजेक्ट (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग (आईआईएसएम) और विदेशों में 14 कार्यालय हैं। विदेशों में स्थित कार्यालय विदेशी बाजार में भारतीय पर्यटन का संवर्धन करते हैं। घरेलू फील्ड कार्यालय पर्यटक सूचना के स्रोत हैं। वे अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में राज्य सरकारों की फील्ड परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

2.1.3

पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित स्वायत्तशासी संस्थान भी हैं :–

- भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम)।
- राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद (एनसीएचएमसीटी), और होटल प्रबंध संस्थान।

2.2

पर्यटन मंत्रालय की भूमिका और कार्य

- 2.2.1

पर्यटन मंत्रालय के निम्नलिखित मुख्य कार्य है :–

- नीति संबंधी सभी मामले, जिनमें शामिल हैं :
  - विकास नीतियां
  - प्रोत्साहन
  - बाह्य सहायता
  - जनशक्ति विकास
  - संवर्धन एवं विपणन
  - निवेश सुगमीकरण
  - संवृद्धि कार्यनीतियां
- योजना
- अन्य मंत्रालयों, विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय
- विनियमन
  - मानक
  - दिशा–निर्देश
- अवसंरचना एवं उत्पाद विकास
  - केन्द्रीय सहायता
  - पर्यटन उत्पादों का वितरण

- अनुसंधान, विश्लेषण, निगरानी और मूल्यांकन
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं बाहा सहायता
  - अंतर्राष्ट्रीय निकाय
  - द्विपक्षीय करार
  - बाहा सहायता
  - विदेशी तकनीकी सहयोग
  - विधि–निर्माण एवं संसदीय कार्य
- स्थापना मामले
- फील्ड कार्यालयों की कार्य प्रणाली की समग्र समीक्षा
- सतर्कता मामले
- राजभाषा : राजभाषा नीति का कार्यान्वयन
- वीआईपी मामले
- बजट समन्वय एवं संबंधित मामले
- योजना–समन्वय
- एकीकृत वित्त मामले
- विदेश विपणन (ओएम) कार्य
- कल्याण, शिकायत एवं प्रोटोकॉल

2.2.2

पर्यटन महानिदेशालय निम्नलिखित कार्यों हेतु उत्तरदायी है :

- फील्ड कार्यालयों से फीडबैक प्रदान कराकर नीतियां तैयार करने में सहायता देना
- प्लान परियोजनाओं की मानीटरिंग करना और योजना तैयार करने में सहायता देना
- फील्ड कार्यालयों के कार्यकलापों में समन्वय करना और उनका पर्यवेक्षण करना
- विनियमन
  - होटलों, रेस्तरां, इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट (आईआईबीएंडबी) इकाइयों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण
  - ट्रेवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों एवं पर्यटक परिवहन प्रचालकों, आदि का अनुमोदन
- निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण
  - गाइड सेवा
  - शिकायत तथा निवारण
- अवसंरचना विकास
  - प्रोत्साहन राशि की निर्मुक्ति
  - पर्यटक सुविधा एवं सूचना
  - फील्ड प्रचार, संवर्धन एवं विपणन
  - आतिथ्य कार्यक्रम
  - समागम एवं सम्मेलन
- मानव संसाधन विकास
  - मानव संसाधन विकास संस्थानों का विकास
  - मानक एवं दिशा–निर्देश स्थापित करना
- प्रचार एवं विपणन
  - नीति
  - कार्यनीतियां
  - समन्वय
  - पर्यवेक्षण
- संसदीय कार्य के लिए सहायता
- पर्यटन महानिदेशालय के साथ–साथ पर्यटन मंत्रालय के स्थापना मामले।

2.3

परामर्शदात्री एवं समन्वय तंत्र

2.3.1

राष्ट्रीय पर्यटन परामर्शदात्री परिषद (एनटीएसी) जो देश में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, व्यापार तथा उद्योग संघ के प्रतिनिधि और यात्रा और पर्यटन प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। एनटीएसी का पिछली बार पुनर्गठन 1 मई, 2013 को किया गया था। परिषद का वर्तमान गठन निम्नानुसार है :

- अध्यक्ष : प्रभारी पर्यटन मंत्री
- सदस्य :
  - भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि
    - » सचिव, पर्यटन
    - » वित्त सचिव
    - » विदेश सचिव
    - » सचिव, संस्कृति
    - » सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
    - » सचिव, शहरी विकास

» सचिव (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग)
» अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
» प्रधान सलाहकार (पर्यटन), योजना आयोग
» अपर सदस्य (पर्यटन एवं केटरिंग), रेलवे बोर्ड

* यात्रा और पर्यटन प्रबंधन क्षेत्र के 26 विशेषज्ञ
* निम्नलिखित प्रत्येक संघों के अध्यक्ष :
» फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एफआईसीसीआई) का पर्यटन प्रभाग
» पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) का पर्यटन प्रभाग
» एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम) का पर्यटन प्रभाग
» कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) का पर्यटन प्रभाग
» ट्रेवल एजेंट्स ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई)
» इंडियन ऐसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ)
» इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईटीटीए)
» एसोसिएशन ऑफ डॉमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया (एडीटीओआई)
» एडवेंचर टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया (एटीओआई)
» फेडरेशन ऑफ होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई)
» होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एचएआई)
» इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन (आईएचएचए)
» इंडियन कन्वेंशन प्रोमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी)
» एक्सपीरियंस इंडिया सोसाइटी
» भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)

» वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल– इंडिया इनिशिएटिव (डब्ल्यूटीटीसीआईआई)
» वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ), भारत के प्रतिनिधि
» प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन, नई दिल्ली
» निदेशक, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर (एदेन)
» विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन मंत्री/सचिव को जब और जैसे आवश्यक हो, विशिष्ट आमंत्रितों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

☒ सदस्य–सचिव: अपर महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

☒ 2.3.2

वर्ष 2013 के दौरान दिनांक 15.07.2013 को राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनटीएसी) की बैठक आयोजित हुई। बैठक का एजेंडा (1) पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता एवं साफ–सफाई (2) पर्यटकों विशेषकर महिला पर्यटकों की सुरक्षा (3) पर्यटन एवं आतिथ्य सेक्टर में कौशल विकास और (4) मार्गस्थ सुविधाएं था। उद्योग प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञ सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और 12वीं योजना हेतु पर्यटन मंत्रालय के रुख की प्रशंसा की जिसमें यात्रा एवं पर्यटन उद्योग को पूर्ण सहायता देने का वादा किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट में इनडक्शन आदेशों सहित एनटीएसी के गठन के आदेश डाले गए हैं।

अध्याय-3

पर्यटन अवसंरचना का विकास

3.1

अवसंरचना का संवर्धन पर्यटन क्षेत्र के विस्तार की कुंजी है। नियोजित स्कीमों पर होने वाला मंत्रालय के व्यय का बड़ा भाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आसपास फैले हुए पर्यटन से संबंधित विभिन्न पर्यटक गंतव्यों और परिपथों की गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना की वृद्धि करने पर होता है।

3.2

गंतव्यों और परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास के लिए योजना

☒ 3.2.1

केन्द्र द्वारा प्रायोजित गंतव्यों और परिपथों की उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए विद्यमान पर्यटन उत्पादों में सुधार और नए उत्पादों के विकास के लिए भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत विश्व स्तर के प्रमुख गंतव्यों/परिपथों के विकास के लिए और ग्रामीण पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए पहचान की गई परियोजनाओं के लिए भी 100% केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों और परिपथों के विकास के लिए 5 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा पहचाने गए मेगा गंतव्यों और परिपथों के लिए बढ़ाकर क्रमशः 25 करोड़ रु. और 50 करोड़ रु. कर दी गई है।

☒ 3.2.2

पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वित्त पोषण के लिए पर्यटन परियोजनाओं की पहचान के लिए प्राथमिकीकरण बैठकें आयोजित करता है। परियोजनाओं को प्राथमिकता देते समय पर्यटक गंतव्यों तक जाने वाले राजमार्गों/सड़कों के किनारे मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण और रख–रखाव वाली परियोजनाओं, पर्यटन स्थलों पर साफ–सफाई, पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं आदि पर भी पर्याप्त बल दिया जाता है।

☒ 3.2.3

देश के सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों के विकास में पर्यटन के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 2011–12 से पर्यटन मंत्रालय के कुल योजना परिव्यय का 2.5% उद्दिष्ट करने का निर्णय लिया गया है और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के अंतर्गत एक अलग बजट शीर्ष बनाया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के लिए बजट शीर्ष के अंतर्गत 32.05 करोड़ रू. की राशि अलग से रखी गई है। मानक प्रक्रिया के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के कुल योजना परिव्यय के 10% को पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए रखा गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 129 करोड़ रू. की राशि अलग रखी गई।

3.3

ग्रामीण पर्यटन

☒ 3.3.1

ग्रामीण पर्यटन की योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002–03 में ग्रामों और ग्रामीण स्थलों पर

ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। जिन गांवों की कला और शिल्प, हथकरघा और वस्त्र में काफी क्षमता थी और जिनका प्राकृतिक वातावरण में परिसंपत्ति आधार था, उन्हें चुना गया। इसका उद्देश्य परस्पर अनुभवों को बढ़ाने के लिए पर्यटकों और स्थानीय जनता के मध्य पारस्परिक संपर्क के साथ–साथ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से स्थानीय समुदाय को लाभ प्रदान करना है।

☒ 3.3.2

ग्रामीण पर्यटन के संवर्धन का उद्देश्य पर्यटकों के आवागमन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के लिए राजस्व सृजन करना भी है। इस योजना के तहत प्रत्येक पहचाने गए ग्रामीण पर्यटन स्थल के अवसंरचना विकास (हार्डवेयर अथवा एच.डब्ल्यू) के लिए 50 लाख रू. और क्षमता निर्माण के कार्यों के लिए (सॉफ्टवेयर अथवा एस डब्ल्यू पर) के लिए 20 लाख रू. तक का फंड राज्य सरकार को

दिया जाता है। 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 2013 तक कुल 203 ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

3.4

मेगा गंतव्यों और परिपथों का विकास

☒ 3.4.1

यह महसूस करते हुए कि पर्यटकों की बढ़ती हुई आवक के लिए बेहतर अवसंरचना की आवश्यकता है, पर्यटन मंत्रालय ने विद्यमान अवसंरचना अंतर के समुचित समाधान और अन्य मंत्रालयों के संसाधनों और कार्यक्रमों के साथ विशेष रूप से प्रमुख गंतव्यों/परिपथों पर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए मेगा गंतव्यों/परिपथों/परियोजनाओं के समेकित विकास के लिए पहल की है। राज्य सरकारों के परामर्श से मेगा गंतव्यों/परिपथों पर उनके राष्ट्रीय महत्व, कदमों और भावी क्षमता के आधार पर विचार किया जाता है। इस नई पहल के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय मेगा गंतव्य के विकास के लिए 25.00 करोड़ रू. तक और मेगा परिपथ के लिए 50.00 करोड़ रू. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस वित्तीय सहायता के अतिरिक्त मंत्रालय केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य और तालमेल बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है ताकि इन गंतव्यों पर निवेश के प्रभाव को अधिकतम किया जा सके।

☒ 3.4.2

मेगा परियोजनाओं को अभिज्ञात करने की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है और पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्व के 71 गंतव्यों/परिपथों को अभिज्ञात किया है (31.12.2013 की स्थिति के अनुसार)। स्वीकृत परियोजनाएं विश्व विरासत स्थलों, अन्य महत्वपूर्ण विरासत स्थलों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों, धार्मिक स्थलों के विकास और क्रूज पर्यटन के विकास के लिए हैं। इन मेगा गंतव्यों को विकसित करते समय नगरोपान्त भू–परिदृश्य, रोशनी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवरेज में सुधार, मार्गस्थ सुविधाओं, स्मारकों की मरम्मत, पर्यटक स्वागत केन्द्रों के निर्माण, अंतिम छोर तक संपर्कता, संकेतक, आदि पर बल दिया जाता है।

3.5

अंतर–मंत्रालयी समन्वय

☒ 3.5.1

पर्यटन क्षेत्र पर एक अंतर मंत्रालयी समन्वय समिति (आईएमसीसीटीएस) का गठन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। समिति के विचारार्थ विषय देश में पर्यटन के विकास से संबद्ध अंतर मंत्रालयी मामलों के साथ पर्यटन क्षेत्र में उद्योग संघों द्वारा उठाए गए मामलों के समाधान को सुगम बनाना है। सदस्य सचिव, योजना आयोग, अध्यक्ष, रेलवे–बोर्ड, गृह, रक्षा, विदेश, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं वन, शहरी विकास, श्रम एवं रोजगार, संस्कृति मंत्रालयों, राजस्व व्यय और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं। सचिव, पर्यटन मंत्रालय समिति के सदस्य संयोजक है। इस समिति की अंतिम बैठक 30 जुलाई, 2013 को आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त देशों के लिए आगमन पर पर्यटक वीसा (टीवीओए), पांच अन्य हवाई अड्डों के लिए टीवीओए सुविधा, हवाई अड्डों पर सामूहिक लैंडिंग की सुविधा, पूर्वोत्तर राज्यो में लम्बी अवधि के प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आर.ए.पी.) और संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) जारी करना, अवसंरचना की समन्वित सूची में दो सितारा और अधिक की श्रेणी के होटलों को शामिल करना, आदि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर विचार–विमर्श किया गया।

अध्याय-4

नए पर्यटन उत्पाद

4.1

विशिष्ट पर्यटन उत्पाद

4.1.1

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग के विशिष्ट उत्पादों की पहचान करने, विविधीकरण प्रदान करने तथा उनका विकास एवं संवर्धन करने की पहल की है। "मौसम" संबंधी पहलू पर काबू पाने, भारत का 365 दिन गंतव्य के रूप में संवर्धन करने, विशेष रुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और उन अद्वितीय उत्पादों जिनमें भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त हैं के लिए पुन: यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह किया गया है। विशिष्ट उत्पादों की पहचान करना एक गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रकार, नए उत्पादों को यथा समय में जोड़ा जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने गोल्फ पर्यटन एवं निरोगता पर्यटन के संवर्धन के लिए समितियों का गठन किया है। गोल्फ, पोलो, चिकित्सा और निरोगता पर्यटन को समर्थन देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिशा–निर्देश भी तैयार किए गए। तदनुसार पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट उत्पादों के विकास तथा संवर्धन के लिए पहचान की गई है :

- क्रूज
- रोमांचकारी
- चिकित्सा
- निरोगता
- गोल्फ
- पोलो
- बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (एमआईसीई)
- ईको–पर्यटन

- फिल्म पर्यटन
- सतत् पर्यटन

4.2

क्रूज पर्यटन

4.2.1

'क्रूज शिपिंग' विश्व भर में अवकाश उद्योग के सबसे अधिक गतिशील तथा तीव्र गति से बढ़ने वाले घटकों में से एक है। यह एक नये मार्केट योग्य उत्पाद के रूप में तेजी से उभर रहा है। भारत अपनी विस्तृत ऐतिहासिक तथा सुंदर तटरेखा, अछूते वन तथा रमणीय द्वीपों, समृद्ध ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासत के साथ क्रूज पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटक गंतव्य हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत गति से विकसित होने मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि और उनके खर्च योग्य आय में उत्तरोत्तर वृद्धि जिसे अवकाश संबंधी गतिविधियों पर व्यय किया जा सकता है, से भारतीय भी बड़ी संख्या में क्रूज शिपिंग का आनंद ले सकते हैं।

4.2.2

समुद्री क्रूज

भारत सरकार द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय की क्रूज शिपिंग पॉलिसी को 26 जून, 2008 को अनुमोदित किया गया था। इस नीति के उद्देश्यों में देश के विभिन्न पत्तनों में अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक और अन्य सुविधाओं के साथ भारत को एक आकर्षक क्रूज पर्यटन गंतव्य बनाना, भारत में क्रूज शिपिंग के लिए विदेशी पर्यटकों के उपयुक्त वर्ग को आकर्षित करना और भारतीय पर्यटकों के मध्य क्रूज शिपिंग को लोकप्रिय बनाना है। क्रूज पर्यटन के

संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय के प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- जून 2010 में सचिव (पोत परिवहन) की अध्यक्षता में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों जैसे पोत परिवहन, गृह मंत्रालय, वित्त के सदस्यों वाली एक अंतरमंत्रालीय संचालन समिति गठित की गई। क्रूज पर्यटन से संबंधित सभी मामलों के समाधान के लिए समिति एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करती है। संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय इस समिति के सदस्य सचिव है।
- पर्यटन मंत्रालय क्रूज पर्यटन सहित पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्र सरकार के अभिकरणों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- वर्ष 2012–13 के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय अभिकरणों की सहायता के लिए दिशा–निर्देशों की अपनी योजना के अंतर्गत विभिन्नि पत्तनों में क्रूज टर्मिनलों के उन्नयन के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की है। एक बार कार्यान्वित हो जाने के पश्चात कोच्चि और चेन्नई बंदरगाह क्रूज यात्रियों के लिए अधिक सुगम और आकर्षक हो जाएंगे।

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय अभिकरणों को सहायता स्कीम के अंतर्गत कोचीन पोर्ट पर डेडीकेटिड क्रूज बर्थिंग सुविधाओं का विकास	2012–13	2243.32	1121.66
2.	अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय अभिकरणों को सहायता योजना के अंतर्गत चेन्नई पोर्ट पर विद्यमान यात्री टर्मिनल पर क्रूज यात्री सुविधा केन्द्र	2012–13	1724.66	862.33

4.2.3

रिवर क्रूज

पर्यटन मंत्रालय में रिवर क्रूज सहित पर्यटक अवसंरचना के विकास और पर्यटन के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान कर रहा है। डबल हल बोट्स, जेट्टी, क्रूज वेसल्स, बोट्स आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मार्च 2013, में मेगा परिपथ के रूप में अलपुझा में बैक वाटर क्षेत्र में बैक वाटर परिपथ के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा केरल सरकार को 4762.48 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई।

4.3

रोमांचकारी पर्यटन

4.3.1

रोमांचकारी पर्यटन में अन्वेषण अथवा सुदूर, विदेशी क्षेत्रों की यात्रा शामिल है। रोमांचकारी पर्यटन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है क्योंकि पर्यटक विभिन्न प्रकार से अवकाश बिताना चाहते हैं। कोई भी रचनात्मक गतिविधि जिससे व्यक्ति तथा उसके उपकरणों, दोनों की क्षमता की अंतिम सीमा तक परीक्षा होती है को रोमांचकारी परिभाषित किया गया है।

4.3.2

रोमांचकारी पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित पहलें की हैं :

- पर्यटन मंत्रालय ने रोमांचकारी टूर ऑपरेटरों के अनुमोदन के लिए दिशा–निर्देश भी जारी किए हैं जो एक स्वैच्छिक योजना है और यह सभी वास्तविक (बोनाफाइड) रोमांचकारी टूर ऑपरेटरों के लिए खुली है।
- पर्यटन मंत्रालय ने रोमांचकारी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए आधारभूत न्यूनतम मानकों के रूप में रोमांचकारी पर्यटन पर

सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों पर दिशा–निर्देशों का एक सेट भी तैयार किया है। ये दिशा–निर्देश भूमि, वायु और जल आधारित क्रियाकलाप कवर करते हैं, जिनमें पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैरा ग्लाइडिंग, बंजी जम्पिंग और रिवर राफ्टिंग शामिल हैं।

- रोमांचकारी पर्यटन गंतव्यों सहित गंतव्यों में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करते हुए इनलैंड वाटर पर्यटन के संवर्धन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डबल हल बोट्स, जेट्टियों, क्रूज वेसल्स, बोट्स आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

4.3.3

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग (आईआईएसएम) गुलमर्ग, जम्मू व कश्मीर

जनवरी, 2009 से गुलमर्ग, जम्मू व कश्मीर में दि इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग पूर्णत: प्रचालन कर रहा है। इस संस्थान के पास अब अपना भवन और रोमांचकारी क्रीडाओं के लिए सभी आधुनिक उपकरण एवं प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। इस संस्थान द्वारा विभिन्न रोमांचकारी कोर्स आरम्भ किए गए हैं और सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में पर्यटन मंत्रालय ने संस्थान को निम्नलिखित रोमांचकारी पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए 149.10 लाख रू. की राशि स्वीकृत की हैं:

(लाख रूपए में)

क्रमांक	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	पाठ्यक्रम की अवधि	कुल व्यय
1.	स्नो स्कीइंग	6	480	14 दिन	42.10
2.	वाटर स्कीइंग	5	150	10 दिन	43.50
3.	ट्रेकिंग	5	100	10 दिन	15.65
4.	पैरासेलिंग	6	96	07 दिन	15.60
5.	हॉट एयर बैलून	4	40	10 दिन	32.25
				कुल	**149.10**

4.3.4

वर्ष 2012–13 में निश पर्यटन के अंतर्गत हुनर से रोजगार कार्यक्रम

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के सहयोग से मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 56 नेचुरलिस्टन (30 और 26 के दो बैचों में) को पेंच एवं बांधवगढ़ में 15 दिनों का प्रशिक्षण देने के लिए 3,76,320/– रू. की राशि स्वीकृत की गई है।
- मध्य प्रदेश इको–पर्यटन, पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा विकसित किए जा रहे 10 ग्रामीण/वर्गीकृत गंतव्यों से 60 गाइडों (30–30 के दो बैचों में) को तीन महीने के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित कराने के लिए 41,01,736/– रू. की राशि स्वीकृत की गई।
- एडवेंचर ट्रेवल एस्कॉर्ट हेतु इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण में पश्चिमी हिमालय माउंटेनियरिंग संस्थान धर्मशाला केन्द्र, हिमाचल प्रदेश में 40 उम्मीदवारों को 15 दिनों का प्रशिक्षण देने के लिए 4,03,025/– रू. की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- क्षमता निर्माण/जागरूकता कार्यक्रम (ग्रीन हाईकर अभियान) (हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड प्रशिक्षण कार्यक्रम) द्वारा 600 प्रशिक्षणार्थियों को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों में डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए 17,93,858/– रू. की राशि स्वीकृत की गई है।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एवं वींटर स्पोर्ट्स, पहलगाम द्वारा आयोजित 30 रिवर राफ्टिंग गाइडों के लिए 6 दिवसीय कौशल परीक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम पूरा हो चुका है। 1,41,510/– रू. की राशि स्वीकृत की गई है।
- वुमेन गोल्फ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यू जीएआई) द्वारा आयोजित गोल्फ कैडी प्रशिक्षण कार्यक्रम। 40 कैडीज के लिए प्रशिक्षण जुलाई, 2012 में आरम्भ हुआ। प्रशिक्षण सितम्बर, 2012 में पूरा हुआ – 4,89,640/– रूपए की राशि स्वीकृत की गई।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, गुलमर्ग द्वारा आयोजित 30 व्यक्तियों के लिए 30 दिवसीय हाउसकीपिंग पाठ्यक्रम। प्रशिक्षण पूरा हो गया है – 2,81,250/– रूपए की राशि स्वीकृत की गई।
- वन प्रशिक्षण विद्यालयों के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा 100 नेचर गाइडों के लिए 4 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम – 15,95,000/– रू. की राशि स्वीकृत की गई।

4.3.5

भारत के हिमालय के 777 दिन

- हिमालय को अंतर्राष्ट्रीय रूप से संवर्धित करने के उद्देश्य से "इन्क्रेडिबल इंडियन हिमालय के 777 दिन" नामक अभियान डा. के. चिरंजीवि, पर्यटन राज्य मंत्री (स्वृतंत्र प्रभार) द्वारा 27 सितम्बर, 2013 को आरंभ किया गया। इस अभियान के दो उद्देश्य हैं पहला कम व्यस्त ग्रीष्मकाल में भारत में अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना और दूसरा विश्व को याद दिलाना कि हिमालय क्षेत्र का 73 प्रतिशत भारत में है। पर्यटन मंत्रालय ने अभियान के 777 दिनों की अवधि के दौरान पर्वतारोहण अभियानों से भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (आईएमएफ) द्वारा चार्ज की जाने वाली 50 प्रतिशत पीक फीस देने का निर्णय किया है।
- मंत्रालय ने हिमालय के राज्यों का एक नक्शा और समारोह निर्देशिका भी आरंभ की है जिसमें "इन्क्रेडिबल इंडियन हिमालय के अभियान 777 दिन" की इस अवधि में की जाने वाली गतिविधियां दी गई हैं। इस अवसर पर एटीएओआई द्वारा प्रकाशित सुरक्षा नियमों पर एक पुस्तक भी जारी की गई। मंत्रालय ने "ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ" और "लाइफ आल्टेरिंग जर्नी" नामक दो लघु फिल्में भी रिलीज की। डा. कॉनरॉड ऐंकर, विख्यात पर्वतारोही, जिन्हें हिमालय क्षेत्र में पर्वतारोहण अभियानों का लगभग 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है, ने इस क्षेत्र के अपने अनुभवों को साझा किया। एडवेंचर ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीएओआई) इस अभियान में पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है और उन्होंने अगले 777 दिनों में चलने वाले विशेष रोमांचकारी कार्यक्रमों को डिजाइन किया है।

4.4

चिकित्सा पर्यटन

4.4.1

चिकित्सा पर्यटन (जिसे चिकित्सा यात्रा, स्वास्थ्य पर्यटन अथवा वैश्विक स्वास्थ्य रक्षा भी कहा

जाता है) एक शब्द है जिसका प्रयोग स्वास्थ्य की देखभाल (हेल्थ केयर) के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर–पार यात्रा करने की तेजी से बढ़ रही प्रवृत्ति को वर्णित करने के लिए किया जाता है। यात्रियों द्वारा विशेष रूप से मांगी गई सेवाओं में इलेक्टिव प्रक्रियाओं के साथ–साथ जटिल विशिष्ट शल्य क्रियाएं जैसे कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट (घुटना/हिप) हृदय शल्य क्रिया, दंत शल्य क्रिया और कॉस्मेटिक शल्य क्रियाएं शामिल हैं। तथापि, मनोचिकित्सा, वैकल्पिक उपचार, स्वास्थ्य लाभ सहित वस्तुतः हर प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल भारत में उपलब्ध है।

4.4.2

भारत के अतिरिक्त अनेक एशियाई गंतव्य जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड हैं, जो मेडिकल केयर सुविधाएं प्रदान करते हैं और चिकित्सा पर्यटन का संवर्धन करते हैं। इनके मध्य भारत निम्नलिखित कारणों से श्रेष्ठ है :–

- नवोन्नत चिकित्सा सुविधाएं
- सुप्रसिद्ध हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स
- गुणवत्ता पूर्ण नर्सिंग सुविधाएं
- मेडिकल सेवाएं प्राप्त करने में कोई इंतजार नहीं
- भारत की पारम्परिक हेल्थ केयर थेरेपी जैसे कि आयुर्वेद और योग, एलोपेथी के साथ मिलकर एक समग्र निरोगता प्रदान करते हैं।

4.4.3

- चिकित्सा पर्यटन गतिविधि मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जाती है। प्रमुख बाजारों में इस

संकल्पना के विपणन और इसके संवर्धन के संबंध में पर्यटन मंत्रालय की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता के रूप में है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत का एक चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन गंतव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के संवर्धन के लिए ब्रोशर, सीडी एवं अन्य प्रचार सामग्री बनाई है और उसे लक्ष्य बाजारों में व्यापक रूप से वितरित किया है।
- चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, लंदन, आईटीबी, बर्लिन, अरेबियन ट्रैवल मार्ट (एटीएम) आदि में विशेष रूप से संवर्धन किया जा रहा है।
- "चिकित्सा वीजा" आरम्भ की गई है, जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को विशेष उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है।
- अगस्त–सितम्बर, 2012 में फिक्की के सहयोग से नेरोबी, केन्या और दार–ए–सलाम, तंजानिया में चिकित्सक पर्यटन पर एक अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया गया।
- फिक्की द्वारा चिकित्सा पर्यटन पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रोड शो भारत के चिकित्सा पर्यटन गंतव्य, 2013 (नाइजीरिया) 23 सितम्बर, को अबूजा में और 25 और 26 सितम्बर, 2013 को लागोस में पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया।
- पर्यटन मंत्रालय ने 26 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित की गई नेशनल कांफ्रेंस – भारत में स्वास्थ्य पर्यटन की भी सहायता की।

4.4.4

चिकित्सा पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन

पर्यटन मंत्रालय अनुमोदित चिकित्सा/पर्यटन मेलों/चिकित्सा सम्मेलनों/निरोगता सम्मेलनों/निरोगता मेलों और संबद्ध रोड शो (पीएमटी) में भाग लेने के लिए मार्केट विकास सहायता (एम.डी.ए.) प्रदान करता है। वर्ष 2009 के दौरान चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं एवं निरोगता पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए इस स्कीम का विस्तार किया गया। मार्केट विकास सहायता स्कीम के तहत अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं अर्थात ज्वाइंट कमीशन फॉर इंटरनेशनल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स (जेसीआई) और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स (एनएबीएच) द्वारा एक्रेडिटिड अस्पतालों के प्रतिनिधियों एवं चिकित्सा पर्यटन में संलग्न चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाताओं (पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ट्रेवल एजेंटों/टूर ऑपरेटरों) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सितम्बर, 2013 में नाइजीरिया में आयोजित "भारत चिकित्सा पर्यटन गंतव्य" में भाग लेने के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों को मार्किट विकास सहायता प्रदान की गई।

4.5

निरोगता पर्यटन

4.5.1

निरोगता पर्यटन अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने, संवर्धित करने अथवा अनुरक्षित करने और तंदरुस्ती के प्राथमिक उद्देश्य के लिए यात्रा के बारे में है। इसका तात्पर्य स्वास्थ्यप्रद, कम तनावपूर्ण जीवनशैली का संवर्धन अथवा जीवन में संतुलन हेतु नए तरीके खोजने के लिए प्रो–एक्टिव

होना है। स्वास्थ्य पर्यटन में भारत के लिए बहुत संभावना है। चिकित्सा की भारतीय पद्धतियां, जैसे कि आयुर्वेद, योग, पंचकर्म, कायाकल्प चिकित्सा आदि विश्व की चिकित्सा उपचार की अत्यन्त प्राचीन पद्धतियों में से है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा और हेल्थ केयर तुलनात्मक रूप से कम लागत पर प्रदान कर सकता है। अधिकांश होटलों/रिजॉर्टों में आयुर्वेद केन्द्र खोले जा रहे हैं। अग्रणी टूर प्रचालकों ने आयुर्वेद को अपने ब्रोशर में शामिल किया है।

4.5.2

पर्यटन मंत्रालय ने निरोगता पर्यटन के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए हैं। ये दिशा–निर्देश अन्य बातों के साथ–साथ उन्नत प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाने, सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू निरोगता संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेने सहित विभिन्न मामलों का समाधान करते हैं। मान्यता (एक्रीडिटेशन) प्रणाली के महत्व के विषय में निरोगता केंद्रों को संवेदनशील बनाने तथा पर्यटन मंत्रालय के विभिन्न संवर्धनात्मक प्रयासों के विषय में जानकारी देने के लिए देश भर में श्रृंखलाबद्ध रूप से सुग्राहीकरण (सेंसेटाइजेशन) कार्यशालाएं आयोजित की गई।

4.5.3

पर्यटन मंत्रालय अनुमोदित निरोगता केन्द्रों अर्थात एनएबीएच अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों के प्रतिनिधियों को मार्केट विकास सहायता योजना (एमडीए) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान भी करता है। मार्केट विकास सहायता चिकित्सा/पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, निरोगता सम्मेलनों, निरोगता मेलों और संबद्ध रोड शोज में भागीदारी के लिए है।

4.5.4

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में रोड शोज के माध्यम से विदेशी बाजारों में संवर्धन, ट्रैवल माट्र्स में भागीदारी, ब्रोशर्स, सीडी, फिल्म व अन्य प्रचार सामग्री तैयार करना शामिल है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन, आईटीबी, बर्लिन जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वास्थ्य पर्यटन का विशेष रूप से संवर्धन किया गया है।

4.5.5

पर्यटन मंत्रालय के "अतुल्य भारत अभियान" के अंतर्गत पिछले वर्षों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट

एवं आउटडोर मीडिया में योग/आयुर्वेद/निरोगता का संवर्धन किया गया है।

☒ 4.5.6

पर्यटन मंत्रालय ने निरोगता पर्यटन प्रदाता समिति का गठन किया है जिसमें निरोगता पर्यटन क्षेत्र के स्टेकहोल्डर और पर्यटन मंत्रालय सहित संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रतिनिधि, नेशनल वैलनेस एंड एक्रीडिटेशन बॉडीज जैसे एन.ए.बी.एच., आयुष के सदस्य और निरोगता उद्योग के स्टेकहोल्डर शामिल हैं। सचिव, पर्यटन मंत्रालय की अध्यक्षता में जून, 2012 में निरोगता पर्यटन प्रदाता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किए गए विचार–विमर्श में निरोगता केन्द्रों को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित करना, विदेशी बाजारों में रोड शोज के संवर्धन के लिए निरोगता परिपथों की पहचान करना, निरोगता पर्यटन के प्रभाव के अध्ययन के लिए डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का विकास, निरोगता पर्यटन के लिए मीडिया प्लान अक्टूबर, 2013 में जयपुर में आयोजित होने वाला मंत्रालय द्वारा समर्थित कार्यक्रम ग्लोबल स्पा और निरोगता सम्मेलन, 2013 की तैयारी करना शामिल है।

☒ 4.5.7

भारतीय गुणवत्ता परिषद ने एन.ए.बी.एच. के माध्यम से स्पा थेरेपिस्ट, ब्यूटिशनिस्टल और न्यूट्रिशिनिस्ट के प्रशिक्षण के लिए मॉडयूल को अंतिम रूप दिया है। प्रशिक्षण संस्थानों का पैनल बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

☒ 4.5.8

वर्ष 2013–14 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा समर्थित निरोगता समारोह

- ☒ दि ओबरॉय, गुड़गांव, हरियाणा में 4 से 7 अक्तूबर, 2013 तक ग्लोबल स्पा एवं वैलनेस सम्मिट।
- ☒ नई दिल्ली में 5 अगस्त, 2013 को फिक्की निरोगता कांफ्रेंस 2013।
- ☒ बैंगलुरू में 13 से 15 नवम्बर, 2013 तक सोकया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन हेल्थ फयूचर्स'।

4.6

गोल्फ पर्यटन

☒ 4.6.1

भारत में गोल्फ पर्यटन रोचक होता जा रहा है। गोल्फ पर्यटन में एक नवीनतम रूझान यह तथ्य है कि विश्व के युवाओं में इसके प्रति रूचि के स्तर में वृद्धि हो रही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक गोल्फ कोर्स हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में आयोजित गोल्फ प्रतियोगिताएं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करती हैं। अगले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत के पास यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सही उत्पाद हों। गोल्फ पर्यटन में इस बढ़ रही रूचि का दोहन करने के उद्देश्य से, त्वरित गति से वृद्धि कर रहे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की मजबूत स्थिति बनाने और संचालित किए जा रहे मौजूदा कार्य का लाभ प्राप्त करते हुए पर्यटन मंत्रालय भारत में गोल्फ पर्यटन के संवर्धन के लिए एक समग्र तथा समन्वित फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है।

☒ 4.6.2

पर्यटन मंत्रालय ने गोल्फ पर्यटन के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु दिशा–निर्देश बनाए हैं। ये दिशा–निर्देश अन्य बातों के साथ–साथ सेवा प्रदाताओं द्वारा क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू समारोहों संबंधित समारोहों, में भागीदारी तथा क्वालिटी प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाने सहित अनेक मामलों का समाधान करते हैं।

☒ 4.6.3

पर्यटन मंत्रालय ने भारत गोल्फ पर्यटन समिति (आई.जी.टी.सी.) का गठन किया है जो देश में गोल्फ पर्यटन के लिए नोडल निकाय है। वर्ष 2012–13 के दौरान आई.जी.टी.सी. द्वारा 23 गोल्फ संबंधित समारोहों को अनुमति दी गई और 4,31,16,488/– रूपए की राशि रिलीज की गई। भारत गोल्फ पर्यटन समिति (आई.जी.टी.सी.) की चौथी बैठक 26.11.2013 को आयोजित की गई।

☒ 4.6.4

पर्यटन मंत्रालय ने गोल्फ इवेंट, गोल्फ शो, गोल्फ संवर्धनात्मक कार्यशाला/इवेंट्स/वार्षिक बैठकों/सेमिनारों के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र गोल्फ क्लब, गोल्फ इवेंट मैनेजरों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/अनुमोदित टूर ऑपरेटरों/अनुमोदित ट्रेवल एजेंटों और कॉरपोरेट हाउसों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है ताकि इन्क्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत भारत के लिए और/अथवा उसके भीतर गोल्फ पर्यटन का संवर्धन किया जा सके तथा इन समारोहों को अंतर्राष्ट्रीय मानक हासिल करने के लिए इन्क्रेडिबल इंडिया ब्रांड के साथ सहयोग का अवसर प्रदान किया जा सके।

15 नवम्बर, 2013 और 30 जून, 2014 के मध्य आयोजित गोल्फ समारोहों, गोल्फ शोज, गोल्फ संवर्धनात्मक कार्यशालाओं/समारोहों/वार्षिक बैठकों/सेमिनारों के लिए ईओआई आमंत्रित की गई। ईओआई आमंत्रित करने के लिए नोटिस 14 अक्तूबर, 2013 को अग्रणी समाचार पत्रों में और पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट www.tourism.gov.in और www.eprocure.gov.in पर क्रमशः 14 एवं 17 अक्तूबर, 2013 को दिया गया। ईओआई के द्वारा प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन 26 नवम्बर, 2013 को आयोजित की गई बैठक में भारतीय गोल्फ पर्यटन समिति द्वारा किया गया।

4.7

पोलो पर्यटन

☒ 4.7.1

पोलो के खेल का उद्भव भारत में हुआ और भारत विश्व के उन कुछेक देशों में से एक है जहां कि इस खेल को बचाकर रखा गया है और अभी भी इसे खेला जाता है। दि कोलकाता पोलो क्लब, विश्व का सबसे पुराना पोलो क्लब है, और यह 150 वर्ष पुराना है। अतः पोलो को सही अर्थ में भारत का ''विरासत खेल'' कहा जा सकता है।

☒ 4.7.2

पर्यटन मंत्रालय भारतीय पोलो संघ के सहयोग से पोलो का संवर्धन करता है और इसने एक विशिष्ट पर्यटन उत्पाद के रूप में इस खेल के संवर्धन हेतु सहायता के विस्तृत क्षेत्रों की पहचान करते हुए दिशा–निर्देश तैयार किए हैं।

4.7.3

इस मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 के दौरान मणिपुर में मारगिंग पोलो केईना–खेबाचिंग (खोगीओम) हेतु एकीकृत मेगा पर्यटक परिपथ के विकास हेतु 4751.61 लाख रूपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की।

4.8

बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (एमआईसीई)

4.8.1

'समागमों और सम्मेलनों' को आज पर्यटन उद्योग के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मान्यता दी जा रही है। प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में बड़ी संख्या में सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। एक समागम गंतव्य के रूप में अधिक प्रभावी रूप से भारत का संवर्धन करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय के संरक्षण में यात्रा उद्योग ने 1988 में इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी) की स्थापना की जो एक नॉन–प्रोफिट संगठन है, जिसमें राष्ट्रीय एयरलाइनों, होटलों, ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं आदि के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं।

4.8.2

इंडिया कन्वेशन प्रोमोशन ब्यूरो के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसों एवं समागमों के लिए एक स्थल के रूप में भारत का संवर्धन करना।
- राष्ट्रीय उद्देश्यों के संदर्भ में कांग्रेस एवं समागमों की भूमिका एवं उनके लाभ के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सतत कार्यक्रम का संचालन करना।
- भारत के सम्मेलन उद्योग के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बाजार पर अनुसंधान करना।
- शैक्षणिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सामूहिक चर्चाओं, अध्ययन पाठ्यक्रमों और भारतीय संस्थाओं/संगठनों तथा संबद्ध विश्व संस्थाओं/संगठनों के दौरों के आदान–प्रदान के माध्यम से सम्मेलन उद्योग से जुड़े कार्मिकों को ज्ञान देना।

4.8.3

सम्मेलन एवं समागम के कार्य को बल देने के ब्यूरो के प्रमुख प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- भारत में सम्मेलन की सुविधाओं पर एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है जिसकी प्रतियां सदस्यों और भारतीय संघों को संवर्धनात्मक गतिविधियों/बोली लगाने आदि के लिए दी गई हैं।
- भारत के सम्मेलन की अवसंरचना को एक्सपोजर प्रदान करने के लिए ईआईबीटीएम, आईटी एवं सीएमए जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट्स में भागीदारी करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए बोली लगाने हेतु भारतीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- मई, 2013 में "कन्वेन्शंस इंडिया" माईस कॉन्क्लेव होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव के संयोजन में ब्यूरो द्वारा माइस मेनुअल भी प्रकाशित किया गया।
- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में विभिन्न केंद्रों में उपलब्ध समागम सुविधाओं पर विस्तृत जानकारी देने वाली सीडी–रोम तैयार की है।
- 21–23 अगस्त, 2012 तक इंडिया एक्सपोजिसन मार्ट लि. ग्रेटर नोएडा में 7वें कन्वेंशन इंडियन कन्क्लेव 2012 आयोजित किया गया।

4.8.4

पर्यटन मंत्रालय ने आई.सी.पी.बी. के "सक्रिय सदस्यों" को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/समागमों में बोली लगाने के लिए मार्केट विकास सहायता (एम.डी.ए.) स्कीम के अंतर्गत लाभ देने के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए हैं ताकि देश में अधिक माइस व्यापार लाया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत, एसोसिएशन/सोसाइटी को निबंधन और शर्तों के अधीन बोली की प्रक्रिया में बोली के विजेता

होने या दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

☒ 4.8.5

देश में विभिन्न केन्द्रों पर व्यवसायिक होटलों और रिजार्ट आवासीय और अन्य सम्मेलन सहायक सुविधाएं प्रदान करते हैं।

☒ 4.8.6

वर्ष 2013–14 में माइस के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई पहलें :

- ☒ भारत कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो के सदस्यों के लिए 12 और 13 जुलाई, 2013 को माइस (एमआईसीई) पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा विस्तारित की गई मार्किट विकास सहायता स्कीम पर एक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- ☒ पर्यटन मंत्रालय ने ईआईबीटीएम, बर्सिलोना 2013 में भाग लिया। इस समारोह में आईसीपीबी के 20 से अधिक सदस्यों ने भी देश का प्रतिनिधित्व किया।

4.9

ईको पर्यटन का संवर्धन

☒ 4.9.1

पर्यटकों की बढ़ रही मांग पहले ही हमारे प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों पर दवाब डाल रही है। यदि पर्यटन को पारिस्थितकीय रूप से सतत् विकसित करने और समग्र पर्यावरण के अनुरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। इको पर्यटन (इसे पारिस्थितिक पर्यटन के नाम से भी जाना जाता है) नाजुक, प्राचीन तथा सामान्यतया संरक्षित क्षेत्रों की जिम्मेदारी पूर्ण यात्रा है, जिसका प्रयास (अक्सर) छोटे पैमाने पर बेहद हल्का प्रभाव डालना होता है। इसका उद्देश्य यात्रियों को शिक्षित करना, पारिस्थितिक संरक्षण के लिए निधियां प्रदान करना, स्थानीय समुदायों का प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास करना और राजनीतिक सशक्तिकरण का लाभ देना तथा विविध संस्कृतियों एवं मानवाधिकारों के प्रति आदर को बढ़ावा देना है। इको पर्यटन के भागीदारों ने इसे काफी महत्व प्रदान किया है, ताकि भावी पीढ़ी मानव के दखल से अपेक्षाकृत अछूते पर्यावरण के पहलुओं का अनुभव प्राप्त कर सके।

☒ 4.9.2

पारिस्थितिक रूप से सतत पर्यटन के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय पर्यावरणीय समेकन के अनुरक्षण पर काफी बल दे रहा है।

☒ 4.9.3

मंत्रालय इको पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता देता है:

- ☒ इसमें स्थानीय समुदाय को शामिल करना चाहिए और इसके फलस्वलरूप क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास होना चाहिए।
- ☒ इसे इको–पर्यटन के लिए संसाधन के उपयोग और स्थानीय निवासियों की आजीविका के मध्य संभावित संघर्ष की पहचान करना और ऐसे संघर्षों को न्यून करने का प्रयास करना चाहिए।
- ☒ इको पर्यटन के विकास के प्रकार एवं पैमाने पर्यावरण तथा स्थानीय समुदाय की सामाजिक–सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप होने चाहिए। और
- ☒ इसका नियोजन समग्र क्षेत्र विकास नीति के रूप में होना चाहिए जिसे अंतर क्षेत्रीय संघर्ष को टालते हुए और जन सेवाओं के अनुरूप विस्तारण के साथ संबद्ध क्षेत्रीय एकीकरण सुनिश्चित करते हुए समेकित भूमि उपयोग द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

☒ 4.9.4

पर्यटन गतिविधियों के लिए टाइगर रिजर्व को खोला जाना

- ☒ उच्चतम न्यायालय ने 24 जुलाई, 2012 के अपने अंतरिम प्रतिबंध आदेश को खारिज करते हुए 8 अक्तूबर, 2012 को रिजर्व और सैंक्चुरी के कोर क्षेत्रों में टाइगर पर्यटन पर प्रतिबंध हटा लिया है और कोर क्षेत्रों में पर्यटन की अनुमति प्रदान कर दी है। पर्यटन मंत्रालय ने इस कदम का स्वागत किया है।

☒ 4.9.5

बाघ संरक्षणों में और उनके आस–पास पर्यटन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देशों में पर्यटन मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मामलों एवं सरोकारों का संज्ञान लिया गया है। पर्यटन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व एसएलपी (सिविल) सं. 21399/2011 के लिए याचिका में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.08.2012 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38 और लागू अन्य कानूनों के अंतर्गत दिशा–निर्देशों के एक व्यापक सेट को तैयार करने के लिए गठित समिति में किया गया।

समिति में चर्चा के दौरान पर्यटन मंत्रालय का मत देश के संरक्षित क्षेत्रों में नियंत्रित पर्यटन के लिए था। पर्यटन को वैज्ञानिक वहनीय क्षमता और सततता सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए। पर्यटन मंत्रालय बाघ रिजर्व सहित संरक्षित क्षेत्रों में पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है। संरक्षित क्षेत्रों हेतु इको–पर्यटन दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप देने में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय तरीकों/श्रेष्ठ राष्ट्रीय तरीकों को ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न देशों में वन्य जीवन हेतु संरक्षण के प्रयासों में संरक्षित क्षेत्रों में विनियमित एवं नियंत्रित पर्यटन को वैश्विक तौर पर सामान्यतः सहायक माना गया है।

इको विकास और स्थानीय समुदाय के उन्नयन कार्य हेतु टैरिफ शुल्क के साथ प्रत्येक आवास यूनिट की बेड क्षमता के आधार पर अब दिशा–निर्देश पर्यटन उद्योग से संरक्षण शुल्क की अनुमति प्रदान करता है। यह आतिथ्य उद्योग हेतु वांछनीय शर्त है।

अब दिशा–निर्देश कोर क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधि संचालित करने के लिए सहायता भी देता है और उसमें यह भी उल्लेख किया गया कि चालू पर्यटन जोन में जहां केवल पर्यटक यात्राओं की अनुमति है और जहां किसी प्रकार का उपभोग नहीं है, वहां टाइगर घनत्व और रिक्रूटमेंट प्रभावित होता प्रतीत नहीं होता है। इस कारण से कोर संवेदनशील हैबिटाट के 20 प्रतिशत तक को पर्यटन जोन के रूप में अनुमति देने से टाइगर बॉयोलाजी आवश्यकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जोकि यह इन दिशा निर्देशों के सभी निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर है।

पर्यटन मंत्रालय इन दिशा–निर्देशों को पर्यटन और वन्य जीवन के सह–अस्तित्व के रूप में देखता है तथा इको–पर्यटन के समग्र विकास के लिए राज्य सरकारों और सभी स्टेकहोल्डरों से दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का आग्रह करता है।

☒ 4.9.6

होटलों द्वारा इको–फ्रेंडली उपाय अपनाए जाएंगे

☒ 4.9.7

पर्यटन मंत्रालय ने कार्यान्वयन के चरण में होटल परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए दिशा–निर्देश और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत चालू होटलों के वर्गीकरण हेतु दिशा–निर्देश बनाए हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना चरण में ही होटलों द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आदि जैसे विभिन्न इको–फ्रेंडली उपायों को शामिल करना अपेक्षित है।

☒ 4.9.8

होटल के एक बार चालू होने के बाद वह मंत्रालय की होटल एंड रेस्टोरेंट अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति (एचआरएसीसी) के समक्ष सितारा श्रेणी के अधीन वर्गीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। एचआरएसीसी समिति द्वारा होटल के वास्तविक निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, होटल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण, रेफ्रिजरेशन और एयरकंडीशनिंग के लिए नॉन – सीएफसी उपकरणों की शुरूआत, ऊर्जा और जल संरक्षण के लिए उपायों जैसे अन्य उपाय भी किए जाए।

परियोजना स्तर और चालू होटलों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण हेतु दिशा–निर्देशों के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि पहाड़ी और पर्यावरणीय दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों में होटल भवनों की वास्तुकला की निरंतरता और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखा जाए और जहां तक संभव हो, स्थानीय लोकाचार के अनुसार तथा स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जाए।

4.10

सतत पर्यटन का संवर्धन

मंत्रालय ने भारत के पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के सभी 14 क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक संचालन समिति गठित की है। संचालन समिति ने सतत पर्यटन मानदंडों के निर्माण के लिए विस्तार से चर्चा की। समिति ने आवास क्षेत्र और टूर ऑपरेटर क्षेत्र के लिए सतत पर्यटन मानदंडों और संकेतकों को अंतिम रूप दिया है क्योंकि ये दोनों पर्यटन उद्योग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर हैं। एक बार अपनाए जाने के बाद इन्हें भारत के यात्रा व्यवसाय और आतिथ्य उद्योग के सभी संगठनों को अपनाना होगा।

4.10.1

वर्ष 2013–14 में सतत पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई पहलें :

वर्ष 2013–14 के रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित सम्मेलनों को समर्थित/आयोजित किया :

- इको–पर्यटन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 18 से 19 अप्रैल, 2013 तक सतत पर्यटन पर भोपाल अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस 2013 पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई।
- सतत् पर्यटन विकास पर हैदराबाद में 12 से 14 अप्रैल, 2013 तक यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन (यूएनडब्ल्यूटीओ) कमीशन की कांफ्रेंस आयोजित की गई।
- आरएफडी के अनुसार पर्यटन मंत्रालय ने समुद्रतटों, बैकवाटर झीलों एवं नदियों के लिए सतत् पर्यटन मानदंड बनाने के लिए सभी प्रमुख स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों वाली समिति गठित की है। इस उद्देश्य के लिए गठित समिति ने 11 दिसम्बर, 2013 को भारत पर्यटन सतत मानदंड तैयार किया जिनमें समुद्रतटों, बैकवाटर झीलों और नदियों के लिए सिद्धांतों और संकेतकों का ब्यौरा हो।

4.11

फिल्म पर्यटन

4.11.1

पर्यटन मंत्रालय ने 'फिल्म् पर्यटन' के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देश (25 जुलाई, 2012) जारी किए हैं।

4.11.2

भारत को एक फिल्मांकन गंतव्य– के रूप में स्थापित करने के एक प्रयास के रूप में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों जैसे आईएफएफआई, गोवा, यूरोपियन फिल्मस मार्किट, कॅन्स फिल्म फेस्टिवल और विदेशी बाजारों में 'इंक्रेडिबल इंडिया' के उप–ब्रांड के रूप में भारत के सिनेमा को संवर्धित करने के लिए, पर्यटन और फिल्म उद्योग के मध्य तालमेल बनाने और भारतीय तथा ग्लोबल फिल्म उद्योग के मध्य साझेदारी के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आईएंडबी) ने 16 फरवरी, 2012 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

4.11.3

वर्ष 2013 में फिल्म् पर्यटन के संवर्धन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय ने मई में कॅन्स फिल्म फेस्टिवल, 20 से 30 नवम्बर तक गोवा में आयोजित 44वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और 20 से 24 नवम्बर तक पणजी, गोवा में आयोजित फिल्म बाजार, 2013 को समर्थन दिया।

पर्यटन मंत्रालय ने सर्वाधिक फिल्म संवर्धन हितैषी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी आरंभ किया।

4.12

वर्ष 2013–14 के लिए रिजल्ट फ्रेमवर्क

डाक्यूमेंट के अनुसार निश पर्यटन प्रभाग द्वारा हासिल किए गए लक्ष्यों का सार।

निश पर्यटन प्रभाग ने पहले ही 11 कार्यक्रमों को समर्थन दिया है जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :

- फिल्म पर्यटन के संवर्धन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत 15 से 26 मई, 2013 तक आयोजित कैन्स फिल्म महोत्सव को समर्थन।
- बैठकें, प्रोत्साहन, समागम और प्रदर्शनी (माइस) पर्यटन के संवर्धन हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त मार्केट विकास सहायता स्कीम पर इंडिया कन्वेनशन प्रोमोशन ब्यूरो के सदस्यों हेतु 12 और 13 जुलाई, 2013 को एक प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित हुआ।
- 5 अगस्त, 2013 को नई दिल्ली में फिक्की निरोगता सम्मेलन, 2013 आयोजित हुआ जिसमें निरोगता पर्यटन का संवर्धन किया गया।
- चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन हेतु पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग से फिक्की द्वारा 23 सितम्बर को आबूजा में और 25 से 26 सितम्बर, 2013 को लागोस में भारतीय चिकित्सा पर्यटन गंतव्य, 2013 (नाइजीरिया) का आयोजन किया गया।
- चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन के संवर्धन हेतु 26 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कार्मस द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन– भारत में स्वास्थ्य पर्यटन आयोजित किया गया।
- रोमांचकारी पर्यटन के संवर्धन के लिए 27 सितम्बर, 2013 को नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय ने 'अतुल्य भारतीय हिमालय के 777 दिन' अभियान को शुरू किया।
- 4 से 7 अक्टूबर, 2013 तक गुडगांव में ग्लोबल स्पा एंड वेलनेस सम्मिट (जीएसडब्ल्यूएस) आयोजित हुआ जिसमें भारत के प्रति निरोगता पर्यटन का संवर्धन किया गया।
- फिल्म पर्यटन के संवर्धन हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत 20 से 30 नवम्बर, 2013 तक गोवा में हुए 44वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव को समर्थन दिया गया।
- फिल्म पर्यटन के संवर्धन हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत 20 से 24 नवम्बर, 2013 तक पणजी, गोवा में हुए फिल्म बाजार 2013 को समर्थन दिया गया।
- गोल्फ पर्यटन के संवर्धन हेतु दिल्ली गोल्फ क्लब में 6 से 10 नवम्बर, 2013 तक हीरो इंडियन ओपन 2013 का आयोजन हुआ।
- गोल्फ पर्यटन के संवर्धन हेतु दिल्ली गोल्फ क्लब पर 28 से 30 नवम्बर, 2013 तक हीरो विमन्स इंडियन ओपन 2013 का आयोजन हुआ।

4.13

आरएफडी के खंड 1.6.1 के तहत निश पर्यटन प्रभाग ने निम्नलिखित दो कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलन संचालित किए/उनका समर्थन किया :

- पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग से 18 से 19 अप्रैल, 2013 तक भारत की इको–पर्यटन सोसाइटी द्वारा सतत पर्यटन पर भोपाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2013 का आयोजन किया गया।
- 12 से 14 अप्रैल, 2013 तक हैदराबाद में सतत पर्यटन विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) आयोग के सम्मेलन का आयोजन किया गया।

4.14

राज्यों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से बैकवाटर पर्यटन हेतु सतत पर्यटन के लिए गाइडलाइनों/सूचकांकों/पैरामीटरों को तैयार करने के संबंध में आरएफडी के खंड 1.6.2 के तहत पर्यटन मंत्रालय ने तटों, बैकवॉटर, झीलों एवं नदियों हेतु भारत के लिए सतत पर्यटन मापदंड तैयार करने हेतु सभी प्रमुख स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधित्व वाली समिति का गठन किया है। इस उद्देश्य हेतु गठित समिति ने 11 दिसम्बर, 2013 को तटों, बैकवॉटर, झीलों एवं नदियों हेतु सिद्धांतों एवं निर्देशों का विवरण देते हुए भारत हेतु सतत पर्यटन मापदंड तैयार किया है।

अध्याय-5

होटल एवं यात्रा व्यवसाय

5.1

होटल परियोजनाओं के लिए आतिथ्य विकास एवं संवर्धन बोर्ड (एचडीपीबी)

होटलों का निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का क्रियाकलाप है, जिसमें ज्यादा पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और जिसके निर्माण की अवधि लंबी होती है। उच्च लागत और भूमि की सीमित उपलब्धता के अतिरिक्त होटल उद्योग द्वारा जिस एक समस्या का सामना किया जा रहा है वह होटल परियोजनाओं के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार एजेंसियों से विविध प्रकार की वलीयरेंस/अनुमोदन प्राप्त करना है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब और लागत में वृद्धि होती है। होटल उद्योग की उपर्युक्त समस्या का निराकरण करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य विकास एवं संवर्धन बोर्ड (एचडीपीबी) की स्थापना की है। इस बोर्ड के मुख्य कार्य में होटल परियोजनाओं का केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों स्तर पर वलीयरेंस/अनुमोदनों को सरल बनाना एवं मॉनीटरिंग करना शामिल है। यह बोर्ड होटल परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न वलीयरेंस/अनुमोदनों हेतु आवेदन प्राप्त करने, होटल परियोजना प्रस्तावों का समयबद्ध तरीके से निपटान करने और देश में होटल/आतिथ्य अवसंरचना की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए होटल परियोजना नीतियों के पुनरीक्षण के लिए एकल बिन्दु होगा। तथापि, यह बोर्ड अन्य एजेंसियों के सांविधिक वलीयरेंसों का किसी भी तरह से अधिक्रमण नहीं करेगा, बल्कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों/प्राधिकरणों के साथ निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर की जाने वाली बैठकों के द्वारा होटल परियोजनाओं के वलीयरेंस की समीक्षा एवं मॉनीटरिंग करेगा। एचडीपीबी मंत्रालय में जनशक्ति की कमी के कारण वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है।

5.2

होटलों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

पर्यटकों के विभिन्न वर्गों विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के स्तर के अनुकूल होने के विचार से संभावित मानकों के अनुरूप पर्यटन मंत्रालय सितारा रेटिंग व्यवस्था के अंतर्गत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक से पांच सितारा तक, पांच सितारा डीलक्स और हेरिटेज होटलों की सात श्रेणियों में होटलों की रेटिंग दी जाती है। हेरिटेज होटलों की श्रेणी की शुरुआत 1994 में की गई थी। यह वर्गीकरण होटलों के निरीक्षण के आधार पर किया जाता है, जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा गठित होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति (एचआरएसीसी) द्वारा किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय ने समय–समय पर आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं के समाधान के लिए होटल परियोजनाओं के अनुमोदन एवं सितारा श्रेणी होटलों के वर्गीकरण हेतु दिशा–निर्देशों की समीक्षा की है एवं उनमें संशोधन किया है। संशोधित दिशा–निर्देशों ने ईको–फ्रेंडली / ऊर्जा बचत उपायों, अन्यथा सक्षम लोगों के लिए सुविधाओं एवं सुरक्षा और संरक्षा के विषयों से संबंधित मामलों को हल करने का प्रयास किया है। कुछ नई विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अन्यथा सक्षम व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उपाय एवं सुविधाएं, जिसमें अटैच बाथ रूम के साथ समर्पित कमरे, निर्धारित पार्किंग, रैम्प, सार्वजनिक क्षेत्रों में निर्बाध पहुंच, लॉबी लेवल में निर्धारित शौचालय (यूनीसेक्स) आदि (ii) विद्यमान वर्गीकृत होटलों और नई परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल पद्धति को अपनाना होगा, (iii) 'सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध एवं व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण का

विनियमन) अधिनियम, 2003" के अंतर्गत प्रावधानों की अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन के अतिरिक्त होटलों में धूम्रपान और धूम्रपान निषेध क्षेत्रों को अलग–अलग करना, (iv) सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी विषयों अर्थात् बैगेज की स्कैनिंग के लिए एक्स–रे मशीन, सीसीटीवी, वाहनों के लिए अन्डर बैली स्कैनर, स्टाफ एवं सेवा प्रदाताओं का सत्यापन, हैंड एवं बैगेज स्कैनर इत्यादि का समाधान करने के उपायों का कार्यान्वयन (v) सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन के लिए नियमों के पालन करने की वचनबद्धता प्रदान करना (vi) हुनर से रोजगार स्कीम के अंतर्गत अल्प कालीन कौशल विकास कोर्स में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना (vii) चार सितारा, पांच सितारा, डीलक्स, हेरिटेज क्लासिक एवं हेरिटेज ग्रांड श्रेणी के होटलों के लिए जहां बार चलाने की अनुमति स्थानीय नियमों अथवा होटल वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण आदि आधार पर दी जाती है वहां बार लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। एक से तीन सितारा श्रेणी में कार्य कर रहे होटलों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण की चल रही प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए निरीक्षण हेतु दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, गुवाहाटी एवं चेन्नई में पांच क्षेत्रीय समितियां भी गठित की गई हैं।

5.3

परियोजना अनुमोदन, वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण और संबंधित सेवाओं हेतु पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को प्रारंभ करना

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लाने के उद्देश्य से होटल परियोजनाओं, वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण और संबंधित सेवाओं हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए दिनांक 3.04.2013 को वेब आधारित पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम (पीएसडीएस) शुरू किया। इस प्रणाली की सहायता से होटल परियोजनाओं, वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण और संबंधित सेवाओं हेतु अनुमोदन मांगने वाले सभी आवेदक रियल टाइम आधार पर अपने आवेदनों की ऑनलाइन प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे। पर्यटन मंत्रालय सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर ऐसे सभी आवेदनों पर अंतिम निर्णय देने का प्रयास करता है।

5.4

होटलों के वर्गीकरण और पुनः वर्गीकरण हेतु दिशा–निर्देशों में संशोधन

हाल ही में सरकार ने वर्तमान पर्यटन परिदृश्यक का अध्ययन किया और 4 सितम्बर, 2013 से होटलों के वर्गीकरण और पुनः वर्गीकरण हेतु दिशा–निर्देशों को संशोधित किया। दिशा–निर्देशों का संशोधन होटलों की सेवाओं को उच्च स्तर प्रदान करेगा और ग्राहकों के आने पर या उनके आने से पहले उनको उपलब्ध अधिकारों की जानकारी से भी अवगत कराएगा। आशा है कि संशोधित दिशा–निर्देश होटलों को ग्राहक अनुकूल एवं सत्कारशील बनाएगा। दिशा–निर्देशों में हुए मुख्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

5.4.1

सभी होटलों को अपनी वेबसाइट पर 'अतिथियों को दी जाने वाली सुविधाएं एवं साधन' शीर्ष के तहत 'निःशुल्क' जैसे काम्प्लिमेंटरी ब्रेकफास्ट (व्यापक वर्गीकरण जैसे भारतीय नाश्ता कांटिनेंटल ब्रेकफास्ट या अमेरिकन ब्रेकफास्ट दर्शाते हुए), आयरन एवं आयरन बोर्ड सुविधा, शू पालिशिंग सुविधा, शू हार्न और स्लिपर, अन्य 'मुफ्त' सुविधाएं जैसे डेंटल किट, शेविंग किट आदि को स्पष्ट, रूप से दर्शाना चाहिए। यदि कोई सुविधा केवल 'अनुरोध पर' दी जाती हैं परंतु वह कमरे के शुल्क में शामिल होती है, तो इसका होटल की वेबसाइट पर 'काम्प्लिमेंटरी आधार पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं साधन' शीर्ष के तहत उल्लेख किया जाना चाहिए और इसका उल्लेख अतिथि को तब किया जाना चाहिए जब होटल स्टाफ उनके आगमन पर कमरों के संबंध में जानकारी देते हैं। यदि 'काम्प्लिमेंटरी' नाश्ता बफेट नहीं है, तब अतिथि को सभी काम्प्लिमेंटरी खाद्य पदार्थों के नामों की अंग्रेजी की सूची दिखाई जानी चाहिए।

5.4.2

सभी स्टार होटल–वॉटर स्प्रे या बिडेट्स या वॉश लेट्स या अन्य आधुनिक पानी आधारित पोस्ट.–टायलेट–पेपर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करेंगे। यह शर्त सभी नए होटलों पर लागू होगी जोकि दिनांक 1.4.2016 से कार्य करना प्रारम्भ करेंगे। वह होटल जिन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है या जो दिनांक 31.3.2016 से पहले कार्य करना शुरू कर देंगे, के लिए यह सुविधा दिनांक 1.4.2022 से अनिवार्य हो जाएगी।

5.4.3

4 सितारा, 5 सितारा एवं 5 सितारा डिलक्स श्रेणी में सभी होटल टॉयलट सीट से एक हाथ की दूरी पर एक टेलीफोन उपलब्ध कराएंगे। यह शर्त उन सभी नए होटलों पर लागू होगी जोकि दिनांक 1.4.2016 से कार्य करना शुरू कर देंगे। वह होटल जिन्हों ने कार्य करना शुरू कर दिया है या जो दिनांक 31.3.2016 से पहले कार्य करना शुरू कर देंगे, के लिए यह दिशा–निर्देश दिनांक 1.4.2022 से लागू होंगे।

5.4.4

सभी सितारा होटल टेबल तक की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर यूएस, यूरोपियन समुदाय और जापानी प्लग को हैंडल करने में सक्षम होने वाले कम–से–कम दो मल्टी–पर्पस सॉकेट प्रदान करेंगे। अतिथि के लिए यह संभव होना चाहिए कि वह लैपटॉप और सेल फोन एक साथ चार्ज कर सके। यह शर्त उन सभी नए होटलों पर लागू होगी जोकि दिनांक 1.4. 2016 से कार्य करना शुरू कर देंगे। वह होटल जिन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है या जो दिनांक 31.3.2016 से पहले कार्य करना शुरू कर देंगे, के लिए यह दिशा–निर्देश दिनांक 1.4.2022 से लागू होंगे। हालांकि, जब तक कि यह सुविधा नियमित आधार पर प्रदान की जाएगी, तब तक सभी सितारा होटलों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अनुरोध पर मल्टी–सॉकेट अडेपटर प्लग प्रदान करें।

5.4.5

सभी 4 सितारा, 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स होटलों को काम्प्लिमेंट्री आधार पर कमरे में चाय/कॉफी बनाने की सुविधा प्रदान करनी होगी। आयरन और आयरन बोर्ड की सुविधा 1 से 3 सितारा श्रेणी होटलों के कमरे में काम्प्लिमेंट्री आधार पर और 4 सितारा, 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स होटलों के कमरे में काम्प्लिमेंट्री आधार पर अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उल्लेख होटल की वेबसाइट पर काम्प्लिमेंट्री आधार पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं साधन शीर्ष के तहत किया जाएगा और चैक–इन करते समय अतिथि को भी इसके बारे में बताया जाएगा।

☒ 5.4.6

सभी 3 सितारा, 4 सितारा, 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स होटल कान्सिलमेंट्री आधार पर कमरे में हेयर ड्रायर सुविधा प्रदान करेंगे। 1 सितारा और 2 सितारा में यह सुविधा कान्सिलमेंट्री आधार पर अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

☒ 5.4.7

सभी 3 सितारा होटलों में मिनी फ्रिज की सुविधा होगी और सभी 4 सितारा, 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स में 1.4.2014 से मिनी बार की सुविधा होगी।

☒ 5.4.8

4 सितारा और 4 सितारा से कम की श्रेणी हेतु लाउंज या लॉबी के सिटिंग एरिया में ड्यूटी पर डोर मैन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि, ऐसे क्षेत्रों में ड्यूटी पर स्टॉफ की उपस्थिति 24X7 हर समय अनिवार्य होगी।

☒ 5.4.9

एक से चार सितारा श्रेणियों के तहत वर्गीकरण हेतु यूटिलिटी किओस्क/शॉप का होना अनिवार्य शर्त नहीं होगी। 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स श्रेणियों के लिए एक यूटिलिटी किओस्क या दुकान अनिवार्य होगी। अलग से किसी किताब की दुकान का होना अनिवार्य नहीं होगा।

☒ 5.4.10

एयर–कंडीशनिंग वाले सामान्य क्षेत्र जैसे लॉबी, रेस्तरां, बरामदा, बार जोकि बीच, लेक, बैकवाटर, नदी, पहाड़ी पर्वत, वन या नेचर होटलों या रिसार्ट हेतु एक या अधिक ओर से प्रकृति के लिए खुले हैं, वहां ऐसा होना अनिवार्य नहीं है।

☒ 5.4.11

सभी 4 सितारा, 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स होटल अपने स्वीमिंग पूल के पास दर्शाने हेतु तीन इंच या अधिक आकार के अंकों के साथ लूमिनस एलईडी वाले वाल क्लॉक प्रदान करेगा।

☒ 5.4.12

सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट उन होटलों हेतु अनिवार्य शर्त नहीं होगी जिन्होंने दिनांक 1.4.2012 से पहले निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है।

☒ 5.4.13

सभी 4 सितारा, 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स होटलों को दिनांक 1.4.2015 तक ब्लेक आउट करटेन लगाने चाहिएं।

☒ 5.4.14

सभी 4 सितारा, 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स होटलों को दिनांक 1.4.2015 तक दो बड़े सूटकेस हेतु पोर्टेबल या फिक्सड लगेज रैक प्रदान करना चाहिए। इसका उल्लेख होटल की वेबसाइट पर 'कान्सिलमेंट्री आधार पर सुविधाओं एवं साधन' शीर्ष के तहत किया जाना चाहिए और चैक–इन करते समय अतिथियों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए।

☒ 5.4.15

सभी सितारा होटलों के बाथरूम में न्यूनतम 3 गार्मेंट के लिए हुक होने चाहिएं।

☒ 5.4.16

सभी 4 सितारा, 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स होटल एक तिजोरी प्रदान करेंगे।

5.5

हेरिटेज होटल

हेरिटेज होटलों की लोकप्रिय धारणा की शुरूआत सन् 1950 से पूर्व निर्मित पुराने महलों, हवेलियों, दुर्गों, किलों और आवासों को आवासीय ईकाइयों में परिवर्तित करने के लिए की गई क्योंकि यह बीते युग के परिवेश एवं जीवन–शैली को पुनः प्रस्तुत करते हैं। ऐसे होटलों पर लागू दिशा–निर्देशों के अनुसार सुविधाओं एवं सेवाओं के मानकों के आधार पर इनको तीन श्रेणियों अर्थात् हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक एवं हेरिटेज ग्रैंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

5.6

स्टैंडअलोन रेस्तरां का अनुमोदन

उत्कृष्ट रेस्तरां, विश्वसनीय भोजन एवं व्यंजनों की विविधता, विशेषकर देश के विभिन्न राज्यों के व्यंजन, घरेलू एवं विदेशी दोनों पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और ये समृद्ध पर्यटन अनुभव प्रदान करते हैं। तदनुसार, मंत्रालय ने स्टैंडअलोन रेस्तरां के अनुमोदन के लिए योजना को पुनः शुरू किया है।

5.7

अपार्टमेंट होटलों हेतु दिशा–निर्देश

अपार्टमेंट होटल, बिजनेस पर्यटकों जो किसी नियत कार्य या पारिवारिक छुट्टियों इत्यादि हेतु भारत आते हैं, के मध्य अत्यंत लोकप्रिय हो रहे हैं, जिनके अवकाश कभी–कभी महीनों तक के होते हैं। पर्यटकों को मानकीकृत, विश्वस्तरीय सेवाएं प्रदान करने के विचार से मंत्रालय ने पांच सितारा डिलक्स, पांच सितारा, चार सितारा एवं तीन सितारा श्रेणियों में पूरी तरह से कार्य कर रहे अपार्टमेंट होटलों के वर्गीकरण हेतु एक स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

5.8

गेस्ट हाउसों का अनुमोदन

घरेलू एवं विदेशी दोनों बजट पर्यटकों हेतु होटल आवास की सप्लाई में वृद्धि करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और उन्नत सुविधाओं एवं व्यवहारों के कुछेक मानकों की पूर्ति के लिए गेस्ट हाउसों के अनुमोदन हेतु दिशा–निर्देशों की समीक्षा एवं संशोधन किया है। संशोधित दिशा–निर्देशों का उद्देश्य बदलती हुई आवश्यकताओं एवं सुरक्षा तथा संरक्षा संबंधी मामलों का समाधान करना है। स्वच्छता, स्वास्थ्य, साफ–सफाई और पेस्ट कंट्रोल के उपायों पर जोर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गेस्ट हाउसों और अन्य प्रकार की आवास इकाइयां अनुमोदित की जाती हैं, यदि वे सुविधाओं और सेवाओं के निश्चित मानकों को पूरा करती हैं। ऐसे उपायों से न केवल बजट श्रेणी में होटल आवास में पर्याप्त वृद्धि होती है अपितु राज्यों के लिए रोजगार एवं राजस्व सृजन भी होता है।

5.9

टाईमशेयर रिजॉर्ट का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

टाईमशेयर के नाम से लोकप्रिय पर्यटक आवास के लेश्जर, हॉलिडेज एवं फैमिली हॉलिडेज के लिए वेकेशन ओनरशिप की बढ़ती लोकप्रियता के विचार से मंत्रालय ने तीन सितारा, चार सितारा एवं पांच सितारा श्रेणियों के अंतर्गत टाईमशेयर रिजार्ट (टी.एस.आर.) के वर्गीकरण हेतु स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

5.10

अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे योजना

यह योजना विदेशी और घरेलू पर्यटकों को स्वच्छ एवं वहनीय जगह पर भारतीय परिवार के साथ रहने तथा स्नेहपूर्ण आतिथ्य एवं भारतीय संस्कृति तथा व्यंजनों के स्वाद का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है। ऐसी स्थापनाओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करने एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के विचार से भी पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में योजना की समीक्षा की है और कुछेक मानकों में संशोधन करके दिशा–निर्देशों को सरल बनाया है।

5.11

स्टैंडअलोन एयर केटरिंग यूनिटों का अनुमोदन

पर्यटन मंत्रालय एयर केटरिंग खंड में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने हेतु देश में स्टैंडअलोन एयर केटरिंग यूनिटों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण करता है।

5.12

समागम केन्द्रों का अनुमोदन

बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनियाँ (माईस) पर्यटन उद्योग के महत्वपूर्ण खंड हैं। वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से उच्च वृद्धि करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में माईस पर्यटन में बढ़ोतरी होनी अवश्यम्भावी है और इस मांग को पूरा करने के

लिए देश में और अधिक समागम एवं प्रदर्शनी केन्द्रों की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित एवं सुविधाओं को मानकीकृत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय समागम केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान करता है।

5.13

टेंट वाले आवास का वर्गीकरण

पर्यटक गंतव्यों विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में आवास की बेहद कमी है। अतः पर्यटकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने कैंपिंग सुविधाओं और टेंट वाले आवास की दो श्रेणियों अर्थात् स्टैंडर्ड एवं डिलक्स के लिए परियोजना अनुमोदन एवं वर्गीकरण की एक स्वैच्छिक योजना शुरु की है।

5.14

कारवां पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में कारवां नीति की शुरूआत की है। कारवां वाहन विशेष रूप से यात्रा, लेशजर और आवास के उद्देश्य से प्रयोग करने के लिए बनाए गए वाहन हैं। इसमें रिक्रिएशनल व्हीकल (आर.वी.), कैम्परवैन, मोटर होम्स आदि शामिल हैं। कारवां अनुपम पर्यटन उत्पाद है, जो ऐसे परिपथों/गंतव्यों पर परिवार अनुकूल यात्राओं को प्रोत्साहित करते हैं, जहां पर्याप्त होटल आवास नहीं हैं। अभिनिर्धारित परिपथों में पर्याप्त कारवां पार्कों का होना कारवां पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है। कारवां पार्क वह स्थल है, जहां आवंटित जगहों पर कारवां पूरी रात रह सकते हैं। ऐसे अभिनिर्धारित जगहों पर कारवां और पर्यटकों हेतु आधारभूत या आधुनिक साधन एवं सुविधाएं होनी चाहिए। इस नीति के अंतर्गत मंत्रालय ने दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिनमें कारवां पार्कों के विकास हेतु राज्य सरकारों/पर्यटन निगमों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

5.15

होटलों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन

पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर होटलों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को द्वारा घोषित "विश्व विरासत स्थलों" (मुंबई और दिल्ली के राजस्व जिलों के अतिरिक्त) वाले विशेष जिलों में

स्थापित दो, तीन और चार सितारा होटलों के लिए वर्ष 2008–09 के बजट में पांच वर्ष के कर अवकाश की घोषणा की गई थी। इस प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने के लिए होटल का निर्माण और उसका प्रचालन 01.04.2008 से 31.03.2013 तक की अवधि के दौरान होना चाहिए। सरकार ने हाल ही में भारत में कहीं भी दो सितारा और इससे ऊपर की श्रेणी के नए होटलों के लिए आय कर अधिनियम की धारा 35 एडी के अंतर्गत निवेश से जुड़े कर (इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स) प्रोत्साहन का विस्तार करने की घोषणा की है। इससे देश में आवास की वृद्धि सुगम होगी।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कमर्शियल रीयल एस्टेट (सीआरई) एक्सपोजर्स के रूप में एक्सपोजर्स के वर्गीकरण पर संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार आरबीआई ने होटलों के एक्सपोजर्स को सीआरई एक्सपोजर्स के बाहर वर्गीकृत किया है।

5.16

कौशल विकास मिशन

प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन ने पर्यटन मंत्रालय और उद्योग को वर्ष 2022 तक 5 मिलियन व्यक्तियों का कुशल कार्य बल तैयार करने के आदेश दिए हैं। अतः पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की जन शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु होटलों के लिए कौशल विकास पहल में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। होटल के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के लिए संशोधित दिशा–निर्देशों में प्रत्येक वर्गीकृत होटल को 'हुनर से रोजगार योजना' के अंतर्गत अल्पावधि के कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रत्येक कलैंडर वर्ष में एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

5.17

गाइड

भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) के द्वारा क्षेत्रीय स्तर के गाइडों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइडों का चयन एवं प्रशिक्षण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और मंत्रालय भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है। क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइडों का चयन पर्यटन मंत्रालय के क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइडों (आरएलजी) को गाइड लाइसेंस प्रदान करने और चयन हेतु दिशा–निर्देशों पर आधारित होता है जोकि 22 सितम्बर, 2011 से प्रभावी है।

आईआईटीटीएम ने स्वीकृत 721 इनटेक हेतु वर्ष 2013 में देश में जनरल लिंगविस्ट गाइडों एवं जनरल हेतु क्षेत्रीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित किया। प्रशिक्षण का पहला चरण आईआईटीटीएम ग्वालियर (उत्तरी, पश्चिमी एवं केन्द्रीय क्षेत्र हेतु), नोएडा (उत्तरी क्षेत्र हेतु), भुवनेश्वर (पूर्वी क्षेत्र हेतु) में 16 सितम्बर, 2013 को प्रारंभ हुआ और दिनांक 15 मार्च, 2014 को पूरा हुआ। आईआईटीटीएम नैल्लोर (दक्षिणी क्षेत्र हेतु) में 23 सितम्बर, 2013 को प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और 22 मार्च, 2014 को पूरा हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 26 सप्ताह थी जिसमें 20 सप्ताह का कक्षा शिक्षण एवं 6 सप्ताह का फिल्ड विजिट शामिल था।

जनरल गाइडों एवं जनरल लिंगविस्ट गाइडों की 447 खाली सीटों के लिए दिनांक 27.09.2013 को प्रशिक्षण के दूसरे चरण हेतु दाखिला नोटिस जारी किया गया जिसके लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 नवम्बर, 2013 थी। प्रशिक्षण का दूसरा चरण फरवरी, 2014 के प्रथम सप्ताह में शुरू हुआ और यह जुलाई, 2014 तक पूरा हो जाएगा।

5.18

क्षेत्रीय स्तर के गाइडों हेतु रिफ्रेशर प्रशिक्षण

क्षेत्रीय स्तर के गाइडों को गाइड लाइसेंस जारी होने पर उसके बाद तीन वर्ष के अंदर और बाद में पांच वर्षों में एक बार अनिवार्य रूप से रिफ्रेशर कोर्स करना अपेक्षित होगा। पर्यटन मंत्रालय ने दिल्ली, मुम्बई, कोच्चि, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, आगरा, वाराणसी, अहमदाबाद, औरंगाबाद, खजुराहो, कोलकाता, उदयपुर और ग्वालियर में 2342 गाइडों के लिए उक्त कोर्सों हेतु वर्ष 2013–14 के दौरान 1,44,03,300 रुपए की राशि स्वीकृत की।

5.19

इमिग्रेशन कार्मिकों को प्रशिक्षण

पर्यटन मंत्रालय ने सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण स्कीम के तहत इमिग्रेशन कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर को 7,20,000/– रुपए की राशि स्वीकृत की। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोच्चि, चेन्नई, गोवा, मुम्बई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर आगमन पर पर्यटक वीजा संबंधी कार्य करने वाले आप्रवासन ब्यूरो के 450 अधिकारियों को कवर किया गया।

5.20

यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाता का अनुमोदन

पर्यटन मंत्रालय के पास ट्रैवल एजेन्टों, इनबाउंड टूर ऑपरेटरों, रोमांचकारी टूर ऑपरेटरों, घरेलू टूर ऑपरेटरों और पर्यटक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को अनुमोदित करने की स्कीम हैं। इस स्कीम का संशोधित दिशा–निर्देश 18 जुलाई, 2011 को जारी हुआ। इस स्कीम का लक्ष्य एवं उद्देश्य इन श्रेणियों में गुणवत्ता, मानक एवं सेवा को प्रोत्साहित करना है। यात्रा व्यवसाय के अनुमोदित सेवा प्रदाताओं की कुल संख्या निम्नलिखित है:–

श्रेणी	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित सेवा प्रदाताओं की संख्या	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक के दौरान जारी किए गए अनुमोदन
इनबाउंड टूर ऑपरेटर	539	93
ट्रैवल एजेंटस	348	62
टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर	174	31
घरेलू टूर ऑपरेटर	94	26
रोमांचकारी टूर ऑपरेटर	31	7
कुल	1186	219

5.21

वेब आधारित पब्लिक डिलीवरी सिस्टम

पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने हेतु वेब आधारित पब्लिक डिलीवरी सिस्टम अनुमोदित किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य पर्यटन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया को सरल बनाना और अनुमोदन देने में पारदर्शिता लाना भी है। वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को अनुमोदित किया है :

- इनबाउंड टूर ऑपरेटर
- ट्रैवल एजेंटस
- घरेलू टूर ऑपरेटर
- रोमांचकारी टूर ऑपरेटर
- टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर

नई प्रक्रिया के द्वारा सेवा प्रदाताओं से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जिसके द्वारा इस प्रक्रिया में कागज का उपयोग नहीं किया जाएगा।

सभी आवेदनों को यूआरएल http://etraveltradeapproval.nic.in/ के द्वारा ऑन लाइन भरना होगा और पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर जांच, कार्यवाही एवं अनुमोदित/अस्वीकार्य किया जाएगा। यह पहल मंत्रालय के अनुमोदन आदि हेतु ई–रिजीम की ओर बढ़ने के उद्देश्य का भाग है।

5.22

आगमन पर वीजा (वीओए)

देश में इनबाउंड पर्यटन का संवर्धन करने के प्रयास स्वरूप सरकार ने वर्ष 2010 में आगमन पर पर्यटक वीजा की घोषणा की। वर्तमान में आगमन पर पर्यटक वीजा (टीवीओए) सुविधा 12 देशों अर्थात फिनलैंड, जापान, लक्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपिंस, लाओस, म्यांमार एवं दक्षिण कोरिया के नागरिकों को प्रदान की जा रही है।

शुरूआत में यह सुविधा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई एवं कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध थी। तथापि 15 अगस्त 2013 से इस सुविधा का विस्तार हैदराबाद, बेंगलुरू, कोच्चि एवं तिरूवनन्तपुरम में भी किया गया।

जनवरी से दिसम्बर, 2013 की अवधि के दौरान वर्ष 2012 की इसी अवधि के 16,084 आगमन पर वीजा की तुलना में कुल 20,294 आगमन पर वीजा (वीओए) जारी किए गए जिसमें 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

जनवरी से दिसम्बर, 2013 के दौरान स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए आगमन पर वीजा की संख्या जापान (6,448), न्यूजीलैंड (3,968), फिलीपिंस (2,967), इंडोनेशिया (2,758), सिंगापुर 2,486) फिनलैंड (1,030), वियतनाम (205), म्यांमार (148), लक्जमबर्ग (145), कम्बोडिया (120) और लाओस (19) है।

जनवरी से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान नई दिल्ली एयरपोर्ट (11,046) पर सर्वाधिक संख्या में आगमन पर पर्यटन वीजा जारी किए गए जिसके बाद मुम्बई (4,206), चेन्नई (2,815), कोलकाता (1,351), बेंगलोर (380), कोच्चि (229), हैदराबाद (165) और त्रिवेन्द्रम (102) का स्थान रहा।

5.23

सामूहिक लैंडिंग परमिट

विदेशी पर्यटक आगमन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अप्रैल 2013 से सामूहिक लैंडिंग परमिट प्रदान करने का निर्णय लिया है। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व निर्धारित यात्रा कार्यक्रम के साथ पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय यात्रा एजेंसी द्वारा प्रायोजित चार या अधिक के समूह में हवाई मार्ग या समुद्री मार्ग से आने वाले विदेशी पर्यटकों के समूह को अधिकतम 60 दिनों की अवधि हेतु सामूहिक लैंडिंग परमिट दी जाएगी जिसके साथ उनको बहु प्रवेश सुविधा दी जाएगी ताकि वह पड़ोसी देशों की यात्रा कर सकें। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए पर्यटक या संबंधित यात्रा एजेंसी को www.indianvisaonline.gov.in वेबसाइट पर ऑन लाइन आवेदन अनिवार्य रूप से भरना होगा। पर्यटकों या यात्रा एजेंसी को प्रिंटिड वीजा आवेदन और उनके यात्रा कार्यक्रम के साथ समूह के सदस्यों की पूरी सूची 72 घण्टे पहले एफआरआरओ/एफआरओ को देनी होगी। पर्यटक या यात्रा एजेंसी को यात्रा कार्यक्रम के अनुसार समूह का संचालन करने का वचन भी देना होगा और इसके अलावा यह भी आश्वासन देना होगा कि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी समूह से निकलने

की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई है क्योंकि इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अवसंरचना जुटाई जा रही है।

5.24

इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथराईजेशन

पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन विकास एवं वृद्धि को तीव्र करने के लिए कई उपाय करने की निरन्तर प्रक्रिया कर रहा है। चूंकि देश तक पहुंचने को सुगम बनाना पर्यटन के विकास एवं वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है, पर्यटन मंत्रालय प्रायर रिफरेंस (पीआर) देशों को छोड़कर सभी देशों के नागरिकों को आगमन पर पर्यटक वीजा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथराइजेशन (इटीए) को शुरू करने के द्वारा वीजा रिजीम को सरल बनाने के प्रति गहनता से योजना आयोग के साथ कार्य कर रहा है। ईटीए के द्वारा संभावित आगन्तुगक अपने मूल देश से बिना भारतीय मिशन गए ऑनलाइन द्वारा भारतीय वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे और ऑन–लाइन पर वीजा फीस का भी भुगतान कर सकेंगे। एक बार अनुमोदित होने पर आवेदक ई–मेल प्राप्त करेगा जिसमें उसे भारत की यात्रा करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा और वह इस प्राधिकरण के प्रिंट आउट के साथ यात्रा कर सकता है। आगमन पर पर्यटक को आप्रवासन प्राधिकारियों को प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करना होगा जोकि देश में प्रवेश की स्टैम्प लगाएंगे। ईटीए की सुविधा लोगों को कम समय में बनाई गई यात्रा की योजना पर यात्रा करने, अन्य देशों की यात्रा करते समय यहां से होकर जाने और व्यापार दौरों पर परिवार के सदस्यों को लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

5.25

पर्यटक पुलिस

पर्यटन मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटक पुलिस तैनात करने का प्रस्ताव किया है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है। जबकि कुछ राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटक सुरक्षा कार्मिकों के रूप में तैनात करने की पहल की है अथवा पर्यटक पुलिस को अलग से अभिनिर्धारित किया है, पर्यटन मंत्रालय ने 2012 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पहचान किए गए पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटक सुविधा सुरक्षा संगठन (टीएफएसओ) के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम पर शुरू की है। टीएफएसओ को जयपुर, गोलकोंडा, कुशीनगर और श्रावस्ती में पायलट आधार पर शुरू किया गया था।

5.26

घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए मार्केट विकास सहायता (एमडीए) योजना

काफी समय से यह महसूस किया जा रहा है कि मौजूदा एमडीए योजना भारत में भारत का संवर्धन करने के बारे में मौन है। यह निर्णय लिया गया कि देश घरेलू पर्यटकों, जो विदेशी पर्यटकों के साथ मिलकर रोजगार अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक संवृद्धि को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, के लिए विशाल और अप्रयुक्त संभावनाओं पर विचार करते हुए आतिथ्य कार्यक्रम की मौजूदा योजना को इस प्रकार का रूप दिया जाए कि यह देशोन्मुखी हो। इस योजना में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया है :–

- ट्रैवल एजेंटों/टूर ऑपरेटरों और विशेषकर वे जिन्हें अभी भारत का संवर्धन करना है, को विभिन्न गंतव्यों, अधिमानतः कम लोकप्रिय और देश में अप्रयुक्त गंतव्यों के लिए टूर पैकेजों को अपने विपणन कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रेरित करना।
- विभिन्न राज्यों में ऐसे अप्रयुक्त पर्यटन गंतव्यों में जाने के लिए घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहित करना और इसके द्वारा भारत को एक आकर्षक बहुआयामी पर्यटक गंतव्य के रूप में प्रोजेक्ट करना।
- पर्यटन के क्षेत्र में नए पर्यटन उत्पादों और आधुनिक विकास से ट्रैवल एजेंटों/टूर

ऑपरेटरों/होटल मालिकों को परिचित करवाना।

ट्रैवल मार्ट, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंटस एसोसिऐशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, फेडेरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तेरा एसोसिएशन ऑफ इंडिया, होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अथवा पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/प्रायोजित/मान्यता प्राप्त कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर के ट्रैवल टूर एसोसिएशन के वार्षिक समागमों में भाग लेने के लिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं को अथवा पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू–कश्मीर के मामले में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं को पर्यटन मंत्रालय भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

5.27

निर्बाध यात्रा

अनेक अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन अवरोधों की कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, सभी राज्यों की सीमाओं पर कमर्शियल पर्यटक वाहनों के लिए निर्बाध यात्रा के कार्यान्वयन का समर्थन करता रहा है। यह महसूस किया गया है कि एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे निर्बाध यात्रा के लिए शुल्कों का एकल खिड़की भुगतान सुनिश्चित हो और समस्त शुल्क एक ही स्थान पर एकत्रित किया जा सके और उन्हे राज्यों में उपयुक्त रूप से विभाजित किया जा सके। इससे पर्यटक यातायात का आवागमन सुगम होगा और पर्यटकों को विलंब और असुविधा नहीं होगी।

पर्यटन मंत्रालय ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा एनसीटी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के सहयोग से एक व्यवस्था की है, जिसके द्वारा दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर तथा आगरा में प्रत्येक प्रारंभिक स्थल पर शुल्क केन्द्रीय रूप से एकत्रित किए जाएंगे तथा इस प्रकार एकत्रित किए गए शुल्क बांटे जाएंगे और टूरिस्ट कोच कार को स्वर्णिम त्रिकोण में निर्बाध आवागमन की अनुमति होगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा अन्य स्टेक होल्डरों के साथ पर्यटन मंत्रालय के सहयोगी और सक्रिय प्रयासों की सफलता से अंततोगत्वा 18 जुलाई, 2010 को दिल्ली से आगरा के लिए प्रथम पर्यटक वाहन के जाने पर कमर्शियल पर्यटक वाहनों का निर्बाध आवागमन प्रारम्भ हुआ। उपरोक्त की दृष्टि से यह सुझाव है कि दिल्ली–आगरा–जयपुर सेक्टर में जो किया जा रहा है उसे अन्य राज्यों में भी दोहराया जाए क्योंकि:

- विभिन्न राज्यों में मल्टीपल कर की संरचना के कारण निर्बाध आवागमन अत्यधिक प्रभावित होता है जिसके कारण पर्यटकों को असुविधा होती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरल/एकरूप और तर्कसंगत कर की संरचना को शीर्ष वरीयता देकर कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- बहु अंतर–राज्यीय सड़क परिवहन सीमाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए करों की सिंगल विंडो भुगतान की प्रणाली को कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा केन्द्रीय रूप से कर इकट्ठा किया जा सके और राज्यों को बांटा जा सके। पर्यटक ट्रैफिक के निर्बाध आवागमन को प्रदान करने और पर्यटकों हेतु असुविधा और विलंब को दूर करने हेतु एक साल के अन्दर ऑनलाइन लेन–देन प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की गई है।
- पर्यटक वाहनों हेतु पृथक 'टीवी' सीरीज पंजीकरण के आवंटन और करों का एक बार/वार्षिक भुगतान का प्रस्ताव पर्यटक ट्रैफिक के निर्बाध आवागमन प्रदान करेगा क्योंकि इससे राज्य सीमाओं पर करों के भुगतान के लिए रूकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर्यटन मंत्रालय भविष्य हेतु पर्यटक वाहनों के पृथक 'टीवी' सीरीज पंजीकरण के कार्यान्वयन की सिफारिश करता है।

पर्यटन मंत्रालय परिवहन विकास परिषद का सदस्य भी है। भारतीय पर्यटक परिवहन संघ

(आईटीटीए) के साथ पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक बसों हेतु राष्ट्रीय परमिट को शुरू करने और मोटर वाहन (पर्यटक परिवहन प्रचालकों हेतु अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 को लागू करने के लिए एक प्रस्तुतीकरण किया।

परिवहन विकास परिषद की 35वीं बैठक के परिणामस्वरूप पर्यटक बसों एवं माल वाहनों (7.5 टन से कम) हेतु 'राष्ट्रीय परमिट जारी करना' पर अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया और उप महानिदेशक (यात्रा व्यवसाय), पर्यटन मंत्रालय को इस समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

श्री आर के महाजन, आयुक्त एवं सचिव (परिवहन), बिहार सरकार की अध्यक्षता में अधिकारियों की अधिकार–प्राप्त समिति की छह बैठकें फार्मूला एवं प्रणाली तैयार करने के लिए, आयोजित हुई जिससे पर्यटक वाहनों की निर्बाध यात्रा होना संभव होगी। इन बैठकों के दौरान इस पर सहमति बनी कि इस समिति द्वारा स्वीकार्य फार्मूला प्रस्तावित होने से पहले पर्यटक बसों से कुल राजस्व पर डाटा, सामान्य फार्मूला तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों से इकट्ठा किया जाए। इस समय आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और सिक्किम से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अन्य राज्यों से प्राप्त जानकारी पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी देनी है।

5.28

"सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन" के लिए आचार संहिता

पर्यटन मंत्रालय ने सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन के लिए सुरक्षा (सेफ्टी) के लिए 1 जुलाई, 2010 से आचार संहिता को अपनाया। इसके बाद पर्यटन मंत्रालय द्वारा इनबाउंड टूर ऑपरेटर, साहसिक टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, घरेलू टूर ऑपरेटर और पर्यटक परिवहन ऑपरेटर की श्रेणियों और होटलों की विभिन्न श्रेणियों के वर्गीकरण के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देशों में आवेदक की 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन' हेतु आचार संहिता के प्रति प्रतिबद्धता और अनुपालन शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है।

27 सितम्बर, 2011 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर होटल जनपथ, नई दिल्ली में यूएनओडीसी के साथ सहयोग से 'सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म–द वे फारवर्ड' पर अर्धदिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। विचार–विमर्श के बाद प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया, यह तीन समूहों में विभाजित था अर्थात 'होटल एवं रेस्तरां उद्योग' 'यात्रा व्यवसाय' और 'एनजीओ/राज्य सरकारें, आदि' जिसमें भारत को सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की विभिन्न सिफारिशें दी गई। इस कार्यशाला में यात्रा व्यवसाय उद्योग से संबंधित सामने आई सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

- इको–पर्यटन सोसाइटी की तर्ज पर एक सोसाइटी का गठन जोकि भारत में सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन के संवर्धन हेतु स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।
- स्टेकहोल्डर द्वारा अपराध/घटना की रिपोर्ट होने पर पुलिस आदि द्वारा उत्पीड़न से बचाव, और पर्यटन उद्योग के विभिन्न घटकों द्वारा सहयोग/समर्थन प्रदान करना।
- विदेश स्थित भारत पर्यटक कार्यालय और भारतीय मिशन द्वारा संभावित पर्यटकों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन पर हैंड आउट देना।
- ऐसे महत्वपूर्ण गंतव्यों पर पर्यटक पुलिस की तैनाती, जहां पर राज्य सरकार द्वारा अभी भी उनको तैनात किया जाना है।
- फोकल बिंदुओं की अपेक्षा प्रशिक्षण हेतु नोडल अधिकारियों के रूप में उनको नियुक्त किया जाना जो प्रत्येक छह माह में होना चाहिए।

अध्याय-6

मानव संसाधन विकास

6.1

होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम), भोजन कला संस्थान (एफसीआई) और राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद (एनसीएचएमसीटी)

6.1.1

पर्यटन मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों रूप में पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति सृजित करने योग्य आवश्यक अवसंरचनात्मक सहायता के साथ प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की प्रणाली तैयार की जाए। अब तक की स्थिति के अनुसार 36 होटल प्रबन्ध संस्थान (आईएचएम्स) हैं जिनमें 21 केन्द्रीय होटल प्रबंध संस्थान और 15 राज्य होटल प्रबंध संस्थान और 7 भोजन कला संस्थान शामिल है जिनको मंत्रालय की सहायता से स्थापित किया गया है। ये संस्थान आतिथ्य शिक्षा प्रदान करने/आतिथ्य कौशल में प्रशिक्षण संचालित करने के विशिष्ट अधिदेश के साथ स्वायत्तशासी सोसाइटियों के रूप में स्थापित किए गए थे।

6.1.2

होटल प्रबंध संस्थानों और भोजन कला संस्थानों के शैक्षणिक प्रयासों के संचालन और विनियमन के लिए मंत्रालय ने वर्ष 1982 में राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग तकनालॉजी परिषद् (एनसीएचएमसीटी) की स्थापना की थी। एनसीएचएमसीटी का अधिदेश अपने सम्बद्ध संस्थानों के माध्यम से आतिथ्य प्रबन्धन शिक्षा के विकास में वृद्धि और सामान्य प्रगति में समन्वय करना

है। परिषद के क्षेत्राधिकार में प्रशासनिक मामलों की एक व्यापक रेंज है, जिसमें दाखिला, फीस, उप–नियम, अध्ययन हेतु पाठ्य विवरण, पाठ्यक्रम, अनुसंधान और परीक्षा, परीक्षा परिणाम, भवन योजनाओं और उपकरणों का विनियमन, प्रशिक्षण, पत्र–पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन सहित सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे कार्यकलाप जो समय–समय पर निर्धारित किए गए हों, को करना शामिल है। एनसीएचएमसीटी सम्बद्धकारी निकाय भी है और मंत्रालय की सहायता से स्थापित किए गए 36 होटल प्रबन्ध संस्थान और 7 भोजन कला संस्थान दाखिला और परीक्षा के विनियमन के लिए इससे सम्बद्ध हैं। एनसीएचएमसीटी को निजी होटल प्रबंध संस्थानों को भी संबद्ध करने का अधिदेश दिया गया है। अब तक की स्थिति के अनुसार 15 निजी संस्थान एनसीएचएमसीटी से सम्बद्ध हैं। एनसीएचएमसीटी अपने संबद्ध संस्थानों के लिए आतिथ्य और होटल प्रशासन के 3 वर्ष के बी.एस.सी. प्रोग्राम के प्रथम वर्ष में दाखिले हेतु अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) का संचालन भी करती है। परिषद द्वारा आतिथ्य प्रशासन में एमएससी में दाखिला केन्द्रीय रूप से किया जाता है। अन्य पाठ्यक्रमों अर्थात आवास प्रचालन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, आहारिकी एवं अस्पताल भोजन सेवा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, खाद्य उत्पादन में डिप्लोमा, खाद्य एवं पेय सेवा में डिप्लोमा, हाउसकीपिंग ऑपरेशन में डिप्लोमा, बेकरी और कंफेक्शनरी में डिप्लोमा, खाद्य और पेय सेवा में क्रापटमैनशिप पाठ्यक्रम और होटल एवं केटरिंग प्रबन्धन में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में दाखिला संबंधित संस्थान परिषद द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित योग्यता मानदंड के अनुसार सीधे तौर पर करते हैं।

6.2

भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान

6.2.1

वर्ष 1983 में स्थापित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम), यात्रा और पर्यटन शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। यह पर्यटन एवं यात्रा उद्योग के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करता है। यह संस्थान वर्तमान में निम्नलिखित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम चला रहा है :–

- प्रबंधन (पर्यटन एवं यात्रा) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा–ग्वालियर एवं भुवनेश्वर से।
- प्रबंधन (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा–ग्वालियर और भुवनेश्वर से।
- प्रबंधन (सेवा क्षेत्र) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा–ग्वालियर से।
- प्रबंधन (पर्यटन एवं लेश्जर) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा–दिल्ली से।
- प्रबंधन (पर्यटन एवं कार्गो) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा–नैल्लोर से।
- भारत की तटरेखा पर जल आधारित और रोमांचकारी क्रीड़ाओं के लिए संभावना का दोहन करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने गोवा में पणजी तट पर राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) की स्थापना की है। एनआईडब्ल्यूएस का प्रशासनिक नियंत्रण आईआईटीटीएम को सौंपा गया है।

6.3

कौशल अन्तराल को पूरा करने के लिए आगे के प्रयास

6.3.1

इस बढ़ती हुई अनुभूति के साथ कि आतिथ्य सेक्टर में होने वाले कौशल अंतराल को पूरा करने के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी, मंत्रालय ने निम्नलिखित पांच आयामी नीतियाँ तैयार की है:–

प्रशिक्षण के लिए संस्थागत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण के द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों के वर्ष में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में वृद्धि करने हेतु प्रयास।

- विद्यमान होटल प्रबन्ध संस्थानों को क्राफ्ट कोर्स शुरू करने के लिए कहना।
- आतिथ्य शिक्षा/प्रशिक्षण के आधार को व्यापक बनाना।
- विद्यमान सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन को समर्पित एक स्कीम।
- नियुक्ति योग्य कौशल के सृजन हेतु हुनर से रोजगार कार्यक्रम।
- विद्यमान सेवा प्रदाताओं के कौशल की जांच एवं प्रमाणन।

6.3.2

वर्ष 2013–14 में, एक केन्द्रीय आईएचएम जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) में, एक भारतीय पाककला संस्थान (आईसीआई) तिरूपति आंध्र प्रदेश में और तीन राज्य होटल प्रबंध संस्थान क्रमशः काकीनाडा, (आंध्र प्रदेश), इम्फाल (मणिपुर) और कोट्टायम (केरल) में स्थापित किए गए। भारतीय पाक कला संस्थान पर्यटन मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी निकाय है और इनसे पारंपरिक भारतीय व्यंजन के परिरक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन, संग्रहालय और संसाधन केन्द्र और पाककला कौशल में विशेष प्रशिक्षण से संबंधित मामलों के समाधान में सहायता मिलेगी।

6.3.3

नए होटल प्रबंध संस्थानों भोजन कला संस्थानों की स्थापना हेतु प्रदत्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) निश्चित दिशा–निर्देशों की शर्त पर होती है जिनमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा कम से कम 5 एकड़ भूमि का आवंटन और संस्थान की एनसीएचएमसीटी से संबद्धता शामिल है। सामान्य अनुदान 10 करोड़ रुपए तक है जिसमें से 8 करोड़ रुपए निर्माण के लिए है और शेष राशि संस्थान द्वारा अपेक्षित उपकरण की खरीद के लिए है। होस्टलों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जा सकती है। केन्द्रीय अनुदान से अधिक का व्यय सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भोजन कला संस्थान के

लिए केन्द्रीय सहायता की सीमा 4.75 करोड़ रुपए है। संस्थागत अवसंरचना के उन्नयन यथा होस्टलों के निर्माण और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

6.4

आतिथ्य शिक्षा के आधार को व्यापक बनाना

☒ 6.4.1

मंत्रालय ने सरकारी व्यावसायिक स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेकनिक संस्थानों, सरकारी कालेजों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से आतिथ्य शिक्षा को मेनस्ट्रीम में लाने का भी निर्णय लिया है। केन्द्रीय सहायता सभी को उपलब्ध होगी। यह सहायता कोर्सों/प्रशिक्षणों के संचालन हेतु आवश्यक अवसंरचना के सृजन हेतु उपयोग की जा सकती है। आतिथ्य शिक्षा के आधार को व्यापक बनाने की नीति के अन्तर्गत नए आतिथ्य पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए अभी तक 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज), 7 डिग्री कॉलेजों, 4 पॉलिटेकनिकों, 26 स्कूलों और 15 विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान किया गया है।

☒ 6.4.2

वर्ष 2013–14 में पंजाब के पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने उन्हें 6 स्वीकृत की गई निधियां इस दलील के साथ वापस लौटा दी कि वे इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। तथापि हिमाचल प्रदेश जिन्होंने पहले ही 10 आईटीआई में आतिथ्य शिक्षा को आरंभ करने के प्रस्ताव हाथ में लिए हैं, उन्होंने तीन अन्य आईटीआई अर्थात् बरोह, बैजनाथ और जोगिन्दरनगर में आतिथ्य पाठ्यक्रमों को शुरू करने का एक और प्रस्ताव भेजा है जिनकी जांच की जा रही है। हमें मदुरई कामराज विश्व–विद्यालय, मदुरई, तमिलनाडु से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय पर्यटन और होटल प्रबंधन में एक समेकित पांच वर्षीय पाठ्यक्रम आरंभ करने का इच्छुक है। वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों को 43,89,75,682 रु. की निधियां निर्मुक्त की गई।

6.5

वर्ष 2013–14 के दौरान महत्वपूर्ण पहल

6.5.1

'हुनर से रोजगार तक' कार्यक्रम

आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कौशल अंतराल को कम करने तथा गरीबों को पर्यटन के आर्थिक लाभ पहुंचाने के मूल उद्देश्य से 18 से 25 वर्ष (नवम्बर, 2010 में ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष तक बढ़ाई गई) के आयु समूह में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के बीच रोजगार योग्य कौशलों को सृजित करने के लिए वर्ष 2009–10 में एक विशेष पहल की गई। यह कार्यक्रम 6 से 8 सप्ताह के लघु अवधि पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम में दो कोर्सों (i) खाद्य एवं पेय सेवा और (ii) खाद्य उत्पादन को कवर किया गया। इसके बाद हाउसकीपिंग, यूटिलिटी, बेकरी और पेटीसरी कोर्सों को जोड़ा गया। इस पहल की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए अधिक व्यवसाय प्रशिक्षण क्षेत्रों यथा – ड्राईवरों, गोल्फ कैड्डीज, स्टोन मैसन, सुरक्षा गार्डों और पर्यटक सुविधा प्रदाताओं आदि को जोड़ा गया।

इस पहल के अंतर्गत आतिथ्य व्यवसायों को पर्यटन मंत्रालय के अपने संस्थानों (21 केन्द्रीय होटल प्रबंध संस्थान, 17 राज्य होटल प्रबंध संस्थान, 09 भोजन कला संस्थानों) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), राष्ट्रीय पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईटीएचएम), हैदराबाद, आईटीडीसी, केरल पर्यटन एवं यात्रा अध्ययन संस्थान (केआईटीटीएस), भारतीय रेलवे केटरिंग और पर्यटन निगम लि. (आईआरसी. टीसी), राज्य सरकारों द्वारा पहचाने गए संस्थानों, वर्गीकृत होटलों, राज्य पर्यटन विकास निगमों के अंतर्गत होटलों/समतुल्य प्रतिष्ठानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां तक गैर–आतिथ्य व्यवसायों जैसे ड्राइवरों, गोल्फ कैडीज, सुरक्षा गार्डों, स्टोन मेसोनरी और पर्यटक सुविधा प्रदाताओं आदि का संबंध है, इनको राज्य सरकारों/इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

इस पहल के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 67,646 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। हुनर से रोजगार तक (एचएसआरटी) प्रशिक्षण निर्गत बढ़ाने तथा नए–नए क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एचएसआरटी की अपनी एप्रोच में सदैव नवीनतम रही है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

6.6

मौजूदा सेवा–प्रदाताओं का कौशल परीक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम

मंत्रालय द्वारा आतिथ्य क्षेत्र में सेवारत सेवा प्रदाताओं के कौशलों के प्रमाणन के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके अन्तर्गत सेवा प्रदाता 5 दिन के अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेंगे, जिसके पश्चात व्यवहारिक परीक्षा और मौखिक परीक्षा होगी। अब तक यह सुविधाएं 21 केन्द्रीय होटल प्रबंध संस्थानों, 16 राज्य होटल प्रबंध संस्थानों, 05 भोजन कला संस्थान और एनआईटीएचएम में प्रारंभ की गई है। वर्ष 2013–14 में 17882 सेवा प्रदाताओं के कौशल प्रमाणित किए गए हैं।

यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए इसी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (आईटीटीए) के सहयोग से भारतीय यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में आईआईटीटीएम नोएडा ने 131 उम्मीदवारों का प्रमाणीकरण पूरा किया।

6.7

लेह (लद्दाख) में पर्यटक के लिए होम स्टे व्यवस्थाएं करने वाले स्थानीय लोगों का प्रशिक्षण

वर्ष 2011–12 में शुरू किया गया कार्यक्रम वर्ष 2013–14 में भी होटल प्रबंध संस्थान श्रीनगर द्वारा सफलतापूर्वक चलाया गया।

6.7.1

सेना इकाइयों के साथ करार

वित्त पोषण के लिए पर्यटन मंत्रालय, शैक्षणिक सहायता के लिए होटल प्रबंध संस्थान और प्रशिक्षण अवसंरचना के लिए आर्मी यूनिटों को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय कार्यान्वयन व्यवस्था की गई। वर्ष 2013–14 में इस कार्यक्रम के तहत 221 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

6.7.2

तिहाड़ जेल में सजा प्राप्त कैदियों का प्रशिक्षण

डीआईएचएम, लाजपत नगर ने तिहाड़ जेल दिल्ली के कैदियों के लिए हुनर से रोजगार तक के भाग के रूप में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। 2013–14 में 130 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

6.7.3

शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति का प्रशिक्षण

होटल प्रबंध संस्थान, गोवा ने शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाया।

6.8

ड्राइविंग कौशल

वर्ष 2013–14 में आईएचएम श्रीनगर ने 106 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का सफल आयोजन किया। वर्ष 2013–14 में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, असम पर्यटन विकास कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास कॉरपोरेशन ने क्रमशः 3500, 90 और 155 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया।

6.9

हैरिटेज वॉक एस्कार्ट्स और हैरिटेज विरसा सारथी (नई प्रस्तावित पहलें)

पर्यटन मंत्रालय की हुनर से रोजगार तक, अर्न व्हाइल यू लर्न एवं स्वच्छ भारत अभियान के एक पयूजन के रूप में छह सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहले दिल्ली में पायलट आधार पर चलाए जाने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य पहचान किए गए हैरिटेज वॉक स्ट्रेचों पर पर्यटकों के साथ चलने, उन्हें गाइड करने के लिए एस्कार्ट और वॉलंटियर को तैयार करना है। प्रशिक्षार्थी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता रखने के लिए खंडों (स्ट्रेचों) को अपनाएंगे। यह कार्यक्रम आईआईटीटीएम द्वारा अपने नोएडा कैम्पस में कार्यान्वित किया जा रहा है। आईआईटीटीएम ने अब तक वॉक एस्कार्ट में 23 उम्मीदवारों को और विरसा सारथी के रूप में 40 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

6.10

होटल एवं इवेंट्स में रिकन केयर एवं स्पा थैरेपी, मूल फिटनेस प्रशिक्षण, फूल व्यवस्था (नए कार्यक्रम)

मंत्रालय की सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण की स्कीम के तहत प्रत्येक 8 सप्ताह की अवधि के तीन नये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। पहले कोर्स की पात्रता 8वीं पास और अगले दो कोर्स की पात्रता 12वीं पास है। पंजाब हैरिटेज एवं पर्यटन संवर्धन बोर्ड द्वारा वर्ष 2013–14 में 1110 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

6.11

प्रस्तावित की गई अन्य नई पहलें

पोलो ग्रूम, निरोगता पर्यटन सेवा प्रदाताओं और नेचर गाइड तैयार करने हेतु प्रशिक्षण।

6.11.1

पर्यटन सेक्टर में टूर सहायक, ट्रांसफर सहायता और कार्यालय सहायक

छह सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के अर्न व्हाइल यू लर्न पहल के तहत विशिष्ट प्रयास है। इसका उद्देश्य 18 से 28 वर्ष के आयु समूह में स्नातक छात्रों हेतु पर्यटन सेक्टर में टूर सहायक, ट्रांसफर सहायता और कार्यालय सहायक के रूप में प्रवेश स्तर पर जनशक्ति प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्रालय के वित्त पोषण से आईआईटीटीएम द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

6.12

प्रशिक्षण के अन्य प्रयासों के ब्यौरे

6.12.1

पर्यटकों, विशेषकर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में तीर्थ यात्रियों को हैंडल करने के लिए एक कार्यबल तैयार करने के लिए 2012–13 में छह सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित व्यक्ति माता वैष्णो देवी, श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा और लेह में बौद्ध मठों पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। वर्ष 2013–14 में 239 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

6.12.2

आईटीडीसी ने यात्रा/पर्यटन/आतिथ्य क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड तैयार करने के लिए प्रथम पायलट कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सुरक्षा गार्डों के लिए और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने का आईटीडीसी का प्रस्ताव है। वर्ष 2013–14 में 60 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

अध्याय-7

प्रचार एवं विपणन

7.1

घरेलू मीडिया अभियान

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए कई कार्यकलाप किए। इनमें निम्नलिखित शामिल थे :–

- पूरे देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पर्यटन के संवर्धन के लिए दूरदर्शन और निजी टेलीविजन चैनलों पर अभियान चलाए गए।
- दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के टी–3 टर्मिनल और मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 'गो बियान्ड' थीम पर एक विज्ञापन अभियान चलाया गया।
- पूरे देश में 'स्वच्छता', 'आतिथ्य', 'नागरिकों का उत्तरदायित्व' और 'पर्यटकों के प्रति अच्छा व्यवहार' की अवधारणा पर दूरदर्शन और निजी टेलीविजन चैनलों पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए गए।
- प्रमुख भारतीय शहरों में डिजिटल सिनेमा थियेटरों में सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
- प्रमुख वेबसाइटों पर देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों को प्रदर्शित करने वाले विज्ञापनों वाला एक घरेलू ऑन–लाइन अभियान आरंभ किया गया।
- पूरे देश में एफएम रेडियो चैनल पर स्वच्छ भारत अभियान, हुनर से रोजगार तक रेडियो जिंगल्स वाला एक घरेलू रेडियो अभियान आरंभ किया गया।

7.2

अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय अभियान

- पर्यटन मंत्रालय प्रमुख स्रोत बाजारों के साथ–साथ पूरे विश्व में संभावित बाजारों में 'इन्क्रेडिबल इंडिया' ब्रांड लाइन के अंतर्गत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑन–लाइन केन्द्रीयकृत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अभियानों को चलाता है।
- पर्यटन मंत्रालय ने प्रमुख स्रोत बाजारों में एक ग्लोबल प्रिंट अभियान चलाया। मैसर्स फॉक्सर इंटरनेशनल के सहयोग से बनाए गए 'लाइफ ऑफ पाई' क्रिएटिव्स को चित्रित करने वाले इस अभियान को 'जो चाहें वह पाएं' क्रिएटिव्स के अलावा प्रयोग किया गया।
- पर्यटन मंत्रालय ने एक ग्लोबल टेलीविजन अभियान चलाया जिसके भाग के रूप में मैसर्स फॉक्स इंटरनेशनल के सहयोग से बनाए गए 'लाइफ ऑफ पाई' क्रिएटिव्स का 'जो चाहें वह पाएं' क्रिएटिव्स के अलावा प्रयोग किया गया।
- पर्यटन मंत्रालय ने प्रमुख वेबसाइटों पर एक ग्लोबल ऑनलाइन अभियान चलाया।

7.3

अन्य अभियान

- पूरे वर्ष तिरुमाला तिरुपति देवस्थान (टीटीडी) के उपयोग कार्डों पर स्वच्छ भारत अभियान के विज्ञापन जारी किए गए।
- मंत्रालय ने हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में आयोजित यात्रा और पर्यटन मेलों में भाग लिया।

- मंत्रालय ने 2014 में नई दिल्ली में आयोजित साउथ एशिया ट्रेवल और पर्यटन एक्सचेंज (साटे) में भाग लिया। प्रदर्शनी में लगे भारत पेवेलियन में पूर्वोत्तर राज्यों ने सह–प्रदर्शक के रूप में भाग लिया।
- 'द वीक' और 'इंडिया टुडे' पत्रिकाओं को विज्ञापन समर्थन दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकाशनों और स्मारिकाओं में तदर्थ विज्ञापन भी जारी किए गए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय समारोहों जैसे कि जुलाई, 2013 में मकाऊ में आईआईएफए अवार्ड और बिलियर्डस एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग स्नूकर चैम्पियनशिप में ब्रांडिंग की गई।
- पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न पहलों और योजनाओं को प्रकाश में लाने के लिए पूरे देश के समाचार पत्रों में एक एडवरटोरियल अभियान चलाया गया।
- मंत्रालय ने मैसर्स गुगल के साथ विभिन्न ऑनलाइन पर्यटन पहलों के विकास के लिए आपसी सहयोग के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।
- मंत्रालय ने मैसर्स जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लि. के साथ 'वॉकिंग टूर उत्पाद' को बनाने, विकसित करने और अनुरक्षित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किया है जो एक ऑनलाइन, इंटरएक्टिव वेब उत्पाद है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के भारत के सभी प्रमुख शहरों में अपने वॉकिंग टूर करने की योजना बनाने और करने में सहायक होगा।
- मंत्रालय ने एक डेडीकेटिड एपीआई लिंक अथवा एक पृथक वेबसाइट और/अथवा मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा अपनी वेबसाइट पर निर्देशित, मल्टीमीडिया और इंटरएक्टिव वाकिंग टूर देने के लिए मैसर्स आडियो कम्पास (इंडिया) प्रा. लि. के साथ एक समझौता भी हस्ताक्षरित किया है। इस समझौते के एक भाग के रूप में आडियो कम्पास इन्क्रेडिबल इंडिया वेबसाइट पर डाले जाने के लिए भारत के प्रमुख शहरों, स्मारकों और पर्यटक गंतव्यों के इंटरएक्टिव मल्टी मीडिया वाकिंग टूर के लिए सामग्री डिजाइन, विकसित और तैयार करेगा।

7.4

प्रचार सामग्री का निर्माण

- पर्यटन मंत्रालय ने पूरे देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों को दर्शाने वाले अतुल्य भारत के संवर्धनात्मक कलैंडर 2014 का निर्माण किया है।
- एक मिश्रित पूर्वोत्तर ट्रेवलर्स कंपेनियन प्रिंट किया गया।
- पर्यटन मंत्रालय ने मैसर्स आइसर पब्लिकेशन के सहयोग से पांच पर्यटक गाइड पुस्तकें नाम: 'बुद्धिस्ट सर्किट्स एंड साइट्स इन इंडिया' स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश' और 'सिटी ऑफ कोच्चि' तैयार की है।
- हिमालय राज्यों के क्षेत्र में पर्यटन के संवर्धन के लिए हिमालय पर दो टीवीसी बनाए गए। इन टीवीसी को विश्व पर्यटन दिवस, 2013 के अवसर पर 'हिमालय के 777 दिन अभियान के शुरू होने पर प्रदर्शित किया गया।

7.5

वेबसाइट

- पर्यटन मंत्रालय की संवर्धनात्मक वेबसाइट www.incredibleindia.org को व्यापक रूप से रिवेम्प और अद्यतन किया गया। www.incredibleindia.org वेबसइट इंडियन

साउंड एंड लाइट शो के पूरे ऑडियो प्रस्तुत करती है। यह स्टीरियोफोनिक ध्वनि में उपलब्ध है। राज्य सरकारों को दिशा–निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटरीकरण और आईटी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है।

7.6

विदेशी कार्यालयों के मार्केटिंग उद्देश्य

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार विदेश स्थित अपने 14 कार्यालयों के माध्यम से एक पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में पर्यटन सृजक बाजारों में भारत को स्थापित करने, विभिन्न गंतव्यों से मिल रही प्रतिस्पर्धा के सामने विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने और विश्व पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

उपरोक्त उद्देश्य ट्रेवल ट्रेड, राज्य सरकारों तथा भारतीय मिशनों के सहयोग के साथ एकीकृत विपणन और संवर्धनकारी रणनीति तथा सहक्रियात्मक अभियान के माध्यम से पूरे किए जाने हैं। प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन, मेले तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, सेमिनार कार्यशालाओं, रोड शो तथा इंडिया इवनिंग्स के आयोजन, ब्रोशरों का मुद्रण, तथा कोलाटेरल ट्रेवल एजेंट्स टूर संचालकों के साथ ब्रोशर सहायता संयुक्त विज्ञापन आतिथ्य सत्कार कार्यक्रम आदि के तहत देश की यात्रा के लिए मीडिया तथा ट्रेवल ट्रेड को आमंत्रित करना विदेशों में शुरू किए गए संवर्धनकारी प्रयासों के विशेष तत्व हैं।

7.7

मार्किट विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के तहत सेवा प्रदाताओं को सहायता

मार्किट विकास सहायता स्कीम के तहत, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं (जैसे होटेलियर्स, ट्रेवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स तथा टूरिस्टों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स आदि) के लिए विदेशों में निम्नलिखित संवर्धनकारी पर्यटन कार्यकलाप शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है :

- बिक्री–सह–अध्ययन टूर
- मेलों / प्रदर्शनियों में भागीदारी
- मुद्रित सामग्री के माध्यम से प्रचार

विदेशों में आयोजित मेले / प्रदर्शनियों तथा रोड शो में भाग लेने के लिए एमडीए स्कीम के तहत लाभों के लिए सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभाग भी पात्र हैं।

7.8

आतिथ्य कार्यक्रम के तहत परिचय भ्रमण

पर्यटन मंत्रालय की विपणन रणनीति और योजना के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक आतिथ्य कार्यक्रम है, जिसके तहत पर्यटन मंत्रालय ट्रेवेल प्रकाशनों की संपादकीय टीम, पत्रकारों, फोटोग्राफरों, टी.वी. टीम, ट्रेवेल एजेंटों, टूर संचालकों आदि को विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विदेशों से आमंत्रित करता है, ताकि भारत को अनेक विशाल आकर्षणों को प्रस्तुत करने वाले एक आकर्षण बहु–आयामी पर्यटन गंतव्य का रूप पेश किया जा सके। अतुल्य भारत ट्रेवेल बाजार, 2014 आदि में ट्रेवेल ये आमंत्रित अतिथि अपने परिचय भ्रमण के दौरान भारतीय पर्यटन उत्पाद के बारे में पर्यटन मंत्रालय के आतिथ्य पर प्रारम्भिक सूचना / जानकारी प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।

विदेशों में महत्वपूर्ण पर्यटक सृजक बाजारों से ट्रेवेल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और मीडिया प्रतिनिधियों को न केवल देश के विविध पर्यटक आकर्षणों का भ्रमण करने के लिए बल्कि असम और अरूणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवेल मार्ट हिमालय रन एंड ट्रेक एवेंट, इन्क्रेडिबल इंडिया ट्रेवेल बाजार 2014 आदि सहित कार्यक्रमों में भाग लेने और उन्हें कवर करने के लिए भी आमंत्रित किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान पर्यटन मंत्रालय की आतिथ्य योजना के तहत कुल 353 अतिथियों ने भारत का भ्रमण किया।

7.9

यात्रा मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना

विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों ने पूरे विश्व के महत्वतपूर्ण पर्यटक सृजक बाजारों में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों के साथ–साथ उभरते हुए और संभावना वाले बाजारों में देश के पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित और संवर्धित करने के लिए भाग लिया। इनमें दुबई में अरेबियन ट्रेवल मार्किट, सिंगापुर में आईटीबी / एशिया, लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्किट (डब्ल्यूटीएम), बर्लिन में आईटीबी, टॉप रेसा (फ्रांस), फ्रैंकफर्ट में आइमेक्स, तथा फिटुर (मैड्रिड) शामिल हैं।

7.10

विदेशों में संवर्धन के लिए शुरू की गई कुछ प्रमुख संवर्धनकारी गतिविधियां

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के लिए पर्यटन को तेजी से बढ़ावा हेतु अनेक संवर्धनकारी पहलें शुरू कीं।

7.10.1

रोड शोज

चालू संवर्धनात्मक गतिविधियों के एक भाग के रूप में ट्रेवल उद्योग के विभिन्न घटकों की भागीदारी के

साथ महत्वपूर्ण पर्यटक सृजक विदेशी बाजारों में रोड शोज आयोजित किए गए। रोड शो में भारत पर प्रस्तुतिकरण दी गई जिसके बाद भारत के यात्रा व्यवसाय के और संबंधित देशों के यात्रा व्यवसाय के प्रतिनिधि मंडल के मध्य वन–टू–वन बिजनेस बैठकें की गई :

- किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया (जेददाह, रियाद और दम्मान)
- नॉरडिक यूरोप (यथा ओसलो, स्टॉकहोम एवं हेलसिंकी)
- आस्ट्रेलिया (सिडनी एवं मेलबोर्न)
- यूएसए (पूर्वी तट)
- दक्षिण पूर्वी एशिया (सिंगापुर, कुआलालमपुर एवं मनीला)
- यूएसए – (पश्चिमी तट)/कनाडा एवं चीन (शंघाई, बीजिंग एवं गंगज़ू)
- जर्मनी (हैम्बर्ग, दसेलडॉर्फ, स्टीटगार्ट एवं म्यूनिख)
- आस्ट्रिया (विएना)

इसके अतिरिक्त, विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों ने टूर ऑपरेटरों, ट्रेवल एजेन्ट्स द्वारा देश में अपने–अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में आयोजित रोड शो में भी भाग लिया।

7.10.2

फूड फेस्टिवल

भारतीय व्यंजनों के संवर्धन के लिए जो भारतीय पर्यटन उत्पाद का एक अभिन्न अंग है, आयोजित किए गए फूड फेस्टिवल के लिए भारतीय शेफ को प्रायोजित करके भारतीय फूड फेस्टिवल का निम्नलिखित, देशों में समर्थन किया गया।

- दक्षिणी अमेरिका (पैराग्वे, सुरीनाम, कोलम्बिया)
- दक्षिण कोरिया (सियोल)
- ताइवान (ताईपेई)
- वियतनाम (होची मिन्ह, हनोई, कम्बोडिया)
- जर्मनी (हैम्बर्ग)
- बेल्जियम (ब्रुसेल्स)
- दक्षिणी यूरोपीय (माल्टा)
- डोमिनिक गणतंत्र (सेंटो डोमिंगो, हवाना)
- पेसिफिक कोस्ट (पेरू)
- कैरिबियन (क्यूबा)
- मैक्सिको (ग्वाडालाजारा, चिचेन, इटजा)
- अर्जेन्टीना (ब्यूनस आयर्स)
- मध्य अमेरिका (पनामा, कोस्टारीका)
- दक्षिण अफ्रीका (प्रिटोरिया)
- सउदी अरब (जेद्दाह)
- मिस्र (काहिरा)
- थाइलेण्ड (बैंकाक)

7.10.3

आउटडोर प्रचार

अतुल्य भारत के अधिक प्रचार के लिए विश्व के मुख्य शहरों के प्रमुख स्थानों पर बसों/ट्रामों पर विज्ञापन होर्डिंग्स तथा बिलबोर्डस सहित आउटडोर विज्ञापन अभियान चलाए गए हैं।

अतुल्य भारत के अधिक प्रचार के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर ब्रांडिंग की शुरुआत की गई है।

7.10.4

ब्रोशरों का मुद्रण

विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बाजार आवश्यतकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी भाषाओं में पर्यटक प्रकाशन मुद्रित किए गए हैं। इन भाषाओं में मेंडारिन, केंटोनीज, अरेबिक, फ्रेंच, हीब्रू, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, रूसी, हंगेरियन, रोमानियाई, पोलिश, क्रोएशिया, जापानी, कोरिया, ताइवानी, नार्वे, फिनिश एवं स्वीडिश शामिल है।

7.10.5

अन्य

एयर इंडिया और इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ विदेशों में संयुक्त संवर्धनात्मक गतिविधियां चलाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

अध्याय-8

आंकड़े, सर्वेक्षण एवं अध्ययन

8.1

सूचना एवं अनुसंधान क्रियाकलाप

8.1.1

पर्यटन मंत्रालय का मार्केट अनुसंधान प्रभाग भारत में इनबाउंड, आउटबाउंड एवं घरेलू पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर सूचना के संचयन, संकलन और प्रसार के लिए उत्तरदायी है। प्रभाग द्वारा एकत्रित की गई सांख्यिकी में विदेशी पर्यटक आगमन, घरेलू और विदेशी पर्यटक यात्राओं, पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन आदि पर आंकड़े शामिल होते हैं।

8.1.2

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों, व्यय पैटर्न, पर्यटक प्राथमिकताएं, संतुष्टि स्तर आदि के प्रोफाइल का मूल्यांकन करने हेतु आवधिक सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। मंत्रालय की आवश्यकताओं के आधार पर यह प्रभाग पर्यटन सर्वेक्षण, देश में पर्यटन के विकास के लिए मास्टर प्लान/संदर्शी योजना/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए अध्ययन, जैसे कि निर्यात जैसे अन्य सेवा क्षेत्रों पर लगाए गए करों पर आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान अध्ययन की तुलना में पर्यटन क्षेत्र पर लगाए गए करों व्यवहार्यता अध्ययन आदि करता है।

8.1.3

देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन के योगदान और रोजगार परिदृश्य को जानने के लिए पर्यटन सेटेलाईट अकाउंट को तैयार करना भी इस प्रभाग के प्रमुख कार्यों में से एक है।

8.2

विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए)

8.2.1

वर्ष 2011 में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2012 के 6.58 मिलियन एफटीए की तुलना में वर्ष 2013 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ विदेशी पर्यटक आगमन 6.97 मिलियन (अनंतिम) था।

8.3

पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई)

8.3.1

पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह देश की विदेशी मुद्रा आय (एफईई) में पर्याप्त योगदान देता है।

8.3.2

वर्ष 2011 की तुलना में 21.8% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2012 में 94,487/– करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2013 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 14.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,07,671 करोड़ रूपए (अनंतिम) थी।

8.3.3

वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 17.737 बिलियन यूएस डॉलर थी जबकि वर्ष 2013 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए यह 18.445 बिलियन यूएस डॉलर (अनंतिम) थी।

वर्ष 2000 से 2013 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन एवं विदेशी मुद्रा आय

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन (सं. में)	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रू. में)	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	विदेशी मुद्रा आय (मिलियन यूएस डालर में)	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
2000	26,49,378	6.7	15,626	20.6	3,460	15.0
2001	25,37,282	(-) 4.2	15,083	(-) 3.5	3,198	(-) 7.6
2002	23,84,364	(-) 6.0	15,064	(-) 0.1	3,103	(-) 3.0
2003	27,26,214	14.3	20,729	37.6	4,463	43.8
2004	34,57,477	26.8	27,944	34.8	6,170	38.2
2005	39,18,610	13.3	33,123	18.5	7,493	21.4
2006	44,47,167	13.5	39,025	17.8	8,634	15.2
2007	50,81,504	14.3	44,360	13.7	10,729	24.3
2008	52,82,603	4.0	51,294	15.6	11,832	10.3
2009	51,67,699	(-) 2.2	53,700	4.7	11,136	(-) 5.9
2010	57,75,692	11.8	64,889#	20.8	14,193#	27.5
2011	63,09,222	9.2	77,591#	19.6	16,564#	16.7
2012	65,77,745	4.3	94,487#	21.8	17,737#	7.1
2013	69,67,601	5.9	1,07,671#	14.0	18,445#	4.0

अनंतिम

8.4

घरेलू पर्यटन

घरेलू पर्यटन के अनुमानों का संकलन राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और पर्यटन मंत्रालय के पास उपलब्ध अन्य जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2013 के दौरान घरेलू पर्यटक यात्राएं वर्ष 2012 की तुलना में 9.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 1145 मिलियन (अनंतिम) है।

8.5

सर्वेक्षण और अध्ययन

☒ 8.5.1

पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला सर्वेक्षण एवं अध्ययन देश में पर्यटन के विकास के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने हेतु, इनपुट प्राप्त करने में उपयोगी है। मंत्रालय, मास्टर प्लानों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआरएस)/ व्यवहार्यता अध्ययनों और सांख्यिकीय सर्वेक्षण/अध्ययन के संचालन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

☒ 8.5.2

वर्ष 2013–14 के दौरान (दिनांक 31.03.2014 तक) पूरे किए गए या वर्तमान में चल रहे सर्वेक्षणों, अध्ययनों, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों आदि के ब्यौरे **अनुबंध–III** में दिये गये हैं।

8.6

पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट

☒ 8.6.1

देश की कुल अर्थव्यवस्था तथा कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान जानना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लेखे (सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष तैयार किए जाने वाले देश में सकल घरेलू उत्पाद की संगणना करते समय विनिर्माण, कृषि, सेवाओं जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, बीमा आदि विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं वृद्धि को मापते हैं। तथापि, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली जीडीपी में पर्यटन की वृद्धि एवं योगदान को मापने में समर्थ नहीं है। इसका कारण है कि पर्यटन राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में एक उद्योग के रूप में उस प्रकार परिभाषित नहीं है जिस रूप में उद्योग परिभाषित है।

☒ 8.6.2

बल्कि, पर्यटन एक मांग आधारित अवधारणा है जो इसके आउटपुट से नहीं बल्कि इसके उपयोग से परिभाषित है। राष्ट्रीय लेखे में परिभाषित उद्योग जैसेकि वायु परिवहन, होटल और रेस्टोरेंटस आदि समान आउटपुट का उत्पादन करते है बिना यह देखे कि इनका उपयोग पर्यटक अथवा गैर–पर्यटकों द्वारा किया जा रहा है। जबकि इन उद्योगों की कुल आउटपुट राष्ट्रीय लेखे द्वारा ली जाती है जबकि केवल पर्यटकों द्वारा उपभोग ही पर्यटन अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है जो राष्ट्रीय लेखे में तत्काल उपलब्ध नहीं होता है अतः पर्यटन के विशेष योगदान के मूल्यांकन के लिए पर्यटन सेटेलाइट एकाउंट (टीएसए) की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

☒ 8.6.3

भारत का प्रथम पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट (टीएसएआई) संदर्भ वर्ष 2002–03 के लिए वर्ष 2006 में तैयार किया गया था। दूसरा टीएसएआई संदर्भ वर्ष 2009–10 के लिए वर्ष 2012 में तैयार किया गया था। दूसरे टीएसएआई 2009–10 और अगले दो वर्षों नाम : 2010–11 और 2011–12 के आगामी अनुमान के अनुसार देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और रोजगार में पर्यटन का योगदान नीचे दिया गया है:–

वर्ष	देश के जीडीपी में पर्यटन का योगदान (प्रतिशत)			देश के रोजगार में पर्यटन का योगदान (प्रतिशत)		
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
2009-10	3.68	3.09	6.77	4.37	5.80	10.17
2010-11	3.63	3.05	6.68	4.63	6.15	10.78
2011-12	3.66	3.08	6.74	4.94	6.55	11.49

अध्याय-9

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

9.1

अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षी संगठनों के साथ सहयोग

9.1.1

पर्यटन मंत्रालय, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षी संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ), एशिया और पैसेफिक आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी), बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (बीआईएमएसटीईसी), मेकांग–गंगा सहयोग (एमजीसी), दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और दक्षिण एशिया उप–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) के साथ कई प्रकार के परामर्श और बातचीत करता है।

9.1.2

यूएनडब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूटीटीसी द्वारा आरंभ किए गए पर्यटन अभियान के लिए ग्लोबल लीडरों में भारत 11 अप्रैल, 2013 को शामिल हुआ। डा. तलेब रिफाई, महासचिव, यूएनडब्ल्यूटीओ जिनके साथ केन्द्रीय पर्यटन मंत्री भी थे, ने एक 'खुला पत्र' उपराष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी को सौंपा। डा. रिफाई और श्री डेविड स्कॉसिल, प्रेजिडेंट एवं सीईओ वर्ल्ड ट्रेवल और टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र में विश्व नेताओं से आग्रह किया गया है कि वे अन्य देशों के नेताओं के साथ–साथ यूएनडब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूटीटीसी के साथ मिलकर वैश्विक एजेंडा में यात्रा और पर्यटन को स्थान दें।

9.1.3

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 12 से 14 अप्रैल, 2013 तक हैदराबाद में आयोजित दक्षिण एशिया पूर्वी एशिया और सतत् पर्यटन विकास पर यूएनडब्ल्यूटीओ सम्मेलन और पेसिफिक के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ कमीशन की 25वीं संयुक्त बैठक की मेजबानी की। इस समारोहों में 21 देशों के प्रतिनिधियों, यूएनडब्ल्यूटीओ से संबद्ध 8 सदस्यों, 2 क्षेत्रीय संगठनों और अनेक उद्योग संगठनों ने भाग लिया।

9.1.4

भारत ने 01–02 जुलाई, 2013 और 14–15 जनवरी, 2014 को मैड्रिड, स्पेन में आयोजित सांख्यिकी और टूरिज्म सेटेलाइट अकाउण्ट पर यूएनडब्ल्यूटीओ समिति की 13वीं और 14वीं बैठक में भाग लिया।

9.1.5

भारत ने 26 से 29 मई, 2013 तक बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित, यूएनडब्ल्यूटीओ कार्यकारी परिषद की बैठक के 95वें सत्र में तथा 24 से 29 अगस्त, 2013 तक जाम्बिया तथा विक्टोरिया फाल्स, जिम्बावे गणराज्य में यूएनडब्ल्यूटीओ सामान्य सभा के 20वें सत्र, यूएनडब्ल्यूटीओ कार्यकारी परिषद के 96वें और 97वें सत्र, दक्षिण एशिया के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ क्षेत्रीय आयोग की 54वीं बैठक तथा लिविंगस्टोन में यूएनडब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय राउण्ड टेबल बैठक, में भाग लिया। बैठक के दौरान चार वर्ष के कार्यकाल के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ कार्यकारी परिषद के सदस्य तथा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए दक्षिण एशिया के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ आयोग के चेयरमैन के रूप में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया।

9.1.6

भारत नें 10–11 सितम्बर, 2013 को कोरिया गणराज्य के सिओल में आयोजित विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

9.1.7

भारत ने 23 सितम्बर, 2013 को नई दिल्ली में बीआईएमएसटीईसी सदस्य देशों की पहली पर्यटन कार्य समूह बैठक की मेजबानी की। म्यांमार, थाईलैण्ड, भूटान तथा श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

9.1.8

भारत ने विश्व के विभिन्न देशों के पर्यटन मंत्रियों के मध्य वैश्विक पर्यटन विकास पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ की टी–20 पहल में भागीदारी की। भारत ने 4 नवम्बर, 2013 को लंदन में आयोजित टी–20 पर्यटन मंत्रियों की 5वीं बैठक में भाग लिया।

9.1.9

भारत ने 18 जनवरी, 2014 को कुचिंग, सारावक मलेशिया में आयोजित 11वीं आसियान इंडिया पर्यटन कार्य समूह बैठक लंदन में भाग लिया।

9.2

द्विपक्षीय/बहुपक्षीय पर्यटन सहयोग करार

9.2.1

मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग हेतु करार/समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य देशों के साथ परामर्श और विचार–विमर्श करता है, अन्य देशों के साथ संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठकों का आयोजन करता है और पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए वाणिज्य, संस्कृति, नागर विमान, विदेश, वित्त, पेट्रोलियम आदि मंत्रालयों के समन्वय से संयुक्त आयोग बैठकों में भाग लेता है।

भारत ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और मित्रता के संबंधों को व्यापक बनाने के लिए अन्य देशों के साथ 50 द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन/प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

9.2.2

भारत और यूक्रेन के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक, दोनों देशों में पर्यटन के विकास को और अधिक बढ़ाने हेतु 8 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

9.2.3

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा जापान पर्यटन एजेंसी, भूमि, अवसंरचना, परिवहन तथा पर्यटन मंत्रालय, जापान सरकार ने 22 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के सुदृढ़ीकरण के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

9.3

बाह्य सहायता

9.3.1

पर्यटन मंत्रालय बाह्य सहायता से पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के कार्य का भी संचालन करता है। अजंता–एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना (चरण–I) शुरू करने के लिए 31 मार्च, 2003 को जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) जिसे अब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के नाम से जाना जाता है, के साथ 7331 मिलियन जापानी येन के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के मुख्य घटक स्मारक संरक्षण, औरंगाबाद एयरपोर्ट का सुधार, वन रोपण, सड़कों का सुधार, पर्यटक परिसरों (काम्पलेक्स) का निर्माण, पर्यटक आकर्षण वाले स्थलों में जलापूर्ति, जन जागरूकता क्रियाकलाप, मानव संसाधन विकास और पर्यटक सूचना का कम्प्यूटरीकरण हैं। इस परियोजना के सभी घटकों पर कार्य पूरा हो गया है तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता परियोजना समापन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ऋण की बैधता 31 जुलाई, 2014 तक है।

9.3.2

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के पर्यटन विभाग, तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (विश्व बैंक समूह) के साथ अक्टूबर, 2013 में उ.प्र. एवं बिहार में बौद्ध परिपथ के किनारे पर्यटकों के लिए प्रदत्त सेवाओं और वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा एक रणनीति बनाई गई जिसका उद्देश्य बौद्ध तीर्थ यात्रियों और जो बौद्ध विरासत के सार–तत्व का अनुभव करना चाहते हैं दोनों के लिए व्यापक एकीकृत बौद्ध परिपथ पर्यटन विकास परियोजना है।

अध्याय-10

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

10.1

प्रस्तावना

भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। 01 अक्तूबर, 1966 को निगमित भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में पर्यटन की आधारिक संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में सबसे बड़ी होटल श्रृंखला विकसित करने के अलावा भारत पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन से संबद्ध सुविधाएं यथा परिवहन, शुल्क मुक्त खरीददारी, मनोरंजन, पर्यटक प्रचार साहित्य की प्रस्तुति, परामर्शी सेवाएं आदि उपलब्ध करवाई हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम ने पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन आधारिक संरचना के विकास में प्रतिबद्ध और महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाई है और इस प्रकार क्षेत्रीय संतुलन के संवर्धन के लिए प्रयासरत है।

18 होटलों के विनिवेश के बाद भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने शेष कार्यकलापों को समेकित किया है तथा पर्यटन एवं इंजीनियरिंग परियोजनाओं में परामर्शी व निष्पादन सेवाएं, आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण परामर्श, समारोह प्रबंधन एवं ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन की संस्थापना आदि जैसे विविध सेवा–उन्मुख व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारंभ करने के लिए अपना पुनर्गठन किया है।

10.2

संगठनात्मक ढांचा

निगम स्तर पर इसके वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में प्रबंध निदेशक, कार्य निदेशक तथा व्यावसायिक समूहों यथा अशोक होटल समूह, निगम विपणन, समारोह प्रबंध, अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अशोक ट्रैवल एंड टुअर्स, अशोक सर्जक एवं जनसंपर्क, अशोक आतिथ्य व पर्यटन प्रबंध संस्थान

तथा इंजीनियरिंग सेवा प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष एवं सहयोग के लिए मानव संसाधन प्रबंध, वित्त व लेखा, सतर्कता व सुरक्षा, प्रशासन और सचिवीय आदि प्रभागों के प्रभागाध्यक्ष शामिल हैं।

10.3

भारत पर्यटन विकास निगम की सेवाओं का नेटवर्क

भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान सेवा–नेटवर्क में अशोक होटल समूह के 8 होटल, 7 संयुक्त उद्यम होटल, (इनमें एक ऐसा होटल शामिल है, जिसे अभी पूरा किया जाना है), 1 रेस्टोरेंट, 11 परिवहन एकक, 1 पर्यटक सेवा केन्द्र, एयरपोर्टों/सीपोर्टों पर स्थित 7 शुल्क मुक्त दुकानें, 2 ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन और 3 खानपान केन्द्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम भरतपुर स्थित एक होटल और कोसी स्थित एक पर्यटक कॉम्प्लेक्स का प्रबंधन भी कर रहा है।

10.4

सहायक कंपनियां

31.03.2014 को सात सहायक कंपनियों की प्रदत्त पूंजी में भारत पर्यटन विकास निगम के 11.11 करोड़ रुपए (अंतिम) के निवेश का विवरण नीचे दिया गया है:–

सहायक कंपनी का नाम	भारत पर्यटन विकास निगम का निवेश
मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	0.82
उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	4.69
रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि.	2.49
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	0.51
पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	0.82
डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	0.51
पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.	1.27
जोड़	11.11

10.5

पूंजी संरचना

ब्योरा निम्न प्रकार है :– (करोड़ रुपए में)

	2012–13	2013–14
अधिकृत पूंजी	150.00	150.00
प्रदत्त पूंजी	85.77	85.77
आरक्षित निधि व अधिशेष	225.99	*
शुद्ध मालियत	311.76	*

*31.03.2014 का अधिकृत पूंजी और प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

वर्ष 2013–14 के लिए आरक्षित निधि व अधिशेष और शुद्ध मालियत की लेखापरीक्षा अभी होनी है।

10.6

शेयरधारिता का पैटर्न

31.03.2014 को निगम की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः 150.00 करोड़ रुपए तथा 85.77 करोड़ रुपए थी। शेयरधारिता का पैटर्न निम्नप्रकार है :–

सरकार	87.03 प्रतिशत
इंडियन होटल्स लि.	7.87 प्रतिशत
बैंक व वित्तीय संस्थान	4.41 प्रतिशत
अन्य निगम निकाय	0.18 प्रतिशत
आम जनता व कर्मचारी	0.51 प्रतिशत

10.7

वित्तीय निष्पादन

निगम के वित्तीय निष्पादन संबंधी पिछले चार वर्षों और वर्ष 2013–2014 के प्रमुख आंकड़े नीचे दिए गए है :–

	2009–10	2010–11	2011–112	2012–13	2013–14 (अनंतिम)*
कुल कारोबार	299.75	392.36	423.06	440.64	465.56
कर–पूर्व लाभ	-20.51	-11.73	22.02	5.48	11.56
कर के बाद लाभ	-14.31	-8.59	8.54	2.99	8.91
प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा विनिमय आय	15.09	14.12	20.38	19.73	8.22

*इसका परिकलन वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने के बाद किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखाओं को समय पर अंतिम रूप दिया गया और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) भी निर्धारित समय से पूर्व हुई।

10.8

योजनागत स्कीमें

वित्त वर्ष 2014–15 के लिए पूंजी परिव्यय हेतु संशोधित बजट अनुमान 71.12 करोड़ रुपए है, जिसमें होटलों/रेस्टोरेंटों के नवीकरण/सुधार के लिए 69.17 करोड़ रुपए शामिल हैं।

10.9

समझौता–ज्ञापन (एमओयू)

पर्यटन मंत्रालय तथा भारत पर्यटन विकास निगम के बीच वर्ष 2014–15 के लिए समझौता–ज्ञापन

पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें वित्तीय और गैर–वित्तीय (परिवर्तनशील, क्षेत्र–विशिष्ट और उद्यम–विशिष्ट) मानदण्डों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए।

10.10

अशोक होटल समूह

दि अशोक, नई दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ सम्मेलन केन्द्र के लिए ''राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार'' और ''टुडेज ट्रैवल एवॉर्ड, 2013'' जीता।

कार्यपालक शेफ, श्री राजन लूम्बा को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2012–13 में सर्वश्रेष्ठ शेफ (4 से 5 स्टार डीलक्स, हैरिटेज ग्रैंड और क्लासिक होटल) से पुरस्कृत किया गया है।

अशोक होटल समूह ने वर्ष के दौरान कई प्रतिष्ठित समारोहों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। दि अशोक ने महत्वपूर्ण समारोहों यथा एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन विजन एंड आपथैल्मॉनलॉजी कांफ्रेंस, बॉल्मर लॉरी आईईसी कांफ्रेंस, विमन एंड चाइल्ड डवलपमेंट कांफ्रेंस, सीएबीई केन्द्रीय सलाहकार बैठक, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, दिल्ली, आपथैल्मोलॉजिकल सोसायटी, बी 4 ई शिखर सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं विकास संगठन संघ, प्रशासनिक सेवा दिवस, 7वां एएससीएपीएपी 2013, 777 अतुल्य भारत हिमालय आदि की मेजबानी की। विज्ञान भवन और हैदराबाद हाउस में विभिन्न महत्वपूर्ण सम्मेलनों/समारोहों का आयोजन भी किया गया।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में भोजन के विशुद्ध जायकों की प्रस्तुति के लिए विविध महत्वपूर्ण समारोहों और संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिन्हें जबरदस्त प्रशंसा प्राप्त हुई।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों ने पर्यटन मंत्रालय की हुनर–से–रोजगार (एचएसआर) योजना के अधीन छात्र–प्रशिक्षण के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये होटल हुनर–से–रोजगार के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

दि अशोक, नई दिल्ली में तीन नए आउटलेट यथा 'एसपैनगड्या', 'एस नॉम नॉम' और 'जेरोक्को' खोले गए हैं।

होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर और होटल जम्मू अशोक में कमरों के उन्नयन के लिए नवीकरण अभियान चल रहा है।

ललित महल पैलेस होटल, मैसूर, होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर और होटल जम्मू अशोक में किचन के आईएसओ प्रमाणन का कार्य चल रहा है।

10.11

अशोक समारोह प्रभाग

अशोक समारोह प्रभाग वर्ष 2002 से देश और विदेशों में समारोहों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों आदि का प्रबंधन कर रहा है। समारोह प्रबंधक के रूप में यह आयोजना, समन्वय एवं विभिन्न आवश्यकताओं/व्यवस्थाओं की प्रस्तुति के लिए जिम्मेवार होता है, जो किसी भी समारोह, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि की सफलता का आधार होते हैं। इसने स्वयं को वरीयता प्राप्त व्यावसायिक सम्मेलन आयोजक और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संस्थाओं के अग्रणी समारोह प्रबंधक के रूप में स्थापित किया है।

वर्ष 2013–14 के दौरान प्रभाग द्वारा संभाले गए कुछ प्रमुख समारोहों में यूसीकॉन 2014 कांफ्रेंस, 61वीं सीएबीई बैठक, आईएएसीए कार्यपालक समिति सम्मेलन – सीवीसी, राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) की 25वीं संयुक्त आयोग की बैठक संधारणीय पर्यटन विकास पर पूर्वी और पैसेफिक एशिया के लिए आयोग, दक्षिण एशिया के लिए आयोग और यूएनडब्ल्यूटीओ कांफ्रेंस, विदेश व्यापार नीति की घोषणा, डीबीटी पर चर्चा के लिए कल्याण/सामाजिक न्याय राज्य सचिवों की बैठक, प्रशासनिक सेवा दिवस – 2013, ई–9 तकनीकी बैठक, पर्यटन मंत्रालय की राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद की बैठक, XI एशिया–पैसेफिक पोस्टल यूनियन कांग्रेस, 2013 (अप्पू 2013), विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की 'शिक्षा के माध्यम से भारत सशक्तिकरण के 50 वर्ष' की प्रदर्शनियां, तवांग में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2013 शामिल हैं।

अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबन्ध संस्थान
ASHOK INSTITUTE OF HOSPITALITY
& TOURISM MANAGEMENT
ISO 9001:2000 CERTIFIED

Hunar Se Rozgaar

प्रभाग ने अपने समारोह प्रबंधन कार्यकलापों के माध्यम से अशोक होटल समूह, अशोक सर्जक और अशोक ट्रैवल्स एंड टुअर्स जैसे निगम के अन्य प्रभागों के लिए भी व्यवसाय अर्जित करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया।

10.12

अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार (एआईटी)

भारत पर्यटन विकास निगम का अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को शुल्क मुक्त खरीददारी की सुविधाएं प्रदान करता है। निगम ने सीपोर्टों पर अपने शुल्क मुक्त दुकान व्यवसाय को समेकित करना जारी रखा है। इस समय प्रभाग कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, मैंगलूर, विशाखापट्टनम और गोवा सीपोर्ट पर छः शुल्क मुक्त दुकानों का प्रचालन कर रहा है। इनके अलावा भारत पर्यटन विकास निगम कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर भी शुल्क मुक्त दुकान का प्रचालन कर रहा है। प्रभाग पारादीप सीपोर्ट पर शुल्क मुक्त दुकान खोलने और प्रचालन करने का अधिकार प्राप्त करने में भी सफल रहा है, जो भारत के प्रमुख सीपोर्टों में से एक है।

भविष्य में भारत पर्यटन विकास निगम की काकीनाडा, कांडला और टूटीकोरिन सीपोर्टों पर नई शुल्क मुल्क दुकानें खोलने की योजना है। प्रभाग की छोटे एयरपोर्टों पर रियायत अधिकारों के लिए बोली लगाने की भी योजना है।

10.13

अशोक ट्रैवल्स एण्ड टुअर्स

अशोक ट्रैवल्स एण्ड टुअर्स (एटीटी) भारत पर्यटन विकास निगम की घरेलू ट्रैवल एजेंसी है, जो यात्रा संबंधी सभी अतुलनीय सेवाएं यथा एयर टिकटिंग, परिवहन और पैकेज टुअर आदि प्रदान करती है।

एटीटी, आईएटीए अनुमोदित एजेंसी है और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन संगठनों की सदस्य है। अखिल भारत में उपस्थिति के साथ इसका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलूर, कोलकाता, वाराणसी, औरंगाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना और रांची में 11 शाखाओं का नेटवर्क है।

वर्ष 2012–13 के दौरान एटीटी ने अब तक का सर्वाधिक 107 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया है। एटीटी की योजना अपनी सभी शाखाओं से एयर टिकट बुकिंग का प्रचालन करने की है। एटीटी ने ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल 3 मार्च, 2014 को प्रारंभ कर दिया है।

10.14

अशोक सर्जक

अशोक सर्जक ने पर्यटन संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ पर्यटन मंत्रालय और अन्य ग्राहकों को पर्यटन संवर्धनात्मतक एवं विकासात्मक परियोजनाओं में अपनी विशेषता प्रदान करना जारी रखा।

यह प्रभाग अपने वर्तमान और नए ग्राहकों जैसे कि ट्राइबल को–आपरेटिव मार्केटिंग डवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राईफेड), दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कारपोरेशन (डीएमआईसीडीसी) आदि से सर्जनात्मक तथा प्रिंट कार्यों के निष्पादन के लिए अतिरिक्त कार्य (इनमें प्रचार कोलैटरल्स और सर्जनात्मक कार्य शामिल हैं) प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी निकायों से कार्य प्राप्त करने के जोरदार विपणन प्रयासों के साथ–साथ सूचीबद्ध एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है, ताकि कार्यों में सहभागीदार के रूप में काम किया जा सके तथा डिजाइन, प्रिंट प्रस्तुति और विज्ञापन संबंधी नए कार्यों के लिए बोली भी लगा रहा है।

अशोक सर्जक ने घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर विभिन्न मंत्रालयों के सम्मेलनों और समारोहों यथा रेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग–कार्मिक मंत्रालय आदि के लिए कोलैटरल्स की प्रस्तुति और विज्ञापन कार्य के अलावा पर्यटन मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए अनेक कार्य डिजाइन एवं प्रस्तुत किए हैं।

विभिन्न प्रयासों/पैकेजों के संवर्धन तथा भारत पर्यटन विकास निगम और इसके एककों की इन–

हाउस विज्ञापन आवश्यकताओं हेतु प्रिंट मीडिया में विभिन्न विज्ञापन कार्य संभाले हैं।

10.15

जन संपर्क और संस्कृति प्रभाग

जन संपर्क एवं संस्कृति प्रभाग ने उचित परिप्रेक्ष्य में निगम के संवर्धन एवं उसकी छवि बनाए रखने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। मीडिया के साथ निरंतर संपर्क एवं प्रैस वार्ताओं व साक्षात्कारों ने सकारात्मक कवरेज और नए प्रयासों की अच्छी फीडबैक सुनिश्चित की। अतिथियों से प्राप्त टिप्पणियां प्रशंसनीय हैं। वीआईपी और सीआईपी को प्रदत्त आतिथ्य की भी सराहना हुई और मीडिया में उपयुक्त स्थान प्राप्त हुआ।

निगम की छवि एवं प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के वर्तमान कार्यकलापों पर विज्ञापन और विशिष्ट एडवरटोरियल्स और संवर्धनात्मक पैकेज डिजाइन किए गए तथा प्रिंट मीडिया में रिलीज किए गए।

विदेशों में विभिन्न ट्रेड समारोहों/मार्टों के दौरान अशोक समूह के होटलों के प्रचार/संवर्धन के लिए दि अशोक, सम्राट, जनपथ और ललित महल पैलेस, मैसूर पर अलग–अलग फिल्में तैयार की गईं। संवर्धनात्मक किटों की डिजाइन और प्रस्तुति भी की गई।

सांस्कृतिक पटल पर दि अशोक में कई समारोह और चित्रकला प्रदर्शनियां तथा पुस्तक विमोचन आयोजित किए गए। इन समारोहों में लाइफस्टाइल/फैशन समारोह और मीडिया संबंधी समारोहों के साथ–साथ उनके वार्षिक पुरस्कार समारोह भी शामिल हैं।

फरवरी, 2014 से अतुल्य भारत और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 'फील इंडिया' आयोजित किया गया, जोकि संस्कृति के असंख्य रंगों और सम्मोहक क्षणों से सुसज्जित सांस्कृतिक महोत्सव था।

'दि अशोक द कैपिटल आइकन' नामक कॉफी टेबल बुक की स्क्रिप्ट और डिजाइनिंग पूरी हो चुकी है और प्रस्तुति कार्य चल रहा है।

अतिरिक्त कार्यकलाप के रूप में नए ग्राहकों यथा सांख्यिकी मंत्रालय के तत्वाधान में भारत में सांख्यिकी, ज्ञान एवं नीति संबंधी चौथे ओईसीडी विश्व मंच (अक्तूबर, 2012) और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविएस) के स्वर्ण जयंती समारोह (जुलाई–दिसम्बर, 2013) के जन सम्पर्क एवं मीडिया कार्यों को भी आउटसोर्स किया गया और कवरेज/फीडबैक में इसकी सराहना हुई।

10.16

ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन

भारत पर्यटन विकास निगम ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शनों की स्थापना में अग्रणी है तथा देश में अधिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। इस समय भारत पर्यटन विकास निगम रॉस आइलैंड (अंडमान व निकोबार द्वीप), देवघर (झारखंड), लुधियाना (पंजाब), शालीमार बाग, डल झील (जम्मू व कश्मीर) और तिलयर झील, रोहतक (हरियाणा) में पर्यटन मंत्रालय/राज्य पर्यटन विभागों द्वारा स्वीकृत ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। उड़ीसा सरकार ने भी भारत पर्यटन विकास निगम को भुवनेश्वर में दो ध्वनि व प्रकाश परियोजनाएं सौंपी हैं।

मूसी महारानी की छतरी (राजस्थान), जम्मू, कटरा व लेह (जम्मू और कश्मीर), दीव किला (दमन व दीव), त्रिपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में दौलताबाद में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई हैं।

पुराना किला, नई दिल्ली और लाल किला, दिल्ली में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शनों का प्रचालन भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

10.17

अशोक परामर्श एवं इंजीनियरिंग सेवा प्रभाग

अशोक परामर्श एवं इंजीनियरिंग सेवा प्रभाग प्रमुखतया पर्यटन आधारित संरचनात्मक परियोजनाओं का निष्पादन, पर्यटन मंत्रालय और राज्य पर्यटन विभागों को परामर्श सेवाएं, भारत पर्यटन विकास निगम और संयुक्त उद्यम होटलों के इंजीनियरिंग कार्य करता है।

यह प्रभाग भारत पर्यटन विकास निगम की विभिन्न परिसम्पत्तियों के नवीकरण में निरंतर व्यस्त रहा। यह प्रभाग विभिन्न परियोजनाओं यथा होटल रांची अशोक में सम्मेलन केन्द्र के निर्माण, चित्रकोट में जल–प्रपातों की प्रकाश–सज्जा, मोरांवाली गांव में श्रीमती विद्यावती जीके नाम पर स्मारक के निर्माण, मणिपुर, मिजोरम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में पर्यटन आधारिक संरचनात्मक परियोजनाओं, पर्यटक गंतव्य के रूप में लिटिल अंडमान के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य कर रहा है।

अगरतला में पीपीपी आधार पर होटल की स्थापना, भारत पर्यटन विकास निगम की परिसम्पत्तियों के उपयोग के लिए कारबार सलाहकार की नियुक्ति आदि के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की गईं।

10.18

अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान

अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान (एआईएचएंडटीएम) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का मानव संसाधन विकास प्रभाग है। यह संस्थान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कर्मचारियों और कार्यपालकों के आंतरिक प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1971 में अस्तित्व में आया था। अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान द्वारा किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं:

- यह भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित आईएसओ 9001–2008 संस्थान है। अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान को एशिया पैसेफिक क्षेत्र में प्रथम आईएसओ प्रमाणित आतिथ्य संस्थान होने की विशिष्टता प्राप्त है। यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध है।
- यह संस्थान आतिथ्य ट्रेड में अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम संचालित करता है।
- अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान बेंगलूर और मैसूर में आतिथ्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 01 वर्षीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। लगभग 300 छात्र इस पाठ्यक्रम की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। इस पाठ्यक्रम का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 70 प्रतिशत से अधिक है और छात्रों को आतिथ्य एवं एयरलाइन उद्योग में अच्छी नौकरी मिली है।
- अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) की संबद्धता में आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध से संबंधित विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम संयुक्त रूप से संचालित कर रहा है।

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान, भारत पर्यटन विकास निगम को मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हुनर से रोजगार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए निजी संस्थानों को सूचीबद्ध करने हेतु राज्य/संघ शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया है। अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान, भारत पर्यटन विकास निगम का वर्ष 2013–14 के लिए न्यूनतम 8000 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में विभिन्न कालेजों के इच्छुक छात्रों को प्रौद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- जयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ विश्वविद्यालय की संबद्धता में 6 माह से दो वर्ष तक अवधि के आतिथ्य पाठ्यक्रम संचालित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान ने सक्षमता एवं नेतृत्व विकास के अधीन कार्यपालकों के लिए 805 मानव दिवस से अधिक प्रशिक्षण संचालित करके समझौता–ज्ञापन का लक्ष्य प्राप्त किया और गैर–कार्यपालकों के लिए 825 मानव दिवस के लक्ष्य की तुलना में लगभग 1000 मानव दिवस का प्रशिक्षण संचालित किया गया।

10.19

प्रौद्योगिकी विकास

भारत पर्यटन विकास निगम ने नवीनतम विपणन प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए 26 सितम्बर, 2012 को अपनी वेबसाइट नए अवतार में ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्रणाली के माध्यम से होटलों, टिकटों, टुअरों आदि की बुकिंग सुविधा वाले पोर्टल के साथ प्रारंभ की है। इससे भारत पर्यटन विकास निगम को अपने प्रतिष्ठित अतिथियों को ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान की सेवा प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

भारत पर्यटन विकास निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी के विकास का पूरा फायदा उठाने के लिए अपनी होटल प्रबंध प्रणाली का उन्नयन भी किया है। यह नई प्रणाली उन्नत नियंत्रण तंत्र तथा बेहतर विश्लेषणात्मक तकनीक प्रदान करती है, ताकि अतिथियों के प्रोफाइल डाटा का उचित प्रबंध किया जा सके। दिल्ली स्थित तीन होटलों द्वारा तैयार आंकड़ों के प्रबंधन के लिए दि अशोक में एक डाटा सेंटर तैयार किया गया है, जिसकी डिजास्टर रिकवरी साइट जनपथ होटल में है।

10.20

पर्यावरण प्रबंधन उपाय

भारत पर्यटन विकास निगम ने एक जिम्मेदार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के नाते अपने होटलों में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), रेन वाटर हारवेस्टिंग प्रणाली और ऊर्जा व जल संरक्षण उपायों जैसे विभिन्न ईको–फ्रेंडली उपाय अपनाए हैं।

दिल्ली स्थित सभी होटलों में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और रेन वाटर हारवेस्टिंग प्रणाली है। होटल जनपथ में सोलर हीटिंग संयंत्र है। जहां तक दिल्ली से बाहर स्थित होटलों का संबंध है, होटल जम्मू अशोक और होटल जयपुर अशोक में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) हैं। दिल्ली स्थित सभी एककों और होटल जयपुर अशोक की किचन आईएसओ प्रमाणित हैं। भारत पर्यटन विकास निगम वर्ष के दौरान अपने प्रचालनों के प्रत्येक चरण में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत पर्यटन विकास निगम ने ऊर्जा संरक्षण पर बल देना जारी रखा।

10.21

निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

- भारत पर्यटन विकास निगम, अपने निगम सामाजिक दायित्व कार्यकलाप के रूप में "हुनर से रोजगार" योजना के अधीन 18–28 वर्ष के आयु वर्ग और न्यूनतम 8वीं कक्षा पास, इच्छुक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम अपने स्वयं के संसाधनों से प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति पर 1400 रुपए के वजीफे का भुगतान अशोक फैलोशिप के रूप में भी कर रहा है। अशोक आतिथ्य एवं

पर्यटन प्रबंध संस्थान उपयुक्त नौकरी ढूंढने में भी छात्रों की सहायता करता है।

- भारत पर्यटन विकास निगम को कुतुब मीनार, नई दिल्ली स्थित स्वच्छ भारत अग्रगामी परियोजना में साझेदारी सौंपी गई है। इस परियोजना को माननीय पर्यटन मंत्री द्वारा 20 जून, 2012 को प्रारम्भ किया गया था। यह अग्रगामी परियोजना विभिन्न स्टेकहोल्डरों को एक मंच पर लाने में सफल रही है।

10.22

मानव संसाधन प्रबंध

मानव संसाधन प्रबंध प्रभाग विशेषकर सेवा उद्योग के लिए बहुत महत्व रखता है। वर्ष 2013–14 के लिए 31.03.2014 को भारत पर्यटन विकास निगम में कुल जनशक्ति 1733 (प्रत्यक्ष ठेके पर रखे गए 100 कर्मचारियों को छोड़कर) है। 1733 कर्मचारियों में से 511 कर्मचारी अनुसूचित जाति के, 40 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के, 88 कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्गों के तथा 250 महिला कर्मचारी हैं।

10.23

औद्योगिक संबंध

भारत पर्यटन विकास निगम में समग्र औद्योगिक संबंध सदभावपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे। आज तक भारत पर्यटन विकास निगम मुख्यालय और इसके एककों में किसी कार्य–दिवस की हानि नहीं हुई।

10.24

राजभाषा नीति का कार्यान्वियन

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रोत्साहन और प्रशिक्षण के माध्यम से सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग के संवर्धन के लिए अपने प्रयास जारी रखे। हिंदी में निर्धारित मात्रा में कार्य करने पर कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन दिए गए। हिंदी में टिप्पण–मसौदा लेखन तथा अन्य कार्य करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। दिन–प्रतिदिन के कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर निगम में राजभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए लोक नृत्य–मंचन, हिंदी कवि–गोष्ठी और हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया।

अध्याय-11

कल्याणकारी उपाय और सतर्कता

11.1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के लिए उप सचिव/निदेशक स्तर के एक संपर्क अधिकारी हैं, जो मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों को देखते हैं। यह प्रकोष्ठ समय–समय पर जारी किए गए आरक्षण आदेशों के अनुपालन हेतु सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों को निर्देश जारी करता है।

11.2

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण

मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में सभी प्रकार की भर्ती सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण के आदेशों के अनुसार की जा रही है और तदनुसार, आरक्षण रोस्टरों का रख–रखाव किया जाता है। इस विषय पर नियमित वार्षिक विवरण संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित किए जाते हैं।

11.3

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर

मंत्रालय के कार्यकलापों के क्षेत्र में विकलांगों के लिए कोई विशिष्ट योजना अथवा बजट आवंटन निर्धारित नहीं है। सरकार के आदेशों के अनुसरण में मंत्रालय द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास जारी हैं।

11.4

शिकायतें

पर्यटन मंत्रालय में सहायक महानिदेशक की अध्यक्षता में एक शिकायत प्रकोष्ठ है। क्षेत्रीय भारत पर्यटन कार्यालयों में क्षेत्रीय शिकायत कक्ष मौजूद हैं। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तर पर ऐसे शिकायत कक्ष स्थापित करें।

11.5

सतर्कता

इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक सतर्कता प्रभाग है, जिनकी सहायता के लिए एक उप सचिव/निदेशक, अवर सचिव और सहायक हैं। मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के हर संभव प्रयास किये जाते हैं और उनकी जांच–पड़ताल समय पर की जाती है। आवश्यक होने पर मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भी भेजे जाते हैं।

अध्याय-12

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

12.1

संयुक्त निदेशक (राजभाषा) हिन्दी अनुभाग के प्रमुख हैं। यह अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

12.2

अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) गठित की गई है। इसकी तिमाही बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैठकें 30.05.2013, 30.08.2013, 30.10.2013 और 17.01.2014 को आयोजित की गई।

12.3

पर्यटन से संबंधित विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखी पुस्तकों को पुरस्कृत करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय की "राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना" के नाम से एक योजना (जो वर्ष 1989 में प्रारम्भ की गई थी) है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार रखे गए हैं जिनकी पुरस्कार राशि क्रमश: 40,000/– रूपए, 30,000/– रूपए एवं 20,000/– रूपए है तथा 10,000/– रूपए का एक सांत्वना पुरस्कार भी है। वर्ष 2012–13 के लिए पुरस्कार देने के लिए चार पुस्तकें चुनी गई हैं।

12.4

हिंदी में पत्राचार

राजभाषा नियम, 1976 और राजभाषा विभाग के

वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों और व्यक्तियों के साथ हिंदी पत्राचार के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए।

12.5

हिन्दीं में अनिवार्य प्रशिक्षण

प्रायः सभी अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान अथवा प्रवीणता प्राप्त हैं। सभी आशुलिपिक और टंकक क्रमशः हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित है।

12.6

मैनुअल, नियमों आदि का अनुवाद एवं द्विभाषी मुद्रण

सरकार की राजभाषा नीति और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के अलावा, एकक राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद करता है। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित सामग्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 195वीं और 200वीं रिपोर्ट के पैरा, भारत पर्यटन आंकड़े, 2012, परामर्शदात्री समिति की, की गई कार्रवाई रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद किया गया।

12.7

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय

- नियम 10(4) के तहत अधिसूचित कार्यालयः मंत्रालय के कुल 21 अधीनस्थ कार्यालयों को

हिन्दी में सरकारी कार्य करने के लिए नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया गया है।

- **प्रोत्साहन योजना और नकद पुरस्कार** वर्ष 2012–13 के लिए मूल रूप से हिन्दी में सरकारी कार्य करने की वार्षिक प्रोत्साहन योजना के तहत, एक कर्मचारी को 2000 रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया गया है।
- **हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़ा:** पर्यटन मंत्रालय में 16 से 30 सितम्बर, 2013 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवधि के दौरान, राजभाषा ज्ञान, हिंदी निबंध, पर्यटन ज्ञान और टिप्पण आलेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 15 वर्गों के लिए कुल सात प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें 57 कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया और 78 पुरस्कार जीते। 1 नवम्बर, 2013 को पुरस्कार वितरण समारोह पर्यटन मंत्रालय में आयोजित किया गया जिसमें सचिव (पर्यटन) ने प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र दिए।
- **हिन्दी कार्यशाला:** हिन्दी पखवाड़ा के दौरान दो कार्यशालाएं, एक हिन्दी में नोटिंग–ड्राफ्टिंग और दूसरी कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करना 30.09.13 को आयोजित की गई। मंत्रालय में 21 जनवरी, 2014 को एक हिन्दी टिप्पण–आलेखन कार्यशाला भी आयोजित की गई।

12.8

हिंदी सलाहकार समिति

पर्यटन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में किया गया है। इसकी बैठकें वर्ष में दो बार होनी चाहिएं।

12.9

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा 28 नवम्बर, 2013 को पर्यटन मंत्रालय तथा होटल अशोक जयपुर का निरीक्षण किया गया।

12.10

मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों ने दिल्ली के बाहर अपने 16 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण उनके कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया। वर्ष के दौरान दिल्ली स्थित चार कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया है।

12.11

विभागीय वेबसाइट

मंत्रालय की दो वेबसाइट द्विभाषी हैं तथा तीसरी वेबसाइट का हिन्दी रूपांतर किया जा रहा है। मंत्रालय में विभिन्न अनुभागों और प्रभागों को हिन्दी सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिया गया है ताकि वे कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य कर सकें।

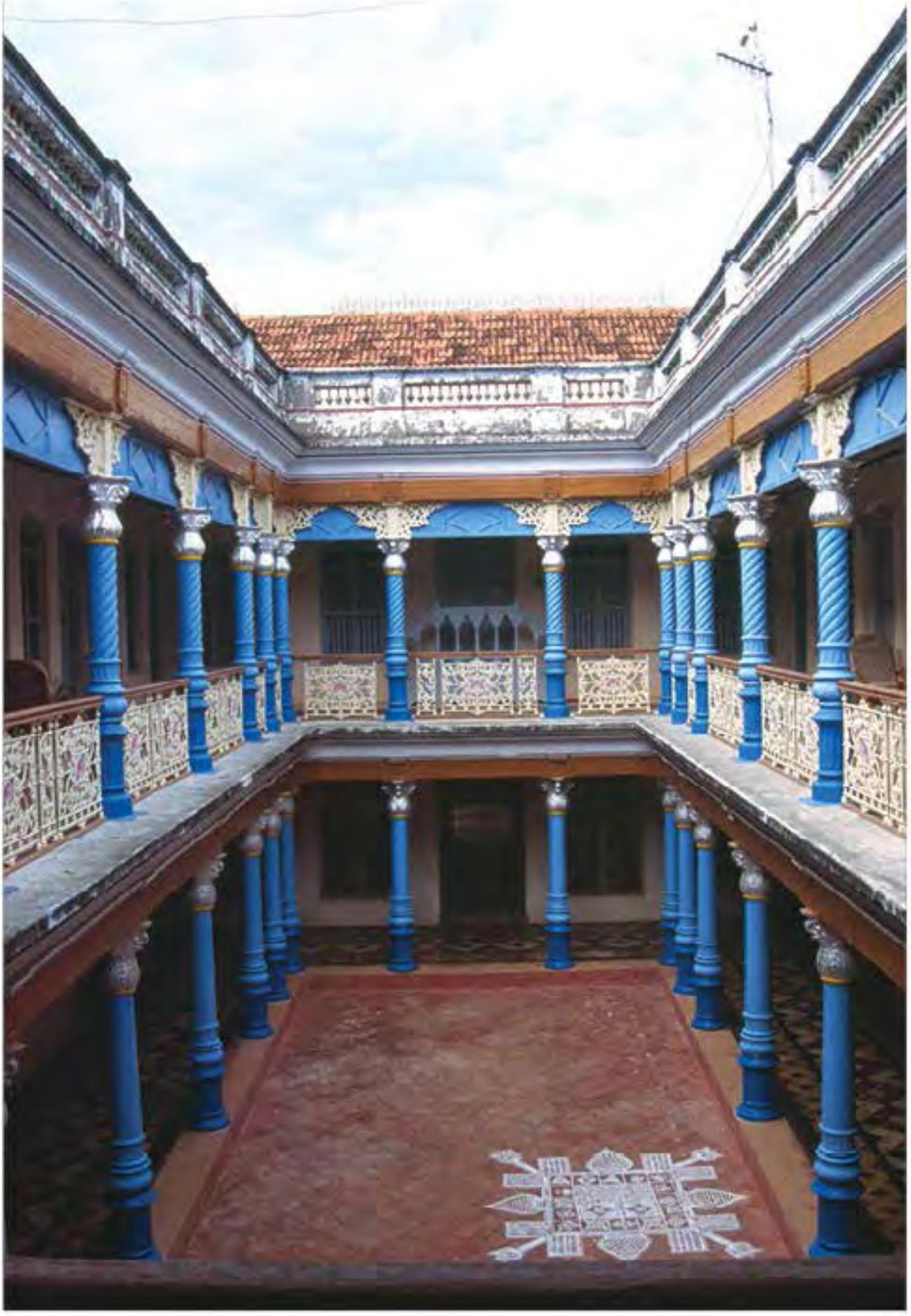

अध्याय-13

लैंगिक समानता

13.1

पर्यटन एक सेवा उद्योग है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। इस महत्वपूर्ण कारण से लैंगिक संवेदनशीलता और स्त्रियों और पुरूषों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना मंत्रालय का महत्वपूर्ण कार्य है। पर्यटन मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 39 के प्रति प्रतिबद्ध है, जो महिलाओं के प्रति किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करते हैं और लिंग भेद के बिना समान अवसर प्रदान करने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करते हैं।

13.2

इस मंत्रालय में महिला अधिकारी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और विदेश स्थित कार्यालयों में भी तैनात हैं। इस मंत्रालय की महिला कर्मचारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों एवं रोड शो के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाती हैं।

13.3

मंत्रालय में एक महिला शिकायत प्रकोष्ठ है, जो महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं और उनकी शिकायतों का निवारण करता है।

अध्याय-14

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण मामले

14.1

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार पर्यटन मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के निम्नलिखित मामले केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के समक्ष लंबित हैं :

- श्री राजकुमार ने ग्रेड पे में संशोधन के लिए माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए.सं. 1791/2013 दायर की।
- श्री सुन्दर लाल ने ग्रेड पे में संशोधन के लिए माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए.सं. 1792/2013 दायर की।
- श्रीमती अनुसूइया रावत ने ग्रेड पे में संशोधन के लिए माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए.सं. 1794/2013 दायर की।
- श्री अजित पाल ने ग्रेड पे में संशोधन के लिए माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए.सं. 1795/2013 दायर की।
- श्रीमती अनीता कपूर ने ग्रेड पे में संशोधन के लिए माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए.सं. 1796/2013 दायर की।
- श्री जे.पी.शॉ ने भारत पर्यटन, टोक्यो में ओवरसीज तैनाती के लिए माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता में ओ.ए.सं. 157/2013 दायर की।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

15.1

पारदर्शिता तथा जवाबदेही के संवर्धन के लिए भारत सरकार का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई एक्ट) इस मंत्रालय में पहले से कार्यान्वित किया जा चुका है। इस अधिनियम की धारा 4 (।) (ख) के प्रावधान के अनुसार मंत्रालय ने मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट www.tourism.gov.in में आरटीआई एक्ट नामक एक अलग भाग के अंदर मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों पर दिशा–निर्देशों के साथ–साथ इसके संगठनात्मक ढांचे, इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों और कर्तव्यों, उपलब्ध रिकार्डों और दस्तावेजों आदि की सूचना दी है। यह इस मंत्रालय की वेबसाइट के अन्य भागों के साथ उपयुक्त रूप से हाइपरलिंक्ड है।

15.2

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के मामलों में मंत्रालय के कार्यकलापों की सूचना इसकी वार्षिक रिपोर्टों में दी जाती है। ये रिपोर्टें मंत्रालय की उपर्युक्त वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध हैं तथा पुस्तकालय में भी रखी गई हैं।

15.3

सूचना जो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, उसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में यथा विहित अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके भारत के नागरिकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

15.4

मंत्रालय ने अपने उन्नीस (19) प्रथम अपीलीय अधिकारियों और 58 अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में अधिसूचित किया है, जो नागरिकों को अपने विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी हैं।

विभागीय लेखा संगठन

अध्याय-16

16.1

पर्यटन मंत्रालय में सचिव (पर्यटन) मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे इस उत्तरदायित्व को विभाग के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) और वित्तीय नियंत्रक की सहायता से पूरा करते हैं। वित्तीय नियंत्रक (एएसएवंएफए) लेखा संगठन के प्रमुख हैं और वे अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के माध्यम से सचिव को रिपोर्ट करते हैं। लेखा संगठन में प्रधान लेखा कार्यालय, आंतरिक लेखा परीक्षा विंग और दिल्ली स्थित एक भुगतान एवं लेखा कार्यालय आते हैं। वित्तीय नियंत्रक, लेखा संगठन विभाग के प्रमुख हैं और वे निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं:–

- महालेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित रीति से पर्यटन मंत्रालय के लेखों का समेकन करना।
- पर्यटन मंत्रालय हेतु अनुदान मांगों के वार्षिक लेखों को तैयार करना, संघ सरकार (सिविल) के लिए वित्त लेखों हेतु सामग्री और केन्द्रीय लेन–देन के विवरण को महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋणों और अनुदानों का भुगतान करना।
- भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को तकनीकी परामर्श प्रदान करने, महालेखा नियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क रखने और लेखा मामलों में सम्पूर्ण समन्वय एवं नियंत्रण रखने हेतु प्रबंधन लेखा प्रणाली यदि कोई हो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैनुअलों को तैयार करना।
- समग्र रूप से पर्यटन मंत्रालय के लिए विनियोजन लेखा परीक्षा रजिस्टरों को रखना और पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की प्रगति पर नजर रखना।
- मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए

भुगतान एवं लेखा रिकार्डों के आन्तरिक निरीक्षण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे गए पर्यटन मंत्रालय के लेन–देन से संबंधित रिकार्डों के निरीक्षण की व्यवस्था करना। भुगतान एवं लेखा कार्यालय भुगतान हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओज) द्वारा प्रस्तुत किए बिलों की पूर्व जांच करता है। कुछ मामलों में, भुगतान एवं लेखा अधिकारी 'लेटर ऑफ क्रेडिट' जारी करके एक निश्चित सीमा तक निधियों का संचालन करने के लिए, चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को प्राधिकृत करते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा किए गए सभी भुगतान पोस्ट–चैक की शर्त पर हैं। आहरण और संवितरण अधिकारियों (चैक और नान चैक दोनों आहरण) की कार्य प्रणाली में किसी विसंगति/कमी का इन कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उल्लेख किया जाता है।

16.2

भुगतान एवं लेखा कार्यालय

भुगतान एवं लेखा कार्यालय, चेक आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओज) के लेखों को मिलाने और समाविष्ट करने के पश्चात, उनके द्वारा एकत्रित की गई रसीदों और प्राधिकृत किए गए भुगतानों के आधार पर मासिक लेखे संकलित करता है और इन लेखों को प्रधान लेखा कार्यालय में प्रस्तुत करता है। भुगतान एवं लेखा कार्यालय के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में, सांविधिक निकायों/अन्य संस्थानों को ऋण अनुदान सहायता, पेंशन आदि को प्राधिकृत करने सहित, सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का रख–रखाव और सेवानिवृत्ति लाभों की व्यवस्था करना शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय, मांग सं0. 94 को प्रचालित करता है, जिसके लिए वर्ष 2013–14 के दौरान किया गया बजट प्रावधान निम्न प्रकार है :

राजस्व खण्ड	करोड़ रुपए में
योजना	1280.00
गैर–योजना	75.30
पूंजीगत खण्ड	
योजना	2.00
गैर–योजना	0.00
कुल योग	1357.30

16.3

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

वित्त मंत्रालय एवं महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय नियंत्रक कार्यालय ने मंत्रालय के लेखा कार्य में समग्र सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए, कम्प्यूटरीकरण को कार्यान्वित करने और आईटी की शुरूआत के लिए अनेक उपाय किए हैं।

- **कम्पेक्ट**

  वित्तीय नियत्रक के कार्यालय की पहल पर लेखा प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण में की गई एक महत्वपूर्ण शुरूआत, कम्पेक्ट पैकेज का कार्यान्वयन है, जिसमें वेतन एवं लेखा कार्यालय के अधिकांश क्षेत्रों के कार्य शामिल हैं। कम्पेक्ट के विकास का मूल उद्देश्य, एक ही डाटा को बार–बार हाथ से लिखने के नीरस रूटीन को हटाने के अतिरिक्त, वेतन एवं लेखा कार्यालयों के विभिन्न कार्यों में परिशुद्धता और गति प्रदान करना है। इस पैकेज के माध्यम से कम्प्यूटर की सहायता का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है ताकि एक बार लेखा आंकड़ों की प्रविष्टि करने के पश्चात, उनको मासिक लेखों के संकलन, एमआईएस रिपोर्ट आदि तैयार करने जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए, दोबारा प्रविष्टि की आवश्यकता के बिना, इसे विभिन्न स्थानों पर उपयोग किया जा सके।

  यह प्रणाली न केवल लेखाकरण को समृद्ध करती है और बेहतर प्रबंधन सूचना प्रदान करती है बल्कि लेखाकरण सूचना के विश्लेषण को बेहतर बनाने में सहायता भी करती है। बहुत से कार्य ऐसे हैं, विशेषतया ऐसे जो समाधान

से संबंधित है, जिनमें अधिक मैनुअल कार्य शामिल हैं। यह पैकेज इस प्रणाली के माध्यम से समग्र परिशुद्धता और राजस्व नियंत्रण में सुधार करने के अलावा, ऐसे कार्यों का ध्यान रखने में सहायता करता है। यह पैकेज कम्प्यूटराइज्ड वेलिडेशन के माध्यम से आन्तरिक नियंत्रणों और लेखा परीक्षा हेतु भी प्रावधान करता है और इस प्रकार यह लेखों की क्वालिटी में सुधार करने में बहुत अधिक सहायता करता है।

- **ई–लेखा**

  इस संगठन का भुगतान एवं लेखा कार्यालय www.cga.nic.in/elekha/elekhahome.asp वेबसाइट में दैनिक आधार पर डेटा को ई–लेखा में नियमित रूप से अपलोड कर रहा है। यह प्रबंधकीय निर्णय लेने हेतु मुख्यालय को किसी भी समय व्यय का विवरण तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। ई–लेखा की सहायता से किसी भी समय व्यय की स्थिति देखी जा सकती है।

- **कांटेक्ट**

  इन लेखाओं को कॉन्टेक्टर नामक साफ्टवेयर के माध्यम से प्रधान लेखा कार्यालय में समेकित किया जाता है। भुगतान एवं लेखा कार्यालय में कम्पेक्ट में संकलन किया जाता है और सीडी तैयार की जाती है एवं प्रधान लेखा कार्यालय

को भेज दी जाती है। प्रधान लेखा कार्यालय इन सीडी के माध्यम से कॉन्टेक्ट सॉफ्टवेयर में लेखे को समेकित करता है। मंत्रालय का समेकित लेखा मुख्यालय में रखा जाता है और इसके प्रिंट को भुगतान और लेखा अधिकारी के ई–लेखा द्वारा अपलोडिड लेखों के साथ तुलना करने के लिए रखा जाता है। प्रधान लेखा कार्यालय भुगतान और लेखा अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत ई–लेखा में किए गए मासिक लेखे की भी जांच करते हैं और उसके पश्चात इन मासिक लेखाओं को ई–लेखा में लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में अग्रेषित करते हैं।

- **सैंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीएसएमएस)** : प्लान स्कीमों की मॉनिटरिंग हेतु विकसित एक प्रणाली सीपीएसएमएस पोर्टल में प्रधान लेखा कार्यालय की एक अहम भूमिका है। सीपीएसएमएस पोर्टल में प्रधान लेखा कार्यालय निम्नलिखित कार्य करता है :
- भुगतान और लेखा अधिकारियों, चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा प्रोग्राम डिवीजन का पंजीकरण।
- प्रोजेक्ट सैल, महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा पंजीकरण हेतु एजेंसी की जांच करना एवं उसे अनुमोदन देना।
- सिक्किम तथा दिल्ली राज्यों को भुगतान करने हेतु ई–बिल तैयार करना।
- सिक्किम और दिल्ली की लंबित मंजूर आईडी को छोड़कर राज्य सरकार को भुगतान हेतु तैयार किए गए प्रत्येक मंजूर आईडी के तहत सलाह संख्या और वलीयरेंस ज्ञापन को अपलोड करना।
- सीपीएसएमएस पोर्टल में विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से मॉनिटरिंग करना।

  एनआईसी के माध्यम से प्रधान लेखा कार्यालय मासिक प्राप्तियां एवं भुगतान के आंकड़ों को नियमित रूप से www.tourism.nic.in वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

  महालेखा नियंत्रक को उनकी वेबसाइट www.cga.nic.in के माध्यम से मासिक एमआईएस भी ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा रहा है।
- ई–पेमेंट 19.03.2012 से भुगतान और लेखा कार्यालय में ई–भुगतान की एक प्रणाली अपनाई गई है। विकसित की गई ई–भुगतान प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं की एक पूर्णतः सुरक्षित वेब–आधारित प्रणाली है, जिससे सरकारी भुगतान में पारदर्शिता आई है। इस प्रणाली में एक सुरक्षित संचार चौनल पर 'गवर्नमेंट पेमेंट गेटवे (जीईपीजी)' के द्वारा काम्पेक्ट से तैयार किए गए और डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए गए ई–एडवाइसों के माध्यम से आदाता के बैंक खाते में सीधे ही राशि जमा करके भुगतान कर दिया जाता है। यह न केवल सरकारी विभागों द्वारा बर्किंग पेमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाएगा अपितु अदा दाता को भी अपने देय प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों में कम से कम जाना होगा।
- **सीडीडीओपीएओ पैकेज:** सीडीडी. ओपीएओ पैकेज एक सॉफ्टवेयर है जो भारत सरकार के विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों में चल रहे कॉम्पेक्ट साफ्टवेयर में चैक आहरित करने वाले डीडीओ (सीडीडीओ) से वाउचर, चालान और जीपीएफ शेडयूल जैसे डाटा के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह को सरल बनाने के लिए है। इस पैकेज से उन वेतन एवं लेखा कार्यालयों को काफी लाभ पहुंचता है जिनमें सीडीडीओ की संख्या बहुत अधिक है और एलओपी और चालान में वेतन एवं लेखा कार्यालय में ऊपर उल्लिखित संकलित प्रविष्टियां करते समय बहुत अधिक समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, जीपीएफ शेड्यूल प्रत्येक अंशदाता की जीपीएफ शेड्यूल की प्रविष्टियां पीएओ–2000 सिस्टम में मैनुअल रूप से की जाती है जिसके कारण वेतन एवं लेखा कार्यालयों में लेखों के संकलन एवं समेकन में देरी होती है। इसके अलावा सीडीडीओ के लेखों का वेतन एवं लेखा कार्यालय से मिलान में बहुत अधिक समय एवं मेहनत लगती है। इस प्रकार की विसंगतियों और गलत वर्गीकरण से बचने के लिए सीडीडीओ2पीएओ पैकेज लगाया गया है ताकि पीएओ और सीडीडीओ की कार्यप्रणाली सुचारू बनाई जा सके।
- वित्तीय नियंत्रक, पर्यटन मंत्रालय ने पीएओ के भुगतान नियंत्रण के अधीन सभी सीडीडीओ में सीडीडीओपीएओ पैकेज के संस्थापन के लिए एक शुरूआत की है। तदनुसार

वित्त मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के लेखा कार्यों में संपूर्ण सुधार तथा पारदर्शिता के लिए सीडीडीओ2पीएओ पैकेज सभी स्थानीय और पांच विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों जैसे कि भारत पर्यटन कार्यालय, दुबई, लंदन, लॉस एंजिल्स, न्यूयार्क और टोरंटो में स्थापित किए गए हैं।

16.4

आन्तरिक लेखा परीक्षा

पर्यटन मंत्रालय में आन्तरिक लेखा–परीक्षा संगठन के प्रमुख, वित्त नियंत्रक हैं, जिनकी सहायक वित्त नियंत्रक, एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी और चार सहायक लेखा अधिकारी सहायता करते हैं।

लेखांकन, वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा, एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह कमियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उजागर करता है। लेखा परीक्षा आपत्तियों से बचने हेतु उपचारात्मक एवं सुधारात्मक उपाय करने के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा एक आधार प्रदान करता है। मुख्यालय में आन्तरिक लेखा–परीक्षा अनुभाग, आन्तरिक लेखा परीक्षा निरीक्षण विंग द्वारा किए गए विभिन्न ईकाईयों के निरीक्षण के एक बेसिक और स्थायी रिकार्ड के तौर पर कार्य करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष आन्तरिक लेखा परीक्षा का एक कन्ट्रोल रजिस्टर रखता है। मुख्यालय में आन्तरिक लेखा–परीक्षा अनुभाग, यूनिटो के बजट आबंटन और कर्मचारियों की संख्या पर वार्षिक रूप से, वर्ष में दो बार लेखा–परीक्षित की जाने वाली ईकाईयों के वर्गीकरण के आधार पर एक आन्तरिक लेखा–परीक्षा योजना तैयार करता है। प्रत्येक वर्ष मार्च के पहले सप्ताह में, आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान निरीक्षण की जाने वाली सभी ईकाईयों के ब्यौरों को आगामी वित्तीय वर्ष के कन्ट्रोल रजिस्टर में रिकार्ड कर लिया जाता है। इस प्रकार की सूचना के आधार पर आन्तरिक लेखा–परीक्षा कार्यक्रम तिमाही आधार पर तैयार किए जाते हैं।

निरीक्षण पार्टियों के प्रस्तावित दौरों की सूचना, कम से कम एक माह पहले ही संबंधित मुख्यालयों/ भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को भेज दी जाती है, ताकि निरीक्षण को सुचारू रूप से चलाने की सुविधा के लिए सभी सुसंगत रिकार्डों (लेखा पुस्तकों और अन्य) को तैयार रखा जाए।

☒ आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

प्रधान लेखा कार्यालय, भुगतान और लेखा कार्यालय के साथ मंत्रालयों/विभागों में डी.डी.ओ. के कार्यालय तथा भारत सरकार के विदेश स्थित अन्य कार्यालय आंतरिक लेखा परीक्षा के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इन कार्यालयों के अलावा आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय/ विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु आवश्यक है।

आंतरिक लेखा परीक्षा लेखाकरण और वित्तीय मामलों में नियमों और विनियमों तथा प्रणाली एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालन कार्यालयों द्वारा रखे गए प्रारंभिक

लेखे की जांच भी करता है। इस जांच में निधि लेखे, ऋण और अग्रिम तथा स्टोर्स, उपकरणों, टूल्स एवं प्लांट के भौतिक सत्यापन से संबंधित रिकार्डों की जांच सहित सभी निधिकरण रिकार्डों की जांच शामिल है। सभी अनुदान प्राप्ति संस्थानों या संगठनों के लेखे भी स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी और सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के प्रावधान के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और पर्यटन विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से आंतरिक लेखा परीक्षा, दोनों के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले होते हैं, जब कभी संस्थान अथवा संगठन को ऐसा करने के लिए कहा जाता है।

☒ आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य

- विभाग के लिए निर्धारित लेखा प्रक्रियाओं का अध्ययन यह सुनिश्चित करने के विचार से करना कि यह प्रक्रिया सही, पर्याप्त और किसी कमी अथवा त्रुटि से मुक्त है।
- निर्धारित प्रक्रियाओं और समय–समय पर जारी आदेशों के कार्यान्वयन को देखना।
- लेखाकरण यूनिटों के भुगतान और लेखा कार्य की संवीक्षा और जांच करना।
- लेखाकरण और अन्य संबंधित रिकार्डों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जांच पड़ताल करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के संबंध में अन्य मंत्रालयों और महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वय स्थापित करना।
- सभी लेखा रिकार्डों की आवधिक समीक्षा करना।
- प्रधान लेखा कार्यालय और भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा इसके नोटिस में लाई गई अनियमितताओं या बिन्दुओं की जांच करना और रिपोर्ट करना।
- आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग के निष्पादन पर वार्षिक समीक्षा तैयार करना और महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।

वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2013–14 में लेखा परीक्षा हेतु शेष और 2012–13 और 2013–14 में लेखा परीक्षित यूनिटों की संख्या निम्नानुसार है:–

☒ आन्तरिक लेखा परीक्षा निष्पादन

	लेखा परीक्षा हेतु शेष यूनिटों की संख्या	लेखा परीक्षित यूनिटों की संख्या	लेखा परीक्षा हेतु शेष यूनिटों की संख्या	लेखा परीक्षित यूनिटों की संख्या
	2012–13	2012–13	2013–14	2013–14
दिल्ली से बाहर	40	11	34	08
दिल्ली	05	04	05	00
विदेशों में	14	02	14	02
कुल	59	17	53	10

जोखिम (रिस्क) आधारित लेखा परीक्षा

आज हम जो लेखा परीक्षा करते हैं, वह व्यापक स्तर के अनुपालन पर आधारित है, जो नियमों और लेखे की जांच करता है। हाल के वर्षों में लेखा परीक्षा/रिस्क आधारित लेखा परीक्षा निष्पादन की अवधारणा प्रबंधन के लिए महत्वपपूर्ण टूल बन गया है, क्योंकि वह योजना की अर्थव्यवस्था, कार्यक्षमता और प्रभावशीलता का निर्धारण करता है और सरकार को बेहतर ढंग से व्यय करने, बेहतर सार्वजनिक जवाबदेही एवं प्रबंधन में योगदान दे सकता है। किसी भी स्कीम को जोखिम आधारित लेखा परीक्षा स्कीम का यह देखने के लिए मूल्यांकन है कि संसाधनों का प्रबंध अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावीपन को ध्यान में रखकर किया गया है और जबावदेही अपेक्षा को युक्तियुक्त ढंग से पूरा किया जा रहा है।

अध्याय-17

पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक झलक

17.1

भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्र में आठ राज्य शामिल हैं, जिनके नाम हैं :– अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। इस क्षेत्र की अवस्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साथ बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं।

इस क्षेत्र का समृद्ध प्राकृतिक सौन्दर्य, शांति एवं मोहक पेड़ पौधे तथा जीव जन्तु पर्यटन के विकास के लिए अमूल्य संसाधन प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र विविध पर्यटक आकर्षणों से परिपूर्ण है और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग विशेषताएं हैं। ये आकर्षण संपूर्ण क्षेत्र में फैले हुए हैं और अधिकांशतः अत्यधिक नाजुक परिवेश वाले सुदूर क्षेत्रों में स्थित हैं। ये आकर्षण और इस क्षेत्र के लोग कुल मिलाकर पर्यटन संसाधन के संघटक हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य, बर्फीली चोटी वाली पहाड़ियों और स्वच्छ जल वाली नदियों तथा सांस्कृतिक विविधता की प्रचुरता के बावजूद इस क्षेत्र में विभिन्न आकर्षण वाले स्थलों पर उपयुक्त अवसंरचना एवं अन्य पर्यटक सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटक आगमन की संख्या सीमित रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए मंत्रालय के प्लान आवंटन का 10% निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र के लिए संशोधित अनुमान 2013–14 में 98.00 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता में पर्यटक अवसंरचना के विकास हेतु सहायता, इस क्षेत्र में पर्यटन संबंधी कार्यक्रम एवं मेले/उत्सवों का संवर्धन, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाएं, प्रचार

अभियान, बाजार विकास सहायता, मानव संसाधन विकास, संवर्धन एवं विपणन आदि शामिल हैं।

17.2

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) त्वांग

इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास और संवर्धन के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट पर्यटन मंत्रालय द्वारा अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से 18 से 20 अक्तूबर, 2013 तक त्वांग, अरूणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। इस पर्यटन मार्ट का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना था।

इस अंतर्राष्ट्रीय मार्ट में 22 देशों नामत: आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, ब्रुनई, कम्बोडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ओमान, म्यांमार, नार्वे, फिलीपाइन्स, रूस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, यूके, यूएसए और वियतनाम के 68 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

19 अक्तूबर, 2013 को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट का उद्घाटन अरूणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नबाम तुकी द्वारा किया गया। प्रतिभागियों में सभी पूर्वोत्तर राज्यों और प. बंगाल के पर्यटन मंत्रियों और पर्यटन सचिव, भारत के सभी राज्यों के अनुमोदित टूर प्रचालक (राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के) पूर्वोत्तर क्षेत्र के होटलियर्स और यात्रा प्रचालक, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई), इंडियन

एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर (आईएटीओ), एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया (एडीटीओआई), एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई) पाटा और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के प्रतिनिधि शामिल हैं।

इस समारोह ने भारत के आठ उत्तर–पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल के पर्यटन व्यावसायिकों को एक साथ मिलने का मौका दिया। 20 अक्तूबर, 2013 को आयोजित की गई बिजनेस मीटिंग में क्रेताओं, विक्रेताओं, मीडिया, सरकारी एजेन्सियों और बिजनेस में अन्य लोगों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए समारोह की योजना और इसका कार्यक्रम तैयार किया गया था। इसके द्वारा क्षेत्र में पर्यटन का संवर्धन करने के उद्देश्य से क्षेत्र के पर्यटन उत्पाद आपूर्तिकर्ता अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खरीददारों तक पहुंच सके।

पर्यटन मंत्रालय की आतिथ्य स्कीम के अंतर्गत क्षेत्र में विदेशों से लेकर राज्यों तक के यात्रा और मीडिया से संबंधित प्रतिनिधियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियमित आधार पर इस क्षेत्र का परिचय कराने वाले दौरों की व्यवस्था की गई।

पर्यटन मंत्रालय उत्तर–पूर्व क्षेत्र में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे कि यह क्षेत्र के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक उभरते हुए अग्रणी पर्यटक गंतव्य के रूप में उभरे।

17.3

अवसंरचना एवं अन्य परियोजनाएं

वर्ष 2013–14 में पर्यटन मंत्रालय की गंतव्य/परिपथ के उत्पाद/अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना विकास के हेतु 115.62 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई।

17.4

ग्रामीण पर्यटन

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी अद्वितीय परम्परा, सांस्कृतिक विरासत, मोहक पेड़ पौधे, जीवजन्तु और प्राकृतिक सुन्दरता के कारण ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन मंत्रालय की ग्रामीण पर्यटन योजना का उद्देश्य पारम्परिक ग्रामीण कला, वस्त्र, शिल्पकला, संस्कृति आदि आधारित आजीविका के संवर्धन द्वारा पर्यटन प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के रूप में सतत पर्यटन का विकास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना सृजित करने और मानव संसाधन विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

अध्याय-18

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियां

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के सर्वाधिक नवीन लेखा परीक्षा रिपोर्टों में प्रकाशित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है :

☒ संघ सरकार (सिविल), लेखा परीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन, 2013 का 19।

2013 की रिपोर्ट सं. 19 संघ सरकार (सिविल) लेखा परीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन	
पर्यटन मंत्रालय	
विज्ञापन एजेंसी को एजेंसी सेवा शुल्क का अनियमित भुगतान	भारत पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, एम्सटर्डम तथा मिलान ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के प्रतिकूल प्रावधानों वाले रकिंग समझौते के आधार पर विज्ञापन एजेंसी को एजेंसी सेवा शुल्क का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप, नवम्बर, 2009 से मई 2012 के दौरान 88.67 लाख रूपए का अनियमित भुगतान हुआ।
	पैराग्राफ 13.1

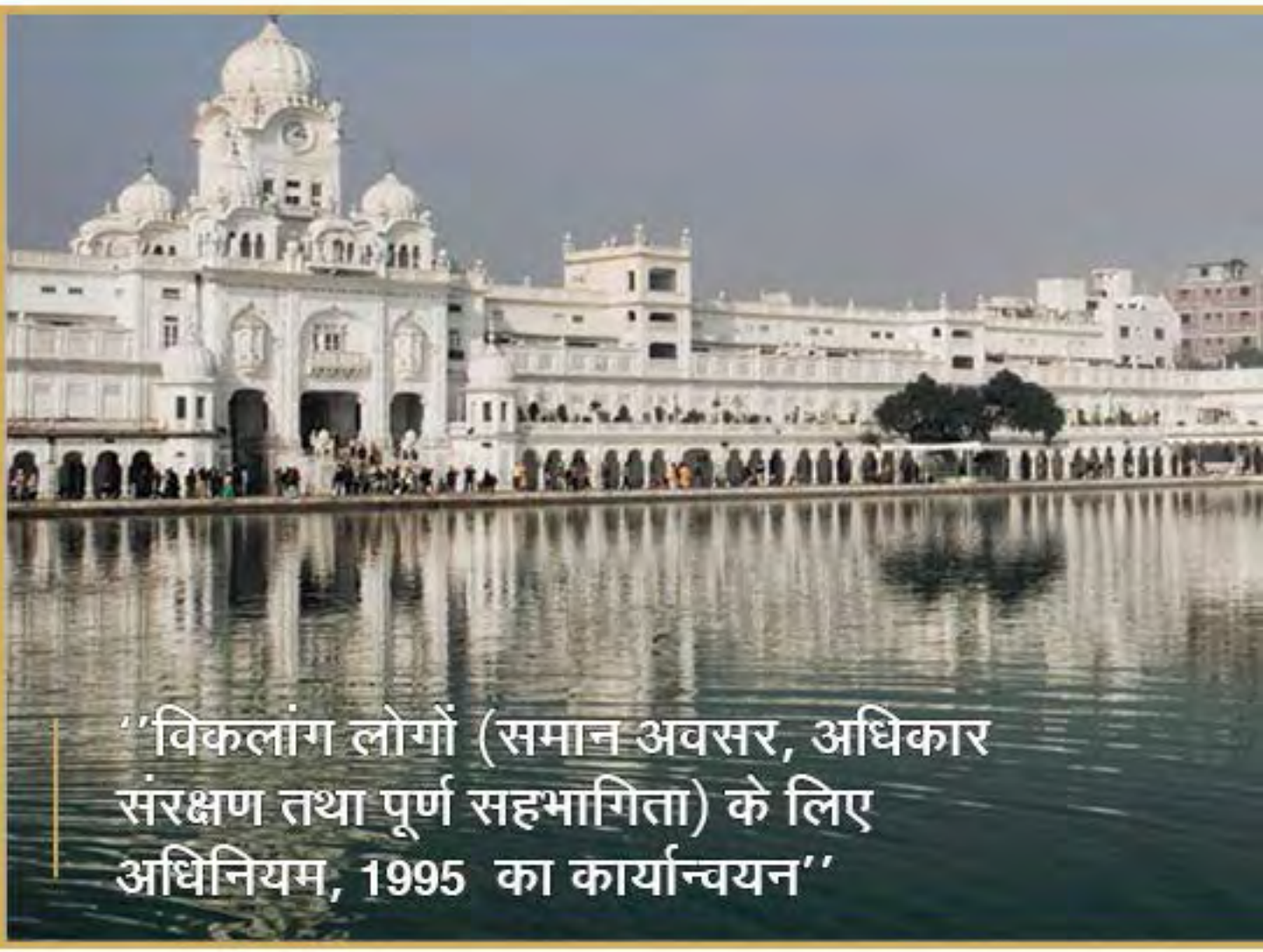

''विकलांग लोगों (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) के लिए अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन''

अध्याय-19

19.1

यात्रा, खेल और अन्य अवकाश–उन्मुख उत्पादों तथा सेवाओं के उपभोक्ता समूह के रूप में विकलांग लोग स्वीकार किए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटक गंतव्यों के संवर्धन के लिए इस समूह की क्षमता का दोहन करना चाहता है। अतः मंत्रालय ने पर्यटक गंतव्यों को अवरोध मुक्त बनाने के लिए पहल की है। पर्यटक सुविधाओं जिन्हें केन्द्रीय वित्तीय सहायता से निर्मित किया जा रहा है को अवरोध–मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को व्यापक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चूंकि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकलांग व्यक्तियों की समानता और पूर्ण–सहभागिता पर उद्घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता भी है, अतः मंत्रालय सभी पर्यटक गंतव्यों पर अवरोध–मुक्त अभिगम का संवर्धन करता है।

19.2

4 सितारा और 5 सितारा श्रेणी के होटलों के अनुमोदन तथा वर्गीकरण हेतु दिशा–निर्देश

19.2.1

होटलों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए पर्यटन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार विकलांग अतिथि के लिए उपयुक्त कम ऊंचाई का फर्नीचर सहित व्हील चेयर से आने–जाने के लिए न्यूनतम एक मीटर चौड़ाई वाला दरवाजा, निम्न ऊंचाई का झरोखा, अलमारी, कपड़े के लिए निम्न ऊंचाई के स्लाइड डोर युक्त हैंगर सहित सभी सितारा होटल कम से कम निम्न ऊंचाई का एक रूम उपलब्ध कराएंगे। कमरा श्रव्य एवं दृष्टिगोचर (ब्लिंकिंग प्रकाश अलार्म प्रणाली) होना चाहिए।

19.2.2

बाथरूम में व्हीहल चेयर से जाया जा सके जिसमें उपयुक्त स्लाइडिंग डोर, फिक्सर हो जैसे वाश बेसिन की ऊंचाई कम हो, डब्ल्यूसी की ऊंचाई कम हो तथा ग्रैब बार जैसी सुविधाएं हों।

19.2.3

होटल के प्रवेश द्वार पर एंटी स्लिप फ्लोर वाले रैम्प हों ताकि वहां व्हील चेयर से पहुंचा जा सके। सभी सार्वजनिक क्षेत्रों और कम से कम 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स होटलों में बिना बाधा के पहुंचा जा सके।

19.2.4

सार्वजनिक विश्राम कक्षों में (महिला एवं पुरुष दोनों के लिए) ग्रैब बार युक्त कम ऊंचाई के यूरिनल (अधिकतम 24 इंच) तक व्हील चेयर से पहुंचा जा सके।

19.3

मंत्रालय ने देश में सर्वाधिक बाधामुक्त स्मारक/पर्यटक आकर्षण के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार की एक नई श्रेणी का भी निर्देश दिया है ताकि सुगम पर्यटन के संवर्धन के लिए बाधामुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए स्मारकों/पर्यटक आकर्षणों के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी अन्य एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

पर्यटन मंत्रालय के लिए कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (उपलब्धि) (2013–14)

उद्देश्य	तरजीह	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	तरजीह
भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना और उससे विदेशी आय में वृद्धि करना	5.00	विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) की संख्या और विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करना।	2012 की तुलना में 2013 में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) में वृद्धि (परिणाम–उन्मुखी)	%	2.00
			2012 की तुलना में 2013 में विदेशी मुद्रा आय (एफईई) में वृद्धि (परिणाम–उन्मुखी)	%	3.00
देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित मानकों के होटल आवास को बढ़ाना	8.00	4 सितारा, 5 सितारा, 5 सितारा डिलक्स तथा हैरिटेज कैटेगरी होटल के सभी तरह से पूर्ण आवेदनों की जांच की गई और निर्णय लिया गया	निर्धारित 3 महीने में स्वीकार किए जाने वाले पूर्ण आवेदनों की संख्या जिन पर निर्णय लिया गया (निर्गम–उन्मुखी)	%	6.00
			होटल अनुमोदन और वर्गीकरण के लिए ऑनलाइन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली की शुरूआत करना (निर्गम–उन्मुखी)	दिनांक	2.00
स्टेकहोल्डरों के साथ पर्यटन क्षेत्र में नीतिगत सलाह और जानकारी के आदान प्रदान के लिए सर्वेक्षण, अध्ययन करना और आंकड़ों का संकलन	5.00	भारत में विदेशी पर्यटक आगमन पर्यटन से तथा विदेशी मुद्रा आय के अनंतिम मासिक आंकलन अगले माह की 9 तारीख तक जारी करना।	निर्धारित तिथि के भीतर रिपोर्टों की संख्या जारी की गई (आदान उन्मुखी)	संख्या	1.00
		2012 के लिए पर्यटन आंकड़ों को हाईलाइट करते हुए 'पर्यटन आंकड़े एक झलक 2012' ब्रोशर का प्रकाशन ।	प्रकाशन जारी किया जाना (आदान–उन्मुखी)	दिनांक	1.00
		2012 के लिए व्यापक पर्यटन आंकड़े प्रस्तुत करते हुए 'भारत पर्यटन आंकड़े 2012' का प्रकाशन।	प्रकाशन जारी किया (आदान–उन्मुखी)	दिनांक	1.00
		डीपीआरएस,सर्वेक्षणों तथ्य अध्ययनों आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्यों से प्राप्त प्रस्तावों की प्रोसेसिंग करना।	पूर्ण विवरणों / दस्तावेजों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर तय किए गए प्रस्तावों की संख्या (आदान–उन्मुखी)	%	1.00
		प्लान स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन	संशोधित प्लान स्कीमों के एसएफसी / ईएफसी मेमो को अंतिम रूप देना (आदान–उन्मुखी)	दिनांक	1.00

लक्ष्य मापदंड मूल्य					उपलब्धि	निष्पादन		
उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	कम		रॉ स्कोर	भारयुक्त स्कोर	एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
100%	90%	80%	70%	60%				
8	7.5	7	6.5	6	4.1	0.0	0.0	4.1
22	21.5	21	20.5	20	12	0.0	0.0	12
100	90	80	70	60	100	100.0	6.0	100
15/4/13/	30/4/13	15/5/13	31/05/13	15/6/13	13/4/13	100.0	2.0	03/04/13
12	11	10	09	08	12	100.0	1.0	12
31/7/13	16/08/13	31/8/13	15/9/13	30/9/13	30/7/13	100.0	1.0	30/7/13
30/11/13	15/12/13	31/12/13	15/01/14	31/1/14	29/11/13	100.0	1.0	29/11/13
100	90	80	70	60	60.97	60.97	0.61	60.97
31/08/13	30/09/13	15/10/13	31/10/13	15/11/13	22/4/13	100.0	1.0	22/04/13

उद्देश्य	तरजीह	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	तरजीह
देश में पर्यटकों के लिए गुणवत्ता –परक सेवाओं की सुविधा देना तथा भारतीय पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना	4.00	भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यात्रा व्यवसाय संबंधी सेवाओं की सुविधा देना – इनबाउंड टूर संचालकों के अनुमोदन की योजना के तहत टूर संचालकों की विश्वसनीयता को प्रमाणित करना।	इनबाउंड टूर संचालकों के सभी आवेदनों का, जो सर्वथा पूर्ण हैं, 45 दिनों में निपटान करना (आदान–उन्मुखी)	आवेदनों का %	1.00
			ट्रेवल एजेंटों के सभी आवेदनों का, जो सर्वथा पूर्ण हैं, 45 दिनों में निपटान करना। (आदान–उन्मुखी)	आवेदनों का %	1.00
			(कैलेंडर वर्ष) के अनुसार विदेशी पर्यटक आगमनों के शिकायतों के प्रतिशत के रूप में कमी। (निर्गम उन्मुखी)	%	1.00
			पर्यटकों से प्राप्त शिकायतों का निवारण करना (निर्गम उन्मुखी)	औसत खपत समय (दिनों में)	1.00
स्थानीय समुदायों विशेष रूप से गरीबों की सहभागिता से पर्यटन का संवर्धन और विपणन करना तथा सतत पर्यटन कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना	14.00	विश्व में दो प्रमुख मेलों में सहभागिता	पवेलियन डिजाइन तथा संकल्पना के लिए समारोह तिथि से अग्रिम दिनों की संख्या (आदान–उन्मुखी)	दिनों की सं.	3.00
			एमओटी स्टाल्स में सहभागी स्टेकहोल्डरों की संख्या (आदान–उन्मुखी)	सं.	1.00
			परामर्शदाता की नियुक्ति तथा सहभागिता के अंतिम 3 वर्षों के प्रभाव आंकलन अध्ययन के लिए कार्यप्रणाली का अनुमोदन (निर्गम उन्मुखी)	दिनांक	1.00
		विदेश स्थित क्षेत्रीय भारत पर्यटन कार्यालयों के द्वारा स्वयं अथवा स्टेकहोल्डरों के सहयोग से रोड शो श्रृंखला तथा/अथवा नो इंडिया सेमिनारों का संचालन करना।	संचालित किए गए रोड शो तथा नो इंडिया सेमिनारों की कुल संख्या (आदान उन्मुखी)	रोड शो की सं.	4.00
		अतिथिदेवो भव अभियान	इलेक्ट्रानिक मीडिया में एक अभियान शुरू किया जाना (निर्गम उन्मुखी)	दिनांक	2.00
		पूर्वोत्तर भारत तथा जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का संवर्धन	संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक अभियान चलाया जाना (निर्गम उन्मुखी)	दिनांक	3.00

लक्ष्य मापदंड मूल्य					उपलब्धि	निष्पादन		
उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	कम		रॉ स्कोर	भारयुक्त स्कोर	एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
100%	90%	80%	70%	60%				
100	90	80	70	60	97	97.0	0.97	97
100	90	80	70	60	97	97.0	0.97	97
0.0052	0.0053	0.0054	0.0055	0.0056	0.0063	0.0	0.0	0.0063
90	97	104	114	121	120	61.43	0.61	120
40	30	25	20	15	40	100.0	3.0	40
105	100	95	90	85	90	70य0	0.7	90
28/2/14	07/03/14	14/3/14	21/3/14	31/3/14				
18	16	14	12	10	104	100.0	4.0	104
31/08/13	30/09/13	31/10/13	30/11/13		30/11/13	70.0	1.4	30/11/13
31/12/13	31/01/14	28/2/14	31/3/14		31/12/13	100.0	3.0	31/12/13

उद्देश्य	तरजीह	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	तरजीह
मानव संसाधन की गुणवत्ता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आतिथ्य क्षेत्र में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) अवसंरचना का विकास करना।	17.00	मांग को पूरा करने तथा रोजगार उत्पन्न करने के लिए आतिथ्य क्षेत्र में कौशल–प्रशिक्षण	'हुनर से रोजगार' योजना के तहत प्रशिक्षित युवक (निर्गम उन्मुखी)	सं.	7.00
			प्रशिक्षित पर्यटक गाइडों की संख्या (निर्गम उन्मुखी)	सं.	2.00
			सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के तहत प्रशिक्षित पर्यटक सुविधा प्रदाताओं की संख्या (निर्गम उन्मुखी)	सं.	2.00
		एसआईएचएम / एफसीआई के लिए अवसंरचना का विकास	विस्तारित परियोजनाओं सहित 31.03.13 तक पूरे किए जाने वाले 5 एसएचआईएम / एफसीआई में से अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करना (निर्गम उन्मुखी)	% परि–योजनाएं	3.00
			2013–14 में डिग्री और डिप्लोमा कोर्सों के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (निर्गम उन्मुखी)	सं.	3.00
निश उत्पादों सहित देश में पर्यटन अवसंरचना का विकास	22.00	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के तहत परियोजनाओं की संस्वीकृति	विस्तारित परियोजनाओं सहित 31.03.14 तक पूरी होने वाली परियोजनाओं में से पूरी की गई / समाप्त / विस्तारित पर्यटन परियोजनाओं (सं.) (निर्गम उन्मुखी)	%	6.00
			उपयोग किए जाने वाला बजट आवंटन (आदान–उन्मुखी)	%	5.00
		ग्रामीण पर्यटन का विकास एवं संवर्धन	31.03.12 तक पूरा होने वाली अपूर्ण ग्रामीण पर्यटन साइट्स (85 साइट्स) में हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स का पूर्ण / समापन विस्तारण (निर्गम उन्मुखी)	%	1.00
			31.03.12 तक पूरी होने वाली अपूर्ण ग्रामीण पर्यटन साइट्स (86 साइट्स) में साफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की पूर्णता / समापन विस्तारण (निर्गम उन्मुखी)	%	1.00
		राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से 2014–15 में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए पर्यटन परियोजनाओं की प्राथमिकता	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देना (निर्गम उन्मुखी)	%	2.00
			2013–14 की प्राथमिकता मीटिंगों की अनुवर्ती कार्रवाई को पूरा करना (आदान उन्मुखी)	दिनांक	1.00
		भारतीय पर्यटन की प्रतिस्पर्धा का आंकलन करने के लिए किए गए स्वतंत्र अध्ययन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना	अल्प अवधि के कार्यान्वयन की योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई को पूरा करना।	दिनांक	1.00

लक्ष्य मापदंड मूल्य					उपलब्धि	निष्पादन		
उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	कम		रॉं स्कोर	भारयुक्त स्कोर	एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
100%	90%	80%	70%	60%				
30000	27000	24000	21000	18000	67043	100.0	7.0	67043
360	324	288	252	216	239	66.39	1.33	239
100	90	80	70	60	0	0.0	0.0	0
7500	7000	6500	6000	5500	7109	92.18	2.77	94.78
100	90	80	70	60	100	100.0	6.0	100
100	90	80	70	60	99.45	99.45	4.97	99.45
100	90	80	70	60	80	80.0	0.8	80
100	90	80	70	60	83.33	83.33	0.83	83.33
100	90	80	70	60	71.43	71.43	1.43	71.43
30 / 09 / 13	15 / 10 / 13	31 / 10 / 13	15 / 11 / 13	30 / 11 / 13	30 / 9 / 13	100.0	1.0	30 / 9 / 14
15 / 12 / 13	31 / 12 / 13	15 / 1 / 14	31 / 1 / 14	14 / 2 / 14				

उद्देश्य	तरजीह	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	तरजीह
		निश पर्यटन उत्पादों का विकास, संवर्धन और विपणन	समर्थित किए जाने वाले निश पर्यटन समारोहों / उत्पादों की संख्या (आदान उन्मुखी)	सं.	1.00
		सतत पर्यटन को बढ़ावा देना	संचालित / समर्थित किए जाने वाले कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / सम्मेलनों की संख्या (आदान उन्मुखी)	सं.	1.00
			राज्यों और अन्य स्टेकहोल्डरों के परामर्श से बैकवाटर पर्यटन हेतु सतत पर्यटन के लिए दिशा–निर्देशों / सूचकांको / मापदंडों का विकास करना (आदान उन्मुखी)	दिनांक	1.00
			राज्यों और अन्य स्टेकहोल्डरों के परामर्श से पर्यटक गंतव्यों की स्वच्छता के लिए दिशा–निर्देशों / सूचकांको / मापदंडों का विकास करना (आदान उन्मुखी)	दिनांक	2.00
पर्यटन के संवर्धन और विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना	4.00	प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफार्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस) के लिए साफ्टवेयर का विकास	शेष 14 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पीएमआईएस का कार्यान्वयन (आदान–उन्मुखी)	%	2.00
		पर्यटन संवर्धन के लिए ऑन–लाइन अभियान	एक ऑनलाइन अभियान की शुरूआत (आदान–उन्मुखी)	दिनांक	2.00
पीएसयू तथा उत्तरदायित्व केन्द्रों के प्रदर्शन में सुधार	6.00	आरएफडी प्रस्तुत करना	15.04.13 तक सभी 33 आरसीएस की आरएफडी को प्रस्तुत करना (आदान–उन्मुखी)	%	3.00
		आईटीडीसी का बेहतर प्रदर्शन हासिल करना	एमओयू के अनुसार कारोबार हासिल करना (करोड़ रूपए में) (परिणाम उन्मुखी)	%	3.00
आरएफडी सिस्टम का कुशल संचालन	3.00	अनुमोदन के लिए ड्राफ्ट आरएफडी 2014–15 की समयबद्ध प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुति	दिनांक	2.0
		2012–13 के लिए परिणामों की समयबद्ध प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुति	दिनांक	1.0
पारदर्शिता / सर्विस डिलीवरी / मंत्रालय / विभाग	3.00	नागरिक / ग्राहक चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र जांच	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.0
		सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र जांच	प्रतिशत कार्यान्वयन	%	1.0
प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित खतरे को कम करने के लिए शमनकारी रणनीतियों को लागू करना।	प्रतिशत कार्यान्वयन	%	1.0

लक्ष्य मापदंड मूल्य					उपलब्धि	निष्पादन		
उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	कम		रॉ स्कोर	भारयुक्त स्कोर	एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
100%	90%	80%	70%	60%				
10	9	8	7	6	11	100.0	1.0	11
2	1				2	100.0	1.0	100
01/03/14	07/03/14	14/3/14	21/3/14	31/3/14	28/12/13	100.0	1.0	28/12/13
15/12/13	31/12/13	15/1/14	31/1/14	14/2/14	25/3/14	0.0	0.0	25/3/14
100	90	80	70	60	0	0.0	0.0	0
31/12/13	31/01/14	28/2/14	31/3/14		30/6/13	100.0	2.0	30/6/13
100	90	80	70	60	100	100.0	3.0	100
570	550	530	520	490	81.50	0.0	0.0	81.50
05/03/14	06/03/14	7/03/14	8/03/14	11/3/14	4/03/14	100.0	2.0	4/3/14
01/05/13	02/05/13	3/05/13	6/05/13	7/05/13	1/05/13	100.0	1.0	
100	95	90	85	80				
100	95	90	85	80				
100	95	90	85	80	100	100.0	1.0	100

उद्देश्य	तरजीह	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	तरजीह
		अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 लागू करना	प्रतिशत कार्यान्वयन	%	2.0
		प्रमुख नई खोजों की पहचान करना, तथा डिजाइन को लागू करना	नवीनताएं लाने के लिए कार्य योजना को समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	2.0
		दूसरी एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग के कोर तथा गैर–कोर गतिविधियों की पहचान	समय पर प्रस्तुति	दिनांक	1.0
आंतरिक कुशलता/अनुक्रियाशीलता में सुधार	2.00	12वीं योजना प्राथमिकताओं के साथ श्रेणीबद्ध करने के लिए अद्यतन विभागीय रणनीति	रणनीति को समयबद्ध रूप से अद्यतन करना।	दिनांक	2.0
वित्तीय जवाबदेही ढांचे के लिए अनुपालन सुनिश्चित करना	1.00	सीएंडएजी के ऑडिट पैरा पर एटीएन का यथा समय पर प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से देय तारीख (4 माह) के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले एटीएन की प्रतिशतता	%	0.25
		पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से देय तिथि (6 माह) के भीतर एटीआर प्रस्तुत किए जाने वाले की प्रतिशतता	%	0.25
		31.03.12 से पूर्व संसद को प्रस्तुत सीएंडएजी रिपोर्टों के ऑडिट पैरा पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन का प्रतिशत	%	0.25
		31.03.12 से पूर्व संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर का प्रतिशत	%	0.25

लक्ष्य मापदंड मूल्य					उपलब्धि	निष्पादन		
उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	कम		रॉ स्कोर	भारयुक्त स्कोर	एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
100%	90%	80%	70%	60%				
100	95	90	85	80				
15/05/14	16/05/14	19/5/14	20/5/14	21/5/14				
24/03/14	25/03/14	26/3/14	27/3/14	28/3/14				
10/09/13	17/09/13	24/9/13	1/10/13	8/10/13	10/9/13	100.0	2.0	10/09/13
100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100

अनुबंध–II

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी

सचिव

- श्री परवेज़ दीवान, सचिव, भारत सरकार एवं महानिदेशक (पर्यटन)

अपर सचिव

- डा. श्रीमती टी. कुमार, अपर सचिव और वित्त सलाहकार
- श्री गिरीश शंकर, अपर सचिव

संयुक्त सचिव एवं समतुल्य

- श्री आनन्द कुमार, संयुक्त सचिव
- श्रीमती उषा शर्मा, अपर महानिदेशक
- डा. आर.के. भटनागर, अपर महानिदेशक
- श्री देवेन्द्र सिंह, आर्थिक सलाहकार

अनुबंध–III

क.

वर्ष 2013–14 के दौरान पूरे किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन (दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार)

I. पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वेक्षण/अध्ययन

- ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करते हुए देश के विरासत होटलों के प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन।
- आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) प्लान स्कीम का मूल्यांकन।
- मार्केट विकास सहायता (एमडीए) प्लॉन स्कीम का मूल्यांकन।
- आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी हेतु वित्तीय सहायता की प्लॉन स्कीम का मूल्यांकन।
- सिक्किम राज्य हेतु पर्यटन सर्वेक्षण।

II. पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और राज्य सरकारों द्वारा संचालित सर्वेक्षण/अध्ययन।

- मध्य प्रदेश राज्य में आवास यूनिटों में उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण का संचालन।
- केरल में 2011–12, दूसरे वर्ष के लिए निरंतर पर्यटक सर्वेक्षण/(सीटीएस) का संचालन।
- ओडिशा–लोक रंगमंच प्रकारों की अमूर्त विरासत का प्रलेखन एवं सर्वेक्षण।

ख.

वर्ष 2013–14 के दौरान पूरी की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

- नागालैंड में नुईलैंड–जकहम–अगहुनाटो–भंडारी के एकीकृत परिपथ विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड में जोतसोमा–लपडोलामी–टुटुकेनजान–अखेगऊ–लोसामी–लोजाफूबू के एकीकृत परिपथ विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड के यीम्पसांग ग्राम में ग्रामीण पर्यटन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड के असूरवो ग्राम में ग्रामीण पर्यटन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड के थानामीर ग्राम में ग्रामीण पर्यटन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- पूर्वी सिक्किम में बार चांगे जलप्रपात स्थल सहित मारचाक के किनारे पर्यटन परिपथ के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।

- उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग–लाचेन–लाचुंग को जोड़ते हुए सिंगिक में स्लीपिंग बुद्ध स्थल के किनारे पर्यटक परिपथ के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- सिक्किम में लाचेन से रानीडुंगा और पोडोंग को जोड़ते हुए राबडेंटसे – ग्यालजिंग के बौद्ध परिपथ विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- पश्चिम सिक्किम में नयाबाजार–दारमदीन–फामबोंग–अंडन–रीबिडी–ओखेरे–वारसे के किनारे पर्यटक परिपथों के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- दक्षिण सिक्किम में रालांग बौद्ध केन्द्र में गंतव्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- पश्चिम सिक्किम के पेलिंग गंतव्य में पर्यटक अवसंरचना और बजट आवास एवं साउना सुविधाएं।
- गंगटोक गंतव्य में अंतर्राष्ट्रीय समागम केन्द्र हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर गंगटोक (प्रवेश) – टोपाखानी – टारकू – रावोनंगटा – ताषीडिंग – खेचेओपालरी – रिमबी – दारप – मेल्ली (निकास) मेगा परिपथों हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- सिक्किम में होम स्टे और एथनिक जीवन शैली जैसे एथनिक कजन पर्यटन से संबंधित अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए ग्रामों के संकुल के लिए ग्रामीण पर्यटन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- मिजोरम में बेरोंतलांग पर्यटन संकुल (काम्प्लेक्स) में मल्टी – स्टोरी कार पार्किंग के विकास एवं निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- मिजोरम के तामदिल झील में पर्यटक केन्द्र के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- मिजोरम में आइजवाल – रेइक – आइलांग – ट्रैकिंग रूट के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- मिजोरम में सांगाऊ – ब्लू माउंटेन ट्रैकिंग रूट हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- मिजोरम में चालफिलह माउंटेन ट्रैकिंग रूट हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- मिजोरम में परिपथ विकास के तहत थीम पार्क के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड में तुली – लोंगलोंग – दीमापुर – वोखा – सितूर हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड में देजीफे – दोयांग – सुरोहोतो – एटोइजू – डीजूलडा – केजो हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड में न्यूपेरेन – डीजूल्हाकेई– केरही – चुंगलिखा – वानखोसुंग हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड के मेलूरी में एकीकृत पर्यटक गंतव्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड के असईसामा में एकीकृत पर्यटक गंतव्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड के माउंट तीयी और उसके आस पास के क्षेत्र में एकीकृत पर्यटक गंतव्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड के जूनहेबोतो में पर्यटक लॉज हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- नागालैंड में कीयाजी–फोहोबोतो–खुइजू अकाहूतों परिपथ।
- नागालैंड में तीजीट–मोन–फोमचिंग–लोंगवा–लोंगफांग परिपथ।
- नागालैंड में अबोई–चाओहाचिंगनयू–चांगलांग –जकफांग–चांगलांगपू–सांगसांगनयू।
- नागालैंड में इको–एडवेंचर और सांस्कृतिक गंतव्य खुहूबोतो।
- नागालैंड में डीजूखोउ में ट्रैकिंग एवं इको–एडवेंचर का विकास।
- नागालैंड में आंगफांग गंतव्य।
- नागालैंड के फेक में पर्यटक लॉज।
- नागालैंड में येई, योंगहोंग, वाय चांगन्यू, वाय केनचेनपू और उखा ग्राम के कलस्टहर के रूप में ग्रामीण पर्यटन।
- पूर्व सिक्किम में सीमीक पश्चिम पेनडम–रीमबी के पर्यटक परिपथ का विकास।

- उत्तरी सिक्किम में फोडांग–लबरांग एवं रोंगोंग के किनारे पर्यटक परिपथ का विकास।
- दक्षिण सिक्किम में शारचोक फेबो, सांगमो डेथंग, पोखरी, जारोंग के किनारे पर्यटक परिपथ का विकास।
- पश्चिम सिक्किम के मानेयबोंग, उत्तरय में मान्जाखरी धुंगा में पर्यटक अवसंरचनाओं का विकास।
- उत्तरी सिक्किम में थींगचेन लेक, लाइंगजह डीजोंगह एवं थांलुनग में तीर्थयात्री विरासत केन्द्रों का विकास।
- दक्षिण सिक्किम में पोकलोक–कामरांग के तहत दिव एवं सत्यांपानी पोखरी में पर्यटक अवसंरचना का विकास।
- पूर्व सिक्किम में लुइंग चांगरांग में पर्यटक अवसंरचना का विकास।
- अरूणाचल प्रदेश में भालुकपुंग–बोमडीला–त्वांग परिपथ का विकास।
- अरूणाचल प्रदेश के ईटानगर–दोईमुख–सागाली परिपथ का विकास।
- अरूणाचल प्रदेश में मीआओ–नामडापा परिपथ का विकास।
- अरूणाचल प्रदेश में त्वांग में गंतव्य विकास।
- अरूणाचल प्रदेश के मेनचूखा में गंतव्य विकास।
- अरूणाचल प्रदेश के सिप्पी और बायोरलो में बारीरीजो, सीकरीजो, चूमीन का गंतव्य विकास।
- अरूणाचल प्रदेश में जाइ का गंतव्य विकास।
- अरूणाचल प्रदेश में मारीयांग, डा॰ डाविंग एरिंग वन्य जीव अभयारण्य और बोरगुली में गंतव्य विकास।
- अरूणाचल प्रदेश में त्वांग जिला में एकीकृत ग्रामीण पर्यटन कलस्टर का विकास।

ग.

पर्यटन मंत्रालय के जारी सर्वेक्षण/अध्ययन

(i). पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन

- 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु क्षेत्रीय पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट
- शहरों के लिए स्वच्छता सूचकांक के विकास पर अध्ययन
- निर्यात सेक्टर की तुलना में पर्यटन सेक्टर पर लगाए गए करों का अध्ययन
- लद्दाख एवं कश्मीर की घाटी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के प्राथमिकीकरण पर अध्ययन
- तमिलनाडु राज्य हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- पश्चिम बंगाल राज्य हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- मिजोरम राज्य हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- त्रिपुरा राज्य हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- अरूणाचल प्रदेश राज्य हेतु पर्यटन सर्वेक्षण
- मणिपुर राज्य हेतु पर्यटन सर्वेक्षण
- नागालैंड राज्य हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- मेघालय राज्य हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप राज्य हेतु राज्य पर्यटन सर्वेक्षण

(ii). वर्ष 2013–14 के दौरान शुरू किए गए सर्वेक्षण अध्ययन

- वर्ष 2014–15 हेतु घरेलू पर्यटक व्यय सर्वेक्षण
- वर्ष 2014–15 हेतु अंतर्राष्ट्रीय यात्री सर्वेक्षण
- दो प्रमुख उत्सवों अर्थात डब्ल्यूटीएम लंदन एवं आईटीबी, बर्लिन में गत तीन वर्षों में भागीदारी के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन हेतु पद्धति तैयार करने के लिए अध्ययन

- उत्तराखंड में अवसंरचना विकास हेतु योजना सहित विद्यमान और संभावित गंतव्यों की पर्यटन वहनीय क्षमता का अध्ययन
- रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका के विदेशी बाजारों में अध्ययन
- मेले एवं उत्सवों हेतु प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन
- रोमांचकारी पर्यटन आंकड़ों पर अध्ययन
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईआईटीटीएम भुवनेश्वर में संभावित आवेदक इच्छुक क्यों नहीं हैं और बिहार में आईआईटीटीएम केन्द्र की संभावना के मूल्यांकन पर अध्ययन

II. पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और राज्य सरकारों द्वारा संचालित सर्वेक्षण/अध्ययन जोकि अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं

- 1. वर्ष 2009–10 के दौरान किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन
  केरल में तीसरे वर्ष के लिए निरंतर पर्यटक सर्वेक्षण (सीटीएस) का संचालन
- 2. वर्ष 2011–12 के दौरान किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन
  आंध्र प्रदेश में चिकित्सा पर्यटन सोसाइटी हेतु व्यवसाय योजना तैयार करना।

घ.

वर्ष 2013–14 के दौरान अनुमोदित की गई जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

- उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में जानकी छत्ती–बड़कोट–असनोरगढ़–हनुमान छत्ती–बरनीघाट–नगांव–बारसू–रैथल में सुलभ शौचालय, पौनी स्टैण्ड, पर्यटक विश्राम गृह, मार्गस्थ सुविधाओं का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य।
- उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले के कैलाश मानसरोवर मार्ग (मुंशियारी–थाल–रालाकोट–मडकोट) में छतों एवं शौचालयों, पर्यटक विश्राम गृहों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार।

- उत्तराखंड में पौढी गढ़वाल–देहरादून जिलों में नाइट शेलटर, रैन बसेरा, सुलभ शौचालयों, पार्किंग के पुनः निर्माण एवं नवीकरण कार्य
- उत्तराखण्ड के हरिद्वार जिले में हरिद्वार–ऋशिकेष–मुनि–की–रेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन परिपथ के तहत पं. दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग के मरम्मत कार्य एवं पुनरूद्धार और आस्था पथ पर घाटों का निर्माण
- बिनसर–बैजनाथ–बगेश्वर परिपथ–सांग, लोहरखेत, खाटी, दवाली, धाकुली, फूकिया, कफनी, जयटोली में टूटे हुए मार्ग एवं धारक दीवार की मरम्मत, कथलिया में सुरक्षा हेतु धारक दीवार एवं शौचालय का निर्माण
- रूद्रप्रयाग जिला, उत्तराखण्ड में पर्यटक स्वागत/सूचना केन्द्र, किओस्क लिंग आधारित मार्गस्थ सुविधाएं, वर्षा से बचाव हेतु आश्रय स्थल, ठोस कचरा प्रबंधन, सूचनापरक संकेतक सहित केदारनाथ के मार्ग की ओर ऊखीमठ में पर्यटन अवसंरचना परिपथ का एकीकृत विकास
- उत्तराखण्ड के चमोली जिले में पंच प्रयाग परिपथ के तहत स्नान घाट, राफटिंग डेक का पुनर्निर्माण और मार्गस्थ सुविधाओं, टीआरएच, बायो टायलेट, पर्यटक सुविधा केन्द्र, धारक दीवार, पाथ वे (कर्णप्रयाग–कालेश्वपर–नंदप्रयाग–कलदुबागढ़–हेमकुण्ड साहिब–भियूदर–बद्रीनाथ–माना–आयुन्दर–नौटी–मुनडोली–ग्वलदम) के पर्यटन अवसंरचना परिपथ का एकीकृत विकास।
- उत्तराखण्ड के चमोली जिला में टीआरएच बिरही–यात्री सुविधा, टीसीसी, हट्स, स्टाफ क्वार्टर एवं फर्निशिंग (80% वॉश आउट), टीआरएच, पूर्वनिर्मित हट रैन बसेरा का पुनर्निर्माण
- उत्तराखण्ड में पर्यटक स्वागत/सूचना केन्द्र, किओस्क, लिंग आधारित सुविधाएं, वर्षा से बचाव हेतु आश्रय स्थल, ठोस कचरा प्रबंधन, सूचनापरक संकेतक आदि सहित बद्रीनाथ के मार्ग की ओर जोशीमठ, हेमकुण्ड साहिब के मार्ग की ओर गोविन्द घाट और फूलों की घाटी में पर्यटन अवसंरचना परिपथ का पुनर्निर्माण एवं विकास
- उत्तराखण्ड में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री–भटवारी, संगमछत्ती–हरसिल–अराकोट–झाला–भटवारी–हरसिल–धारली में टीआरएच, सुलभ शौचालय, जन यात्री निवास, निवास, टीसीसी के पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास
- उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले में पर्यटक स्वागत/सूचना केन्द्र, किओस्क, लिंग आधारित मार्गस्थ सुविधाएं, वर्षा से बचाव के लिए आश्रय स्थल, ठोस कचरा प्रबंधन सूचनापरक संकेत आदि सहित यमनोत्री के मार्ग की ओर खारसली में पर्यटन परिपथ अवसंरचना का विकास एवं पुनर्निर्माण
- उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के मार्ग की ओर मुखवा में पर्यटन अवसंरचना का विकास एवं पुनर्निर्माण (पर्यटक स्वागत/सूचना केन्द्र , किओस्क, लिंग आधारित मार्गस्थ सुविधाएं, वर्षा से बचाव हेतु आश्रय स्थल, ठोस कचरा प्रबंधन, सूचनापरक संकेत आदि सहित)
- उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले में असकोट में पर्यटन अवसंरचना परिपथ का एकीकृत विकास (पर्यटक स्वागत/सूचना केन्द्र, किओस्क, लिंग आधारित मार्गस्थ सुविधाएं, वर्षा से बचाव हेतु आश्रय स्थल, ठोस कचरा प्रबंधन, सूचनापरक संकेत आदि सहित)
- उत्तराखण्ड के नए टिहरी जिला के कौदियाला–देवप्रयाग–चम्बा–ऋषिकेश–शिशम झाड़ी–तपोवन घाट– सेतूपानी स्वर्गाश्रम में टीआरएच, रैन बसेरा, रेस्तरां/डाइनिंग हॉल, छठ पूजा हेतु घाट, सुलभ शौचालय के पर्यटन अवसंरचना परिपथ का पुन–निर्माण, जीर्णोद्धार एवं विकास
- उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा एवं नैनीताल जिले में भिखियासैण–कौसानी–झाकरसेम, खेरना जागेश्वर–काकरीघाट–बिनसर–पद्मपुरी में हट्स, राफटिंग सेन्टर, टीआरएच, ट्रैक रूट हाईवे कैफे, सुलभ शौचालय का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के पर्यटन अवसंरचना परिपथ का एकीकृत विकास
- प्रभावित जिलों में ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम।

अनुबंध–IV

भारत में भारत पर्यटन कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय

- चेन्नई
- गुवाहाटी
- कोलकाता
- मुम्बई
- नई दिल्ली

अन्य कार्यालय

- आगरा
- औरंगाबाद
- बेंगलुरू
- भुवनेश्वर
- गोवा
- हैदराबाद
- इम्फाल
- इंदौर
- जयपुर
- कोच्चि
- नाहरलागुन (ईटानगर)
- पटना
- पोर्ट ब्लेयर
- शिलांग
- वाराणसी

अनुबंध–V

विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालय

क्र.सं.	प्रचालन / स्टेशन	कवर किए गए देश
(I)	अमेरिका	
	U;w;kdZ	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी समुद्रतट पर स्थित सभी राज्य, दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया / वेनेजुएला तक।
	y,l ,aftYl	संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित पनामा तक सभी राज्य
	VksjaVks	कनाडा और ग्रीनलैण्ड
(II)	आस्ट्रेलेशिया	
	flMuh	आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फिजी तथा पैसेफिक
	flaxkiqj	सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैण्ड, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम
(III)	पूर्वी एशिया	
	VksD;ks	जापान, दक्षिणी और उत्तरी कोरिया, फिलीपिन्स
	chftax	मेनलैण्ड, चीन, ताइवान, हांगकांग, लाओस, मंगोलिया और मकाऊ
(IV)	यूरोप	
	ÝsadQVZ	जर्मनी, पोलैण्ड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, आस्ट्रिया, रोमानिया, बुलगारिया, सीआईएस देश, इजराइल
	isfjl	फ्रांस, स्विटजरलैण्ड, स्पेन, पुर्तगाल
	,ELVjMe	नीदरलैण्डस, लक्समबर्ग, बेल्जियम, स्केनडेनेवियाई देश
	feyku	इटली, ग्रीस, माल्टा
(V)	यू. के.	
	yanu	यू. के. आयरलैण्ड और आइसलैण्ड
(VI)	पश्चिम एशिया	
	nqcbZ	केएसए, यूएई, ईरान, सीरिया, कुवैत, कतार, बहरीन, जॉर्डन, यमन, लेबनान, ईराक, मिस्र, तुर्की
	tksgkULkcxZ	दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, जिम्बाब्वे, मॉरीशस, मेडागास्कर

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के लिए अशोक सर्जक,
भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत तथा
[illegible] प्रा. लि., नई दिल्ली - 110020 द्वारा मुद्रित

अतुल्य भारत
Incredible India
www.incredibleindia.org
अतिथिदेवो भव
Atithidevo Bhava